राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ३८वां दिवस [संख्या २६

शुक्रवार, १ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, शिक्षा, विकास, विकेन्द्रीकरण, सार्वजनिक सम्पर्क, वित्त, कृषि, समाज कल्याण सामान्य प्रशासन, गृह, नियुक्ति खनिज, उद्योग, विधि-विभाग गृह, योजना]

प्रश्न संख्या ७७७

श्री अध्यक्ष : श्री जयसिंह राणावत।
(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

ग्राम पंचायत बिलान्दरपुर (बैराठ) के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं रिश्वतों की शिकायतों पर हुई कार्यवाही

७७८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बिलान्दरपुर (तहसील बैराठ) के सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं रिश्वत की अनेक शिकायतें पंचायत विभाग में हुई हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या यह सही है कि इन शिकायतों की जांच एन्टी करप्शन विभाग की ओर से भी कराई गई है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी हां।

(ख) मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहा है।

(ग) जी हां, अभी तक अन्तिम निर्णय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : ये शिकायतें कब प्राप्त हुई थीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसकी तारीख तो नहीं है, लेकिन आगे की कार्यवाही की तारीखें हैं।

Page No.2

श्री भैरोंसिह : भ्रष्टाचार विभाग में यह कार्यवाही कब से चल रही है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: ११-६-५८ से।

श्री भैरोंसिह: ११-६-५८ से जो कार्यवाही चल रही है, क्या सरकार को उसका परिणाम अभी तक मालूम नहीं हुआ है ?

श्री हरिभाऊ उपध्याय : जी हां, रिमाइन्डर भेजे हैं। कुछ कागजात मिले नहीं हैं, इसलिए देरी हुई।

श्री भैरोंसिह : क्या इस संबंध में विभागीय जांच भी की गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां, पहले विभागीय जांच हुई है तब ही तो भ्रष्टाचार विभाग में भेजा गया है।

श्री भैरोंसिह : विभाग की जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वही तो नजर आया तभी तो भ्रष्टाचार विभाग में भेजा गया।

श्री भैरोंसिह : परिणाम क्या हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सन्देह हुआ इसलिए ही भ्रष्टाचार विभाग के पास भेजा गया।

श्री भैरोंसिह : क्या विभाग में केस रजिस्टर करके उसको तफतीश के बारे में लिखा था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामचन्द्र।

टैक्निकल शिक्षा प्रसार हेतु निर्मित योजना

५७६. श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या सरकार ने टैकिनकल शिक्षा प्रसार के लिए कोई योजना बनाई है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना किन किन विषयों से सम्बन्ध रखती है ?

(३) इस योजना के अनुसार कहां कहां टैक्निकल स्कूल्स तथा कॉलेजेज़ खोले जा चुके हैं और अब कहां कहां नये स्कूल व कॉलेज खोलने का विचार है ?

(४) इन टैकिनकल संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं ?

(५) इस समय इन जातियों के टैक्निकल कॉलेजों में कितने कितने विद्यार्थी कहां कहां शिक्षा पा रहे हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां।

(२) यह योजना इन्जीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व माइनिंग इन्जीनियरिंग व सिविल, मैकेनिकल व इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टसमैन शिपसर्टिफिकेट पाठ्यक्रम आते हैं।

(३) पोलीटैक्निक अजमेर, जोधपुर,

Page No.3

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

उदयपुर में खोले जा चुके हैं। अलवर और कोटा के पोलीटैक्निक में छात्रों का प्रवेश माह जून ६० से प्रारम्भ होगा। बीकानेर में नया पोलीटैक्निक में प्रवेश १९६१ के समय शुरू होगा।

(४) इन जातियों के लिए २० प्रतिशत जगह सुरक्षित रखी जाती है। कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता। समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

(५) इन जातियों के केवल दो विद्यार्थी जोधपुर पोलीटैक्निक में शिक्षा पा रहे हैं तथा पिछड़ी हुई जातियों के निम्नलिखित पोलीटैक्निक में शिक्षा पा रहे हैं :—

पोलीटैक्निक	विद्यार्थी
अजमेर	२
जोधपुर	२६
उदयपुर	८
एम. बी. एम. इन्जीनियरिंग कॉलेज़, जोधपुर :	
डिग्री	४५
डिप्लोमा	८
	८३

श्री रामचन्द्र : आपने कितना पर्सेंट रिज़र्वेशन रखा है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २० पर्सेंट।

सुमेरपुर विकास खण्ड पंचायत समिति के अन्तर्गत बुनाई सिखाने हेतु चालित हैण्डलूम का कारखाना

७८०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सुमेरपुर विकास खण्ड (पंचायत समिति) के अन्तर्गत कोई हैण्डलूम का कारखाना बुनाई सिखाने के लिए चल रहा है? यदि हां, तो कब से?

(ख) उक्त कारखाने में कितने आदमी इस समय बुनाई का काम सीख रहे हैं और आज तक कितने सीख चुके हैं?

(ग) इस कारखाने से आज तक कितनी कीमत का माल पैदा हुआ है, कितनी कीमत का माल बेचा जा चुका है तथा इसका क्या कोई स्टॉक रजिस्टर भी है?

(घ) क्या इसके हिसाब में हजारों रुपयों का घोटाला है?

(ङ) क्या यह भी सही है कि बहुत सा माल दीमक द्वारा नष्ट कर दिया गया है?

(च) क्या यह भी सही है कि वर्त्तमान प्रधान, पंचायत समिति, सुमेरपुर ने इस सारी स्थिति से कलेक्टर पाली, को परिचित कराया है?

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

सामुदायिक विकास मंत्री(श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) जी हां। तारीख १ जनवरी, सन् १९५४ से।

(ख) इस समय कुल आठ विद्यार्थी हैं तथा अब तक कुल ८३ शिक्षा पा चुके हैं।

(ग) आज तक कुल ११,१०६.०६

Page No.4

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

नये पैसे का सामान तैयार हुआ व ६,०६८.७२ नये पैसे का सामान बिक चुका है। सामान का स्टॉक रजिस्टर है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रधानजी ने हिसाब-किताब ठीक ढंग से न रखने का जिक्र किया था।

(छ) इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : जब कोई घोटाला ही नहीं है तो फिर किसकी जांच की जा रही है? आप दो बातें कह रहे हैं-एक तो घोटाला है ही नहीं और फिर जांच किस बात की है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्योंकि प्रधानजी ने जबानी कहा था तो मुनासिब समझा कि जांच करवा कर देख लें।

श्री मूलचन्द डागा : जबानी नहीं कहा था। हजारों रुपयों का माल गायब है और लिखित रूप में दिया है जांच नहीं की।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी के अनुसार तो लिखित में नहीं दिया है। अगर आप कहते हैं कि लिखित दिया है तो जांच करवा लेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : यह प्रधान सुमेरपुर, ने कब कलेक्टर के पास शिकायत की?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कलेक्टर के पास शिकायत की तारीख मेरे पास नहीं है। अंतिम ऑडिट की तारीख है, जून, १९५९ में हुआ था और समय समय पर होता रहा है।

श्री मूलचंद डागा : इसका स्टॉक रजिस्टर मौजूद है क्या?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां।

प्रश्न संख्या ७८१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

मोजमाबाद पंचायत समिति

७८२. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) मोजमाबाद पंचायत समिति कब बनी?

(२) क्या यह सच है कि अब तक भी उक्त पंचायत समिति की स्थायी समितियों का निर्माण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(३) पंचायत समिति ने अब तक कितनी और किस किस को तकावी वितरण की? इस वितरण का आधार क्या था? कितने आवेदन-पत्र आये थे और कितनों को तकावी दी गई?

(४) पंचायत समिति ने अब तक कुल कितने अध्यापकों की नियुक्तियां की? स्थायी समिति के अभाव में किसी सिफारिश से ये नियुक्तियां हुई?

Page No.5

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) दिनांक २-१०-१६५६ को।

(२) जी नहीं। स्थायी समितियों का निर्माण हो चुका है।

(३) अभी तक किसी को भी तकावी वितरित नहीं की गई। कुल १३१ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(४) अब तक कुल ५ अध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं। पंचायत समिति द्वारा गठित उप-समिति द्वारा ये नियुक्तियां की गईं।

डॉ० चन्द्रकला: स्थायी समितियों का गठन कब किया गया?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: स्थायी समितियों का निर्माण २३-२-६० को और ७-३-६० को किया गया है।

डॉ० चन्द्रकला: लेकिन जब कि पंचायत समिति का निर्माण २-१०-५६ को हो गया तो स्थायी समितियों का निर्माण इतनी देरी से होने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: इसके लिये सरकार थोड़े ही जिम्मेदार है।

डॉ० चन्द्रकला: पंचायत समिति बनी तो उसको चाहिये था कि काम करने के लिये स्थायी समितियों का निर्माण करती। इनका निर्माण नहीं करने का मतलब यह है कि प्रधान मनमाने ढंग से काम कर रहा था इसीलिये मैंने यह प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछने के बाद स्थायी समितियां बना दी गई होंगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: मैंने तारीख २३-२-६० और ७-३-६० बताई है।

डॉ० चन्द्रकला: तकावी के लिये १३१ आवेदन-पत्र आये उनको तकावी नहीं देने का कारण क्या है?

श्री अध्यक्ष: अब समितियां बनी हैं वे तकावी देंगी।

'नवयुग पत्र' को दिया गया विज्ञापन

७८३. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सरकार को 'नवयुग पत्र' ने सन् ५६-५७, ५७-५८ व ५८-५६ में कितना कितना सर्कुलेशन बताया तथा इन वर्षों में इसे कितना कितना एडवर्टाइज़मेन्ट दिया गया?

(ख) पत्र द्वारा सर्कुलेशन के बताये गये आंकड़ों की प्रामाणिकता पर सरकार ने किस प्रकार से विश्वास किया है?

(ग) क्या यह सही है कि पत्र द्वारा बताये गये आंकड़े गलत हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में इन्क्वायरी करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (क) सन् ५६ में १०,०००, ५७ में ८,०५० और ५८ में जून तक ८,८३८ था। उसके बाद की सूचना उपलब्ध नहीं है।

सन्	विज्ञापनदिये	बिल प्रमाणित किये
१६५६-५७	३७५	३४१

(श्री रामकिशोर व्यास)

१९५७-५८	३६८	३२४
१९५८-५९	५५२	४७७

प्रमाणित किये बिलों की राशि

३१,८३५ रु०, २५ न. पै.

२६,७५५ रु०, ७५ न. पै.

३०,९७५ रु०, ८० न. पै.

(ख) यह सर्कुलेशन चार्टर्ड अकॉउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित किया हुआ था।

(ग) सर्कुलेशन के सम्बन्ध में पत्र द्वारा रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकॉउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई जिसे मानना ही पड़ता है। इसलिये आंकड़ों के गलत होने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : किसके सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणिकता सिद्ध होती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकॉउन्टेन्ट द्वारा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है, यदि यह सिद्ध किया जाय कि हर साल के जो आंकड़े दिये गये हैं वे गलत हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब तक जो पत्रकार कहते हैं और चार्टर्ड अकॉउन्टेन्ट का सर्टिफिकेट पेश करते हैं उसको सही मानते रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यदि यह सिद्ध हो जाय कि ये आंकड़े गलत हैं तो क्या आप जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह पोसिबल नहीं है कि हर एक पत्र की जांच की जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संबंध में स्पेसिफिक कम्पलेन्ट सरकार के सामने रखी जाय कि आंकड़े गलत हैं तो उस स्थिति में भी जांच करने को तैयार नहीं होंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन इसके लिये यह सोचना ज़रूर पड़ेगा कि ऐसी क्या मशीनरी या एजेन्सी हो कि जिसके जरिये इत्मिनान कराया जा सके कि जो सर्कुलेशन बताया गया है वह सही है या नहीं। डिपार्टमेंट द्वारा जांच करना कि सही है या नहीं, यह पोसिबल नहीं है। दूसरे की जान को मुसीबत मोल लेना होगा। All India body audit bureau of accounts and circulation. का सर्टिफिकेट लिया जाय, इस तरह की बात सोची जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने पत्र द्वारा दिये गये आंकड़ों पर विश्वास करके उसको एडवर्टाइज़मेंट दिये हैं, इस स्थिति में क्या सरकार यह पसन्द नहीं करती कि उसके सामने कोई स्पेसिफिक शिकायत आवे कि जो आंकड़े दिये गये हैं वे गलत हैं तो उसकी जांच करावे ?

श्री रामकिशोर व्यास : पत्रकार जो आंकड़े देते हैं उनको और जो रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकॉउन्टेन्ट का सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको सही मानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपतो उनको सही मानते हैं। लेकिन यदि आप जांच करना चाहें तो हम साबित करादें कि ये आंकड़े गलत हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोमन प्रोसीजर इवोल्व करना पड़ेगा ऐसे तथ्यों की जांच करने के लिये।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसिजर आप मर्जी आवे वैसा इवोल्व करें लेकिन उसके बाद तो इन्क्वायरी होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : ऑडिट करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बारे में यह जानना चाहिये कि वे रजिस्टर्स वगैरह देखते हैं, सक्युलेशन की लिस्ट देखते हैं और वे जो काम करते हैं वह कानून के अन्तर्गत ही करते हैं तो उनको चेलेन्ज करना ठीक कैसे रहेगा ?

श्री भैरोंसिंह : ऑडिट वाउचर्स के आधार पर किया जाता है। ८ हजार के वाउचर्स पेश कर दिये, ऑडिटर्स उसकी सत्यता के बारे में कुछ नहीं कर सकते। देखना यह है कि जितना भी सक्युलेशन होता है वह पोस्ट के जरिये होता है या हॉकर्स के जरिये होता है। पोस्टल बेसिस पर सक्युलेशन होता है उस पर पोस्टेज का भी खर्चा आता है। इस स्थिति में उसकी जांच की जा सकती कि इतना पेपर गया है या नहीं। ऑडिट द्वारा सक्युलेशन की जांच नहीं की जाती।

श्री अध्यक्ष : ऑडिट दो तरह के होते हैं। एक तो अकाउन्ट्स का ऑडिट और दूसरा ऑडिट ब्यूरो ऑफ सक्युलेशन। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सक्युलेशन के जरिये प्रमाणिकता सिद्ध की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : ऑडिट ब्यूरो ऑफ सक्युलेशन ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा। यहां रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सर्टिफिकेट देने की बात कही गई है।

श्री रामकिशोर व्यास : रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा सक्युलेशन के बारे में सर्टिफिकेट देने की बात है।

श्री भैरोंसिंह : सक्युलेशन के बारे में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सक्युलेशन से सर्टिफिकेट लेना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : ऑडिट ब्यूरो ऑफ सक्युलेशन का सर्टिफिकेट पेश किया जाय, ऐसा आयन्दा के लिये कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आगे की बात है। लेकिन पिछले के बारे में आप जांच करने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें सरकार के जांच करने का प्रश्न नहीं है। सैकड़ों पेपर्स हैं कहां कहां जांच करेंगे ? आगे के लिये इस तरह की कन्वेन्शन डाल देंगे कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सक्युलेशन से सर्टिफिकेट लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह तो स्वागत योग्य है कि आप भविष्य में इस प्रकार का निर्णय ले सकेंगे लेकिन पिछले गलत आंकड़े दिये हैं, उसकी भी जांच ऑडिट ब्यूरो ऑफ सक्युलेशन से करा सकते हैं ?

Page No.8

श्री रामकिशोर व्यास : हम आगे के लिये कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : पीछे की गलतियों का क्या होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : आगे के लिये ऐसा कर सकते हैं । अब तक की प्रेक्टिस यह है कि जो पत्रकार लिख कर देते हैं उसको सही मानना चाहिये, यही कन्वेशन रहा है । दूसरी बात यह है कि रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट लिख कर दे उसको सही मानते हैं। इस पर भी शक होता है तो उससे भी ज्यादा बड़ी ऑल इंडिया बॉडी है उसको सही मानना चाहिये । आप कहते हैं कि हर एक पेपर की इन्क्वायरी डिपार्टमेंट से कराई जाय तो यह पोसिबल नहीं है । इसमें जो खर्चा होगा उसको कौन बीअर करेगा ? आगे के लिये रूल्स बना सकते हैं कि पेपर का ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्युलेशन से सर्टिफिकेट लावें । इसकी कोस्ट उनको ही बियर करनी पड़ेगी ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस स्थिति में सरकार के सामने डॉक्युमेन्टरी प्रमाण रख कर प्रमाणित किया जाय कि ८ हजार के आंकड़े बताये गये हैं वे गलत हैं तो क्या सरकार भविष्य के लिये इस पेपर को ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही करने को तैयार है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इन्डिविज्युअल केस के लिये ऐसा नहीं किया जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : मैं डॉक्युमेन्टरी प्रमाण देता हूं कि यह गलत है तब भी आप इसकी जांच कराने के लिये तैयार नहीं हैं क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई पॉलिसी कोमन इवोल्व हो, इन्डिविज्युअल पेपर के लिये कोई बात समझ में नहीं आती ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की तरफ से आडिट ब्यूरो ऑफ सर्क्युलेशन को यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह की डॉक्युमेन्टरी एविडेन्स मिली है कि जो नंबर बताया गया है वह गलत है तो इसकी जांच हो सकती है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे डाइरेक्टली खुद कराते हैं, गवर्नमेंट को कराने का क्या सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह : आप क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : हम क्यों करायें ।

श्री भैरोंसिंह : आप जांच करवा लीजिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह पेपर वाले का काम है ।

श्री अध्यक्ष : एक सर्टेन पेपर है, उसमें पांच, दस, बीस फैक्ट्स लिखे हुए हैं। माननीय सदस्य कहते हैं कि डॉक्युमेन्ट्स के बेसिस पर वे साबित कर सकते हैं । ऐसी सूरत में आप क्या करना चाहेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : आयन्दा के लिए ज्यादा एहतियात बरतेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : पिछले समय में जो खा गये सो खा गये ।

श्री रामकिशोर व्यास : अब जो एडवर्टाइज़मेंट दे दिये, वे वापिस तो ले नहीं सकते।

श्री भैरोंसिंह : मैं वापिस ला सकता हूं एडवर्टाइज़मेंट का पैसा। जिन पत्रों ने धोखा देकर एडवर्टाइज़मेंट लिया है, उनका प्रोसीक्यूशन करके उनको दंड दिलवाया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सक्युलेशन दो तरह से होता है। एक तो हांकर से और दूसरा पोस्ट से, रेल्वे पोस्ट से। जो रेल पोस्ट से डिस्पेच हुआ है उसकी डेट वाइज़ कुछ दिनों के कागज मोहर लगे हुए होते हैं। मेरे पास ओरिजिनल डॉक्युमेंट रखे हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिये, उसका ५००–७०० से ज्यादा सक्युलेशन नहीं है। आप नहीं करें, यह मर्जी की बात है।

श्री रामकिशोर व्यास : किसी पेपर के बारे में आज के दिन कहना मुश्किल है कि एक्चुअल सक्युलेशन क्या है? जो वह लिख कर दे दे वह मानना पड़ता है क्योंकि अपनी इन्डिपेंडेंट एजेन्सी है नहीं। वे लिख कर देते हैं, उसको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सर्टिफाई करता है, उसको ही बेसिस मान कर चलना पड़ता है। एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसको जानने का इसके अलावा और आधार क्या है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक्चुअल फिगर्स बता रहा हूं। अगर कोई गवर्नमेंट को चीट करता है, तो हम गवर्नमेंट की मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरे पास डॉक्युमेंट तैयार हैं, उन पर रेल्वे की मोहर लगी हुई है। इसके अलावा हॉकर्स के कागजात से आप जयपुर का सक्युलेशन देख लीजिये। आप इन्क्वायरी करवाइये।

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी बात पर एडवर्टाइजमेंट आदि के लिए यह करने के लिए तैयार हूँ कि आगे सक्युलेशन की अधिकृत जानकारी के लिये क्या तरीका हो सकता है, वह बताया जाय।

राज्य के टैक्नो इकॉनोमिक सर्वे हेतु प्रबन्ध

७८४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Chief Minister be pleased to state :—

Is it correct that the Government has set up some machinery for conducting a Techno-Economic Survey of the State? If so, the details of it may be furnished and also what progress has so far been made in the matter?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी हां, टैक्नो-इकॉनोमिक सर्वे कराने के लिए लोकनाथक इन्स्टिट्यूट की सहायता ली जा रही है और इस बारे में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उसकी डिटेल्स, अब तक एक क्वेश्चनरी तैयार की है, उस पर कार्यवाही कर रहे हैं, पूरी उपलब्ध नहीं हैं, पूरी सूचना उपलब्ध हो जाने पर दे दूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : कब तक इसके जरिये सर्वे कम्प्लीट हो जायगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : करीब वर्ष भर में।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री पी० के० चौधरी : जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सर्वे कब से हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : This concerns the details. They will go into the whole thing.

श्री पी० के० चौधरी : अलग अलग हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : फिर पूछेंगे क फुलेरा की कब से कर रहे हैं।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

तहसील लालसोट में अल्पबचत योजना के अन्तर्गत एकत्रित किया गया धन

७८५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील लालसोट में लगान की वसूली के साथ साथ पटेल पटवारी के द्वारा कितना रुपया अल्प बचत योजना में एकत्रित किया गया ? इसकी सूची गांव अनुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि प्रत्येक खातेदार से ५ रुपया वसूल किए गए और इस प्रकार लगभग डेढ़ लाख रुपया अल्प-बचत योजना में एकत्रित किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि जिन लोगों से यह रुपया वसूल किया गया है उन लोगों को पक्की रसीदें नहीं दी गई बल्कि कच्ची रसीदें दी गई हैं ?

(४) क्या यह सही है कि जितना रुपया एकत्रित किया गया है उसमें से लगभग ७० हजार रुपया ही तहसील में जमा हुआ है ? यदि हां, तो शेष रुपया किसके पास है और क्यों नहीं जमा हुआ ?

(५) यह रुपया एकत्रित करने का कमीशन किन किन लोगों को कितना २ मिला है ? क्या यह सही है कि तहसील के ट्रेजरी के अकाउन्टेन्ट ने सारा कमीशन अपने नाम से लिया है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने ही यह सर्टिफिकेट बेचे थे ? यदि नहीं, तो फिर पटेल पटवारियों का हक मार कर एकाउन्टेन्ट ने किस अधिकार से यह कमीशन लिया है ?

उप, मंत्री, वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए इसको पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में डेयरी चलाने की योजना

७८६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि जयपुर शहर में सरकार द्वारा एक डेयरी चलाने की योजना है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि इस डेयरी

Page No.11

(डॉ० चन्द्रकला)

भवन का उद्घाटन भी हो चुका है ? यदि हां, तो कब और किसके द्वारा ?

(ग) इस डेयरी से जयपुर नगर की जनता को प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध हो रहा है ?

(घ) इस डेयरी योजना में सरकार द्वारा अब तक किस प्रकार कितना खर्चा किया जा चुका है ? आगे कितना और खर्च होने की सम्भावना है ?

(ङ) अभी इस खर्च के मुकाबले में कितना लाभ हो रहा है आगे कितना लाभ होने की आशा है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, अभी नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) अब तक भवन निर्माण कार्य में १,५०,००० रु० खर्च हो चुका है व ३२,००० रु० नल व बिजली के प्रबन्ध में । आगे लगभग १६,००,००० रु० की और आशा है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डॉ० चन्द्रकला : भवन नहीं है तो क्या डेयरी का उद्घाटन हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भवन के बिना डेयरी कहां से हो गई ?

डॉ० चन्द्रकला : पंजाबराव देशमुख आये थे और उन्होंने डेयरी का उद्घाटन किया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका गलत ख्याल है । पंजाबराव देश मुख नहीं आये थे, नींव लगाने के लिए अजीतप्रसाद जैन आये थे ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि इस डेयरी का काम साल भर में शुरू हो जायगा और लोगों को दूध मिलने लग जायगा, इस तरह का उत्तर एक प्रश्न का माननीय मंत्रीजी ने दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझको याद नहीं है, मैंने कौनसा उत्तर दिया है । मैं कह रहा हूं कि बिल्डिंग तैयार हो रही है, मशीनरी और प्लान्ट फिट करने हैं । न्यूजीलैंड से ७० हजार पौंड की गिफ्ट मिली है, ५०० मन की कैपेसिटी की डेयरी एक साल में बन जायगी ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : शहर में हड़ताल हो रही है दूधवालों की आज ?

राष्ट्रीय सेवा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही

९८७. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Education Minister be pleased to state:—

Has the State Government received any copy of the report of the National Service Committee headed by Shri C. D. Deshmnkh ? If so, does the Government propose to adopt the measures recommended in the report

उपमंत्री शिक्षा : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : No, Sir. Therefore, the question of adopting the measures recommended in the report does not arise.

श्री अध्यक्ष : Shri Bhairon Singh.

श्री यूसुफअली की सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर नियुक्ति

७८८. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री युसुफअली की इन्वेस्टीगेटर के पद पर नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो कब तथा किसके द्वारा और किस प्रकार से ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ समय बाद इनको सुपरिन्टेन्डेन्ट बना दिया गया ? यदि हां, तो कब और किस प्रकार से ?

(३) क्या यह सही है कि श्री युसुफअली अपने खर्चे से जुविनायल डिलिक्वेन्सी करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन (Juvenile Delinquency Correctional Administration) की ट्रेनिंग में कहीं बाहर गये थे ? यदि हां, तो कब, कहां और किसके हुक्म से तथा कितने दिन के लिये ?

(४) क्या यह सही है कि विभाग ने अब इस ट्रेनिंग के खर्चे को सरकार द्वारा भुगताने के लिये सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) श्री यूसुफअली की इन्वेस्टीगेटर के पद पर नियुक्ति इस कार्यालय आदेश संख्या ईस्टी ।२।५७। एस. डब्लू ।८११६ दिनांक २४. २. ५८ को संचालक द्वारा पदोन्नति के रूप में की गई थी।

(२) जी हां, दिनांक ३१. ३. ५६ को श्री युसूफअली को इन्वेस्टीगेटर के कार्य-भार के साथ साथ अस्थाई रूप से स्थानापन्न अधीक्षक के रूप में कार्य करने की स्वीकृति दी गई ।

(३) जी हां, श्री युसूफअली दिनांक १६. ७. ५६ को अधीक्षक के पद का कार्यभार देकर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशियल साइंस, बम्बई में ६ माह के लिए करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग में अपने खर्चे से अवकाश लेकर बाहर गये थे। बाहर जाने की स्वीकृति संचालक, समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई थी ।

(४) जी हां, ट्रेनिंग के खर्चे की सरकार द्वारा भुगतान की सिफारिश संचालक ने की है। सिफारिश करने का कारण यह है कि प्रशिक्षण के लिये जाते वक्त सरकार द्वारा नोमीनेशन करने का निर्णय तभी लिया जा सका था अतः निर्णय के लिये सिफारिश की गई है जो सरकार के विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : जब तक इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं किया जाता कि उसे ट्रेनिंग के लिए नोमीनेट किया जाय या नहीं, उस स्थिति के अन्दर उनका खर्चा सरकार बरदाश्त करने के लिए किस प्रकार तैयार हो रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन कर रहा हूं कि अभी तय नहीं हुआ है कि

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

आया उनको नोमिनेटेड केन्डीडेट माना जाय या नहीं। उस स्थिति में अपने खर्चे से वह व्यक्ति चला गया था, उस वक्त यह तय नहीं हुआ था, अतः वह दरख्वास्त देकर गया था कि यह प्रश्न तय करा दिया जाय। अब यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि आया इनका सरकार खर्चा बरदाश्त करे या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय ट्रेनिंग में गये, उस समय क्या सरकार के सामने स्थिति यह थी कि उक्त आदमी अपने खर्चे से ट्रेनिंग में जा रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, उनसे कह दिया गया था कि चूंकि सरकार द्वारा अभी तक तय नहीं किया गया है, इसलिए आप अपने खर्चे से जायं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो उनको छुट्टी का ऑर्डर लिख कर दिया, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं किया है कि आपको सरकार के खर्चे से ट्रेनिंग में भेजा जाय या नहीं, इसलिए इस स्थिति में अपने खर्चे से जायं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऑर्डर में लिखने का प्रश्न नहीं था। उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि मैं जाना चाहता हूं, मुझे सरकार द्वारा भेजा जाय। उसका मामला डिपार्टमेंट के संचालक के पास में था और उस पर सरकार की स्वीकृति नहीं हुई थी। उनके जाने का टाइम आ गया था, इसलिए यह बात कह दी गई कि अपने खर्चे से जा सकते हैं। यह सवाल सरकार तय करेगी, तब तय होगा। वह पेंडिंग है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय ट्रेनिंग में गये, उस समय दरख्वास्त दी थी तो संचालक ने यह कह कर कि विभाग की तरफ से किसी आदमी को नहीं भेजा जा सकता और ज्यों के त्यों उन कागजात को सरकार के पास नहीं भेजा और बाला बाला उनकी रुख्सत मंजूर करके ट्रेनिंग के लिये रवाना कर दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी जानकारी नहीं है। उन्होंने बाहर जाने के सिलसिले में संचालक को दरख्वास्त दी थी, उस वक्त चूंकि यह तय नहीं हुआ था कि केन्डीडेट को गवर्नमेंट की सहायता से बाहर भेजा जाय, अगर गवर्नमेंट भेजती तो सारा खर्चा बर्दाश्त करती। इसलिए उस वक्त व्यक्ति को कह दिया कि इस वक्त जा सकते हैं अपने खर्चे से, अगर बाद में आपके हित में डिसाइड हो जायगा तो गवर्नमेंट खर्चा दे देगी, नहीं तो नहीं देगी। और उस हालत में उसको भुगतना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस दिन ट्रेनिंग के लिए गये, उस दिन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के संचालक को छोड़ कर सरकार के किसी स्तर पर विचाराधीन नहीं था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो समाज कल्याण विभाग में जाना चाहिए था और प्रोपर चेनल से सरकार के पास आना चाहिए था। वह वहां मौजूद था, सरकार के पास कैसे आ सकता था।

Page No.14

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो आवेदन पत्र समाज कल्याण डिपार्टमेंट के पास था, उस पर उन्होंने अन्तिम रूप से निर्णय कर दिया था कि सरकारी स्तर पर, सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग में नहीं भेजा जा सकता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है, क्या मैं उसे बार बार रिपीट करूं ? आप हर पहलू से, हर तरह से एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : सर्विस कितनी है इनकी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी ?

श्री अध्यक्ष : स्टडी लीव दी है ? किस तरह की छुट्टी दी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : स्टडी लीव दी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय नहीं दी गई ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इनको अपने खर्चे से जाने के लिए छुट्टी दी गई, अपने खर्चे से गये । यह कहा गया कि आपका प्रश्न तय हो जायगा तो उसके बाद....

श्री अध्यक्ष : जो छुट्टी ड्यू थी, वही केवल दी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : यह पोजिशन नहीं, इसकी ट्रेनिंग के लिये और भी केन्डिडेट्स थे और मैं यह साफ कहूंगा कि इनका पक्ष करना था इसलिये बाकी के सभी केन्डिडेट्स को रिजेक्ट करने के लिये कहा कि आप ट्रेनिंग कर आइये, बाद में खर्चा गवर्नमेंट दे देगी । इसीलिये मैंने पर्टीक्यूलरली यह प्रश्न पूछा है कि जिस दिन समाज कल्याण विभाग के पास यह केस था तो उनके ट्रेनिंग में जाने से पहले अन्तिम रूप से तय कर दिया गया था कि अपने खर्चे से ट्रेनिंग में जा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : खर्चे का उस समय प्रश्न नहीं उठता था, उन्होंने छुट्टी मांगी और छुट्टी दे दी । उस समय गवर्नमेंट का या विभाग का कोई कमिटमेंट नहीं था कि खर्चा देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : यह था । उन्होंने पहले दरख्वास्त दी कि सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग में भेजा जाय तो उनको कह दिया गया कि सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग में नहीं भेजा जा सकता । फिर उन्होंने कहा कि छुट्टी दे दी जाय तो अन्तिम रूप से निर्णय दे दिया गया था कि सरकारी खर्चे से ट्रेनिंग में नहीं भेज सकते । यही मैं पूछ रहा हूं कि अन्तिम रूप से यह निर्णय लिया गया या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अन्तिम निर्णय इस बात का लिया कि आप अपने खर्चे से जा सकते हैं । स्टेट खर्चा बरदाश्त करेगी या नहीं, इसको स्टेट को रेफर कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो ऑर्डर दिया गया था उसमें खर्चे के लिये स्टेट को रेफर करने का कोई उल्लेख नहीं था ?

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको तो छुट्टी दी है।

श्री भैरोंसिंह : सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग में जाना चाहते थे, इसके लिये इन्कार किया गया था। सरकार द्वारा खर्चा दिये जाने के लिये सरकार को रेफर करने जैसी कोई चीज़ पेन्डिंग नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : यह तो किसी भी स्टेज पर रेज़ कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया गया था कि सरकार खर्चा नहीं देगी, अपने खर्चे से ट्रेनिंग में जा सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट खर्चा देने को तैयार क्यों हो रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वे ट्रेनिंग में गये तब भी कहा था कि खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाय। समाज कल्याण विभाग की तरफ से कहा गया कि गवर्नमेंट की तरफ से तय नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं लिखा हुआ है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट खर्चा नहीं देगी आप अपने खर्चे से ट्रेनिंग में जा सकते हैं, आप पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यदि सच है तो पढ़ कर सुनाइये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

विश्व कृषि प्रदर्शनी में राजस्थान पैवेलियन में बनाये गये स्टेटिस्टिकल चार्ट

७८६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) विश्व कृषि प्रदर्शनी दिल्ली में राजस्थान पैवेलियन में कितने और किस २ बात के स्टेटिस्टिकल चार्ट्स बनाये गये ?

(ख) प्रत्येक प्रकार के चार्ट में कितना कितना खर्चा लगा ?

(ग) ये चार्ट किन २ से किस २ दर पर बनाये गये ?

(घ) क्या चार्ट्स बनाने में टेन्डर्स मांगे गये थे ? यदि हां, तो टेन्डर्स का कम्पेरेटिव स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(ङ) टेन्डर्स कब और किस किस तारीख के लिये मांगे गये ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(ख) किस किस चार्ट पर क्या क्या व्यय हुआ, इसकी सूचना उपरोक्त स्टेटमेंट में दी हुई है। जिन चार्ट्स की कीमत उनके सामने नहीं दी गई है उनके भुगतान का निर्णय अभी नहीं हो सका है या उनके बिल अभी तक पहुँचे नहीं हैं।

(ग) यह सूचना संलग्न सूची 'ब' में दी गई है।

(घ) इन सब कार्यों के लिये कोटेशन

Page No.16

(श्री रामकिशोर व्यास)

लिये गये थे। कोटेशन का कम्पेरेटिव स्टेटमेंट "स" साथ में संलग्न है । जिसका सबसे लोएस्ट कोटेशन था वह इतने सारे कार्य को नहीं कर सका अतएव उसी स्तर पर दूसरे आर्टिस्टों से काम करवाया गया था जिनके नाम और कार्य स्टेटमेंट "अ" में दिये हुए हैं।

(ड़) टेन्डर की प्रति साथ में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिस आदमी ने लोएस्ट रेट्स क्वोट की थीं क्या उस व्यक्ति के हाथ का लिखा हुआ कागज़ सरकार के पास है जिससे मालूम हो सके कि जितना काम उसको दिया गया, उसको वह नहीं कर सकता था ?

श्री रामकिशोर व्यास : लिखा हुआ है कि नहीं, यह सूचना डिपार्टमेंट के पास है। मेरे पास यह सूचना नहीं है, पर सूचना मुझे डिपार्टमेंट ने यह दी है कि वह उस काम को पूरा नहीं कर सकता था।

श्री भैरोंसिंह : यह आप किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेंट ने सूचना दी उस आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेंट ने यह सूचना दी है तो यह सवाल पैदा होता है कि डिपार्टमेंट के पास लिखित सूचना है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका यह फरमाना है कि वह करना चाहता था, उसको अोपोच्युनिटी नहीं दी....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लोएस्ट टेन्डर की रेट्स के स्थान पर ज्यादा ऊंची रेट्स स्वीकार करने से पहले, सरकार से या उच्च ऑथोरिटी से स्वीकृति प्राप्त की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : लोएस्ट टेन्डर स्वीकार कर लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि लोएस्ट रेट्स से ज्यादा ऊपर की रेट्स जिसने दी हैं उसको काम देने से पूर्व सरकार या उच्च अधिकारी की स्वीकृति इसके लिए ली गई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह वेल्यूएशन पर डिपेन्ड करता है लोएस्ट भी है और वेल्यूएशन के हिसाब से टेन्डर इन्वाइट करने वाले अधिकारी को अधिकार नहीं है तो नहीं कर सकता और वेल्यूएशन उसके पॉवर की हैं तो लोएस्ट से ऊपर की भी बिना स्वीकृति लिये कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : इस मामले में लोएस्ट टेन्डर के अगेन्स्ट में ऊपर की रेट्स स्वीकार की गईं, उससे पहले सरकार की या उच्च अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : रेट्स लोएस्ट मंजूर की हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप कह रहे हैं न, दूसरों को ऊंची रेट्स पर दिया।

Page No.17

श्री रामकिशोर व्यास : यह नहीं कह रहा हूं, लोएस्ट रेट्स स्वीकार कीं। वह उस काम को पूरा नहीं कर सकता था इसलिए उसी रेट पर दूसरे आदमी को दे दी।

श्री भैरोंसिंह : उसी रेट पर ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसी पर।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भीमसेन।

बीकानेर डिविजन के हैडक्वार्टर्स पर ओवरसियर्स व इन्जीनियर्स की शिक्षा हेतु स्थित राजकीय शिक्षण संस्था

७६०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे : (१) क्या बीकानेर डिविज़न के हैड क्वार्टर्स पर ओवरसियर्स की शिक्षा के निमित्त कोई राजकीय शिक्षण संस्था है ?

(२) क्या यह सही है कि इस शिक्षा की व्यवस्था हेतु लम्बे अर्से से मांग चल रही है ? अगर हां, तो इस मांग की पूर्ति हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं। इस शिक्षा के निमित्त एक पोलिटैक्निक संस्था बीकानेर खोलने का निश्चय हो चुका है और छात्रों का प्रवेश माह जुलाई सन् १६६१ से किया जावेगा।

(२) जी नहीं। इस संस्था के कार्यालय का प्रादुर्भाव द्वितीय पंच वर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में हो चुका है। उसके बाद इसके सम्बन्ध में मांग की पूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भीमसेन : तो क्या १६६१ से पहले बिल्डिंग तैयार हो जायगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कायदे से हो जानी चाहिये, नहीं भी होगी तो दूसरी बिल्डिंग का इन्तजाम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

मेसर्स टूरिस्ट गाइड सर्विस द्वारा आम्बेर में आमोद-यात्रा हेतु हाथी देने के एकाधिकार का समापन

७६१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : Will the Chief Minister be pleased to state :—

1. Is it a fact that the Government has passed orders banning the entry of all other elephants for tourist joyride at Amber except those booked through the firm M/S. Tourist Guide Service ?

2. Is it a fact that the said firm has withheld payment of Rs. 17,000/- of these poor elephant owners ? If so, why ?

3. Is it a fact that there was a strike on this account ?

4. What amount does this firm charge from the tourists for enjoying this ride and what does it pay to the elephant owners ?

Page No.18

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

5. Does the Government contemplate to finish the monopoly of the said firm to supply elephants to joy riders ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): 1. The Government of Rajasthan have issued orders for allowing entry of only those elephants for tourists jouride at Amber Palace which have been booked through a recognised Travel or Excursion Agency. At the moment there is only one such recognised Excursion Agency, viz. Messrs Tourist Guide Service, Jaipur.

2. As this is a matter between the Agency and the elephant owners, the Government are not aware whether such a payment has been withheld by the Agency.

3. We have no knowledge.

4. The amount charged per elephant is Rs. 32/- out of which Rs. 2/- are paid to the Archaeological Department, Rs. 2/- to the elephant owner and Rs. 3/- to the Travel Agency.

5. No monopoly has been established by the Government. Any travel or excursion agency can set up business and gain recognition from the Government of India on fulfilling certain conditions. Elephants booked through all such recognised agencies will be allowed to be taken to Amber Palace.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : In reply to question 4 you have quoted certain rates. On what basis you have given these rates ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जानकारी करके मालूम किया, वही कहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किससे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन्हीं लोगों से ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो जिस फर्म ने एलीफेन्ट्स का १७ हज़ार का बिल विथहैल्ड कर लिया, इसके लिये जानकारी सरकार नहीं कर सकी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि सरकार टूरिज्म को प्रोत्साहन देना चाहती है और यह टूरिस्टों से चार्ज किया जाता है इस लिये टूरिस्टों के इन्ट्रेस्ट को वाच करने के लिये सरकार को ध्यान रखना पड़ता है । १७ हज़ार विथहैल्ड करने का यह तो इन्डिविजुअल क्वेश्चन है ।

प्रश्न संख्या ७६२ ।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

श्री राधावल्लभ व्यास, नाजिर, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट, जयपुर, के विरुद्ध दायर मामलों में कार्यवाही ।

७६३. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :

(श्री भैरोंसिंह)

क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री राधा बल्लभ व्यास, नाज़िर, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट, जयपुर, को २१।५।५७ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था ?

(२) यदि हां, तो इस नाज़िर के विरुद्ध पुलिस में अब तक कितने मुकदमे कायम हुए, कितनों का चालान किया गया तथा कितने मामलों में यह बरी हुआ ? कितने मामलों में अब तक कब और कितनी कितनी सजा हुई है तथा कितने, किन किन कोर्ट्स में जेर तज़वीज़ हैं ?

(३) किन किन मामलों में फाइनल रिपोर्ट दी गई और कितने मामले कब कब से पुलिस में जेर तफतीश हैं और क्यों ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, यह सही है कि २१।५।५७ को राधाबल्लभ व्यास नाज़िर, को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(२) राधाबल्लभ नाज़िर, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट, के विरुद्ध अब तक कुल २२ मामले पुलिस में दर्ज किये गये उनमें १८ मामलों का अदालत में चालान किया गया है, एक केस में वह बरी हो गया है तीन केसेज़ में उसे सजा हुई, वे निम्न प्रकार हैं :

१. सहायक सिटी मजिस्ट्रेट नं० २, जयपुर की न्यायालय से केस नम्बर २६ में २४।७।५९ को श्री राधाबल्लभ को एक साल की सख्त सजा तथा ५०० रु० जुर्माना हुआ, जुर्माना न देने पर २ माह की सख्त कैद के आदेश हुए।

२. न्यायालय, सहायक सिटी मजिस्ट्रेट नं० १, जयपुर से मुकदमा नम्बर १७ में १।६।५९ को ३ माह की सख्त कैद व ५० रुपया जुर्माना की सजा हुई। अदम अदायगी जुर्माना १ माह सख्त कैद की सजा और सुनाई गई।

३. न्यायालय, सिटी मजिस्ट्रेट नं० २ जयपुर से केस नं० ३ दिनांक ५।६।५९ को ५ माह की सख्त कैद व १०० रु० जुर्माना हुआ जुर्माना न देने पर १ माह की सख्त कैद और भुगतने की आज्ञा हुई।

शेष १४ मुकदमें न्यायालय स्पेशल एक्साइज मजिस्ट्रेट जयपुर में चल रहे हैं।

अभी तक किसी केस में पुलिस की ओर से फाइनल रिपोर्ट नहीं दी गई। चार मामले पुलिस में जेर तफतीश हैं जिनमें २ मामले सन् १९५७ व दो मामले १९५९ के हैं, तफतीश में देरी का कारण कुछ डॉक्युमेंट्स का न मिलना है।

श्री भैरोंसिंह : इन मुकदमों के, जो पेन्डिंग हैं, चालान कब तक हो जावेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिफिकल्टी यह आ रही है कि उसके खिलाफ १८ केसेज़ हैं और डॉकुमेन्ट्स कोर्ट में हैं। जब तक ओरिजिनल डॉकुमेन्ट्स नहीं मिलें तब तक कुछ नहीं देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सूरजमल।

ओसियां तहसील की ग्राम पंचायत घोगानी का चुनाव

७६४. श्री सूरजमल (फलौदी दु०) :

(श्री सूरजमल)

क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ओसियां तहसील के गांव घोगानी पंचायत का चुनाव हो गया ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सच है कि उक्त पंचायत के ८ वार्ड हैं ? यदि, हां, तो उनमें से किन किन वार्ड्स का चुनाव किया है और किस किस वार्ड में किस किस जाति के सदस्य चुने गये ? नाम सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सच है कि कि उक्त पंचायत के दो वार्ड का चुनाव आज तक नहीं किया गया और पंचायत को कार्य आरम्भ करने का अधिकार दे दिया गया है ?

(४) क्या यह भी सच है कि उक्त गांव की पंचायत के सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी पास किया गया ? यदि हां, तो कब ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय):

(१) जी हां । दिनांक १७. १२. ५८ को ।

(२) जी नहीं । ६ वार्ड्स हैं जिनमें निम्नलिखित सदस्य उनके सामने अंकित वार्डों में चुने गये हैं ।

नाम पंच	जाति	वार्ड नं०
१. श्री लिछमन राम	माली	१
२. श्री नैनदास	साद्	२
३. श्री चोलाराम	जाट	३
४. श्री कालूराम	जाट	४
५. श्री धूलाराम	जाट	५
६. श्री दुर्गाराम	कुम्हार	६
७. श्री वीजाराम	जाट	६

(३) जी हां ।

(४) जी हां । दिनांक २६. ३. ५६ को।

श्री भैरोंसिंह : अविश्वास का प्रस्ताव कितने वोटों से पास हुआ था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो नियम है तीन चौथाई का, उसके अनुसार हुआ होगा । इसके बाद की जानकारी आपको मैं दे दूं कि हाई कोर्ट में रिट कर दी गई ।

श्री भैरोंसिंह : यह अविश्वास का प्रस्ताव कितने वोटों से पास हुआ, इसी बात को लेकर हाई कोर्ट में गये थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वह हाई कोर्ट में खारिज हो गई । आप यह कह रहे हैं कि यह खामी रही । वह हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से फैसला हो गया इसलिये रद्द हो गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत विभाग की तरफ से कानून बना हुआ है, उसके अनुसार अविश्वास के प्रस्ताव के लिए तीन चौथाई मत आने चाहिये। मगर वहां पर पंचायत में सरपंच के सहित संख्या १० होती है इसलिए जब तक ८ मत नहीं आवें तब तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आ सकता ? क्या इस अविश्वास के प्रस्ताव में कानून की पूर्ति हुई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शायद ऐसा ही हुआ हो।

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी है या नहीं ? क्या सरकार के पास यह जानकारी है या नहीं कि ८ मत से अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये और अगर वह ८ मतों से पास नहीं हुआ तो सरकार उसको मान्यता नहीं देगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह तो पंचों की जितनी टोटल स्ट्रेन्थ हो उसका ३।४ होना चाहिये। टोटल में सरपंच नहीं माना जाय।

श्री भैरोंसिंह :यह सरकार का आदेश है कि उसमें सरपंच भी रहेगा। इसलिये सरपंच सहित १० होते हैं और अविश्वास के प्रस्ताव के लिए ८ मत आने ज़रूरी थे जो नहीं हुये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १० होंगे तभी तीन-चौथाई हुआ।

श्री भैरोंसिंह : १० पर तीन-चौथाई ८ होते हैं या नहीं ? अगर नहीं थे तो इस प्रस्ताव को मान्यता किस प्रकार से दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि टोटल का तीन-चौथाई होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : कम नहीं चाहिये। क्या यह सही है कि १० का तीन-चौथाई ८ होते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो पोस्ट-मॉर्टम है।

श्री अध्यक्ष : Cause of death का पता उससे ही लगता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या फरमाया ?

श्री अध्यक्ष : ये कहते हैं कि पोस्टमॉर्टम है।

श्री भैरोंसिंह : यह किसका पोस्टमॉर्टम है ? मेरा या उनका या पंचायतों का ?

प्रश्न संख्या ७६५

श्री अध्यक्ष : श्री होतीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर्स का इन्टीग्रेशन

७६६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्तमान समय में कितने पी. आई ज. लॉ ग्रेज्युएट नहीं हैं और उनको कब पी.आई. की पोस्ट पर किन नियमों के आधार पर लिया गया था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जब वर्तमान पी. आईज़. का इन्टीग्रेशन हुआ तब पी. एस. आईज जो लॉ ग्रेज्युएट थे उनको चान्स न देकर दूसरों को दिया गया जो लॉ ग्रेज्यूएट नहीं थे या जूनियर थे ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार के इन्टीग्रेशन का एक कारण लैंथ ऑफ सर्विस भी था और वह सर्विस कॉन्सटेबल के एपॉइन्टमेंट से गिनी गई थी ?

Page No.22

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) इस समय १४ पी. आईज़. लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं। इनमें से ७ का एकीकरण इन्सपेक्टर्स के तौर पर एकीकरण नियमानुसार हुआ था। बाकी के ७ सीनियोरिटी व मेरिट के आधार पर पदोन्नत किये गये थे।

(ख) जी नहीं, उन्हें पी. आई के पद पर नहीं किन्तु इन्सपेक्टर्स के पद पर अन्य इन्सपेक्टरों के साथ इन्टीग्रेट किया गया था। अतः उस समय लॉ ग्रेजुएट पी. एस. आई. के केसेज़ विचार करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री लादूराम सुलाणिया।

सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज में परिगणित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियां

७६७.श्री लादूराम सुलाणियां (दूदू-सु.): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान जन सेवा आयोग ने सन् १९५६ में राजस्थान सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज़ के पदों की नियुक्ति के लिये कुल कितने उम्मीदवारों से साक्षात्कार किया ?

(२) कुल रिक्त स्थानों की संख्या क्या थी ?

(३) परिगणित जातियों के लिये कुल कितने स्थान सुरक्षित थे और उनके लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे ?

(४) कुल कितने परिगणित जातियों के उम्मीदवारों से साक्षात्कार किया गया और उनमें से योग्य व्यक्तियों की क्या संख्या थी ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) २, ३६१।

(२) १, १६४।

(३) (क) ८०। (ख) ४०।

(४) (क) १० और (ख) ६।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट, श्री मोगजी भाई।

आदिवासी मंडल के अन्तर्गत ग्राम मांडवा, तहसील कोटड़ा भोमट में खोली गई प्राइमरी स्कूल।

७६८. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : •क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सन् १९५० में आदिवासी मंडल के अन्तर्गत ग्राम मांडवा, तहसील कोटड़ा भोमट, जिला उदयपुर में प्राइमरी स्कूल खोली गई थी ?

(२) यदि हां, तो सन् १९५० से ५१ तक वहां पर कौन अध्यापक स्कूल का कार्य करता था तथा उसकी नियुक्ति कब हुई और सर्विस कब छोड़ी, यह बतलाने की कृपा करें ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : अध्यक्ष महोदय इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इसलिये इसका उत्तर अगली टर्न पर दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : अगली टर्न पर दिया जावे।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री किशनाराम।

सुजानगढ़ तहसील के ग्राम गोपालपुरा के पास प्राप्त तांबे की खान का विकास

७६६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चुरू जिले में कहां कहां पर किन किन पदार्थों की खानें हैं तथा खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि भूतपूर्व बीकानेर राज्य की ओर से सुजानगढ़ तहसील के ग्राम गोपालपुरा के पास तांबे की खान का पता लगाया गया था ?

(ग) यदि हां, तो सरकार इस खान के विकास के लिये क्या कदम उठा रही है ?

खनिज मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) चूरू जिले में तारानगर के पास जिप्सम, बीदासर एवं घंटीयाल में इमारती पत्थर तथा दरीबा के पास पुरानी तांबे की खान हैं। इसके अलावा जिप्सम का कुछ जमाव सरदारशहर के पास भी है। तारानगर तहसील के जमाव का पूर्वेक्षण विभागीय स्तर पर किया गया और अब वह क्षेत्र खनन पट्टे पर स्वीकृत किया गया है। इमारती पत्थर के प्लॉट खनिकों को स्वीकृत किये गये हैं।

(ख) जी हां, गोपालपुरा के पास बीदासर और दरीबा के बीच पुरानी खानों के आधार पर तांबे का अन्वेषण किया गया था।

(ग) ड्रिलिंग मशीन उपलब्ध होने पर इस क्षेत्र में पुनः कार्य किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री किशनाराम : यह काम कब तक हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

ग्राम ३२ जी० जी० थाना चूनावट में हुई गंगाराम के कत्ल का मामला

८००. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गांव ३२ जी. जी. थाना चूनावट में गंगाराम नाम के किसी व्यक्ति का ४ माह पूर्व कत्ल हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त कत्ल में ५ व्यक्तियों को पकड़ा गया और जेल में रखा गया ?

(२) उक्त कत्ल के केस की किस किस पुलिस अधिकारी ने जांच की है तथा उनका प्रत्येक का क्या २ नतीजा रहा ?

(३) क्या सरकार ने उक्त केस की असलियत का पता लगाने के लिए किसी विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की

(श्री भीमसेन)

थी ? यदि हां, तो किसकी और उसकी अन्तिम रिपोर्ट क्या है ? रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां।

(२) इस मुकदमे की तफतीश थाना पुलिस चूनावट के हैड कॉन्सटेबल व सब-इन्सपेक्टर एवं सी. आई. डी. के इन्सपेक्टर ने की। हैड कॉन्सटेबल ने लादू तथा श्योदान को व थानेदार ने फूला मुन्शी और गुगन को गिरफ्तार किया। इन्सपेक्टर सी. आई. डी. ने इन पांचों मुलजिमान को शिकायत कुनिन्दा की तरफ से झूठा फंसाया जाना पाया और असली मुलजिमान भागीरथ, मनीराम, हीरालाल और लालचन्द पाये। इसलिए उसने इन पांचों मुलजिमान को जेर दफा १६६ सी. आर. पी. सी. में छुड़वाया। इनमें से ४ जेल में थे और एक जमानत पर था और भागीरथ, मनीराम और हीरालाल को गिरफ्तार करके चालान किया और लालचन्द के खिलाफ कार्यवाही जेर दफा ५१२ सी. आर. पी. सी. की की जो कि फरार है।

(३) जी हां, श्री अनोपचन्द इन्सपेक्टर सी. आई. डी. ! इसने भागीरथ, मनीराम, हीरालाल जो कि गिरफ्तार थे के विरुद्ध चालान पेश किया। इसने लालचन्द के विरुद्ध जेर दफा ५१२ सी. आर. पी. सी. की कार्यवाही की जो कि फरार है। क्योंकि सुरक्षित पत्रावली (प्रिविलेज डॉक्यूमेंट) है अतः इसका सदन की मेज पर उपस्थित करना जन-हित में न होगा। मामला अभी अदालत में चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सीकर जिले के लोहे के कोटे को सीकर डिस्ट्रिक्ट आयर्न एन्ड स्टील मर्चेन्ट एसोसियेशन के नाम दिलवाना

८०१. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या मन्त्री, उद्योग विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सीकर जिले का लोहे का कोटा जयपुर के "राजस्थान आईरन एन्ड स्टील मर्चेन्ट्स एसोसियेशन के नाम पर दिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि सीकर जिले के व्यापारियों ने सीकर डिस्ट्रिक्ट के नाम से इस कोटे को उन्हें देने की प्रार्थना की है ?

(३) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश, सीकर ने भी यह सिफारिश की है कि यह कोटा सीकर जिले के व्यापारियों को ही दिया जावे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई है ?

उद्योग मंत्री(श्री रिखबचन्द धारीवाल): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इसका निर्णय कब तक हो जावेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार पिछले साल का कोटा निर्धारित करने से पहले इस पर निर्णय ले लेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार कलकत्ता में आइरन एन्ड स्टील कम्पनी को रिकमन्ड करके भेजती है।

श्री भैरोंसिंह : नेक्स्ट इयर जो कोटा निर्धारित करके भेजेगी उसके पहले इसका निर्णय कर लेगी और उनको कोटा मिल जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सरकार तो सिफारिश कर सकती है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार तो रिकमन्ड करती है।

प्रश्न संख्या ८०२

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री धर्मपाल पंवार।

हनुमानगढ़ में एडीशनल जज की अदालत की मांग

८०३. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु०) : क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा नोहर, भादरा के बार एसोसियेशन्स ने कोई स्मरण-पत्र राजस्थान सरकार को कुछ समय पूर्व दिया था ?

(ख) क्या उक्त स्मरण-पत्र में यह मांग की गई है कि उक्त तहसीलों में फौजदारी तथा दीवानी के मुकदमों की संख्या को देखते हुए हनुमानगढ़ में एक एडीशनल जज की अदालत होना निहायत जरूरी है ?

(ग) क्या सरकार उक्त तहसीलों के फौजदारी तथा दीवानी मुकदमों की संख्या को देखते हुए हनुमानगढ़ में उक्त अदालत की एक ब्रांच खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक खाल दी जायेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां। एक स्मरण-पत्र बार एसोशियेशन हनुमानगढ़ से कुछ समय पूर्व प्राप्त हुआ था बाकी और कहीं से भी कोई स्मरण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) जी हां। उसमें ऐसी मांग की गई थी कि सिविल एन्ड एडीशनल सेशन्स जज, गंगानगर की कोर्ट को गंगानगर से हटा कर हनुमानगढ़ में रखा जाय।

(ग) यह मामला विचाराधीन है।

श्री धर्मपाल पंवार : यह कब तक खोल दी जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : खोलने की बात कहां है ? हाई कोर्ट को भेजा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री बी. एन. जोशी।

Page No.26

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : On a point of personal explanation. Before raising the question, I wish to draw your attention to the question......

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : This is question hour, and no point of explanation can be raised.

श्री बी० एन० जोशी : I would draw the attention of the Chair to certain grammatical mistakes that have crept in question owing to printing errors or.

श्री श्रीभानसिंह : Your qualification of M. A. in English is recognised. Why do you worry ?

श्री बी० एन० जोशी : It is a horrible murder of King's English and I request that suitable action...

श्री श्रीभानसिंह : I must correct you. Today it is Queen's English.

(हंसी)

श्री बी० एन० जोशी : It will remain a subject of distress to me who is holder of Master's Degree in English. It must be corrected.

श्री अध्यक्ष : Question No. 804

बांदीकुई के सहायक कलेक्टर एवं न्यायधीश की जिला परिषद के सचिव के पद पर नियुक्ति इत्यादि

८०४. श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) When did the last Assistant Collector and Magistrate, Bandikui, handed over charge consequent on his appointment as Secretary Zila Parishad ?

(b) When did the present incumbent had taken over charge of this Office ?

(c) How many Criminal and Revenue cases had to be adjourned for want of a Presiding Officer at the Bandikui Court during the intervening period ?

(d) How many other Courts in Rajasthan remained without Presiding Officers for periods longer than a fortnight as a result of the sudden appointment of R A. S. Officers as Zila Parishad Secretaries ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (a) 24th Sept., 1959.

(b) 30th January, 1960.

(c) 159 Criminal cases and 50 revenue cases.

(d) Four.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बी. एन. जोशी : What was the reply to part (d)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोगजी भाई।

श्री बी. एन. जोशी : (अश्रव्य)

[श्री रिखबचन्द धारीवाल (समाज कल्याण मंत्री) प्रश्न द्वारा उत्तर देने को खड़े होने पर।]

श्री पुरूषोमनलाल शर्मा (किशनगढ़): अब तो दूसरा प्रश्न शुरू हो गया।

राजकीय मिडिल स्कूल, खान्दू (बांसवाड़ा) में सेवा-मंडल छात्रावास की आदिवासी छात्राओं को सहायत न मिलना

८०५. श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजकीय मिडिल स्कूल, खान्दू, तहसील बांसवाड़ा, में सेवा मंडल छात्रावास की किन २ आदिवासी छात्राओं ने सन् ५७-५८ व ५८-५९ में शिक्षा प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सही है कि उक्त छात्राओं को समाज कल्याण विभाग से सहायता दी जाती थी ? अगर हां, तो वार्षिक या मासिक तथा किसके द्वारा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उक्त खान्दू शाला के छात्रावास में रह कर शिक्षा पाने-वाली छात्राओं की सहायता बन्द कर दी गई है ? अगर हां, तो किसके आदेश से और क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) सन् १९५७-५८ व ५८-५९ में किसी भी आदिवासी छात्रा (लड़कियों) ने सेवा मंडल छात्रावास में रह कर शिक्षा प्राप्त नहीं की।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोगजी भाई : क्या यह छात्रावास दो तीन साल नहीं चला है ? जब चला है तो सहायता देने का प्रश्न क्यों नहीं उठता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने यह कहा कि लड़कियों ने आदिवासी छात्रावास में रह कर शिक्षा प्राप्त की। मैंने यह जवाब दिया कि लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त नहीं की, लड़कों ने की।

श्री मोगजी भाई : यह छात्रावास तो लड़कियों का है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लड़कों के बारे में जो कुछ दिया गया है, मैं आपको बताऊं कि ५७-५८ में १३ लड़के, ५८-५९ में १५ लड़के। इन लड़कों को वहां पर शिक्षा प्राप्त करने के सिलसिले में जो विभागीय सहायता इन्स्टियुशन को दी जाती है वह दी गई है, इन्डिविजुअल छात्रों को नहीं दी जाती है। यह वॉलेन्टियर एजेन्सी के द्वारा चलाया गया छात्रावास है।

श्री मोगजी भाई : यह छात्रावास अभी चल रहा है या बन्द कर दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : छात्राओं की संख्या अपर्याप्त होने से इस छात्रावास ने चलना बन्द कर दिया है।

श्री मोगजी भाई : किसके द्वारा बन्द कर दिया गया है ? किसके आदेश से ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सतवन्तकौर।

गंगानगर में स्कूल व कॉलेज भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत्त धनराशि

८०६. श्रीमती सतवन्तकौर [करणपुर-डॉ० चन्द्रकला [किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १६५६–६० में सरकार द्वारा स्कूल भवनों व कॉलेजों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि जिला गंगानगर के लिये स्वीकार की गई थी ?

(ख) उपरोक्त धनराशि में से कितनी रकम खर्च की जा चुकी है तथा ३१ मार्च तक कितनी और खर्च होने की संभावना है ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) २, ४३,०००) रु०

(ख) २६. २. ६० तक १७,८३७) रु० खर्च किये जा चुके हैं व ३१. ३. ६० तक १८,७६३) रु० और खर्च होने की संभावना है। वर्क्स इन प्रोग्रेस है।

डॉ० चन्द्रकला : ३१ मार्च समाप्त हो गई तो क्या जो रुपया जितना खर्च होना चाहिये था वह सारा रुपया खर्च हो गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शायद माननीय सदस्या ने मेरे उत्तर को सुना नहीं। मैंने कहा कि २६. २. ६० तक १७,८३७ रु० खर्च किये जा चुके हैं और ३१. ३. ६० तक १८,७६३) रु० और खर्च होने की संभावना है। बचे हुए दो लाख रुपये फिर खर्च होंगे।

डॉ० चन्द्रकला : बचा हुआ क्यों रह गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बजट के साल के शुरू में यह मंजूर नहीं हुआ बाद में दिसम्बर में मंजूर हुआ।

डॉ० चन्द्रकला : ज़िले की आवश्यकता को समझ कर सरकार ने मंजूर किया होगा, खर्च करना चाहिये था वह क्यों नहीं किया गया ?

प्रश्न संख्या ८०७

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

औद्योगिक संस्थाओं पर किया गया खर्चा

८०८. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या वाणिज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में किन २ स्थानों को सरकार ने औद्योगिक संस्थान (Industrial Estate) घोषित किया है और उन स्थानों पर सरकार की ओर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आज तक कितनी कितनी धन राशि खर्च हो चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No.29

(श्री मूलचन्द डागा)

(ख) इन प्रत्येक औद्योगिक संस्थान के लिये सरकार ने कितनी धनराशि मुकर्रर की थी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) राजस्थान में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ स्थानों को औद्योगिक संस्थान स्थापित करने का निश्चय किया गया है। नाम व उन पर जो धन राशि खर्च हो चुकी है उसकी सूची इस प्रकार है :—

१. जयपुर	१२,२३,६७३)
२. भीलवाड़ा	२, ३०,१७३)
३. माखूपुरा	१, २४,७२१)
४. गंगानगर	२, १२,०००)
५. कोटा	५०,०००)
६. भरतपुर	१८,६६४)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : How an Industrial Estate is started with Rs. 180/- ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक्सपेन्सेज आज तक हुए उसका ब्यौरा है।

श्री अध्यक्ष : पहले बचे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दीजिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल :

७. जोधपुर	१, १०,३६६)
८. उदयपुर	....

(ख) जो धन राशि इन संस्थानों के लिये अलग अलग द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

१. जयपुर	२५ लाख
२. भीलवाड़ा	१० ,,
३. माखूपुरा	३ ,,
४. गंगानगर	५ ,,
५. कोटा	५ ,,
६. भरतपुर	८.४१ ,,
७. जोधपुर	४ ,,
८. उदयपुर	३ ,,
	६३.४१ लाख

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I want to ask a supplementary, Sir, यह जो पैसा खर्च किया है इसको कब तक रिकूप करेंगे ? क्या हिसाब है इसका ? How do you want to recoup the amount spent on these Industrial Estates ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : रेन्ट के जरिये दिया जाता है, सालाना रेन्ट है। इसका हिसाब लगा कर बताना तो मुश्किल है। जो रुपया जिसमें खर्च हुआ है वह असल रकम नहीं ली जावेगी, सिर्फ किराया लिया जावेगा।

श्री पी० के० चौधरी : But there must be some estimate that this is the estimated grant by which you expect to recover the amount in so many years.

Page No.30

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सारा का सारा ऑल इन्डिया पेटर्न है । वे बता देते हैं कि ए क्लास के शेड बनेंगे, बी क्लास के शेड बनेंगे, सी क्लास के शेड बनेंगे। जितना एक्सपेन्डीचर होता है उसके हिसाब से बता देते हैं। ६ पर्सेन्ट से ज्यादा रेन्ट नहीं चार्ज करना चाहिये वह भी सब्सिडाइज्ड हो जाता है कुछ साल के लिए। असल रकम के वसूल करने का कोई सवाल नहीं है। शेड्स लीज़ पर दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री पी. के. चौधरी।

८ मार्च, १९६० का स्थगित प्रश्न

लोहे एवं इस्पात के आयात अनुज्ञा-पत्र

२८६. श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Civil Supplies Minister be pleased to state:—

1. What is the quantity of iron and steel for which import licences have been issued to the following firms for the licensing periods ;-

April-September. 1959 and

October, 1959, March, 1960

and what is the quantum and type of iron and steel each one of these firms have actually imported during these periods ?

1. M/s. Jaipur Cycle & Parts Industries, Jaipur.

2. R. S. Brothers, Jaipur.

3, Rajasthan Cycle Industries, Jaipur.

4. Wire Products, Jaipur.

5. Rajasthan Wire Netting Factory, Neem-Ka-Thana.

6. Ashoka Wire Netting Industries, Jaipur.

7. Rajasthan Iron & Steel Manufacturing Works, Jaipur.

8. Rajasthan Steel Corporation, Jaipur.

9. Khandelwal Udyog, Jaipur.

10. Jaipur Wire Netting.

11. Rajasthan Wire & Steel Company ?

2. What are production figures of these firms for the period in question ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1. The list has been placed on the Table of the House.

Figures of the quantity for which the import licences have been issued are not available as the same have not been communicated by the controlling authority of the Central Government.

2. In the list you will find that for some firms production figures have been given.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

Page No.31

श्री पी० के० चौधरी : आपसे दस फर्म्स का नाम पूछा था। आपने तो पांच फर्म्स के प्रोडक्शन के फिगर्स दिये ही नहीं। जयपुर में ही ये फर्म्स हैं और आप उनके प्रोडक्शन के फीगर्स क्यों नहीं कलेक्ट कर सके? All these 10 firms are at Jaipur. So what was the difficulty in collecting their production figures ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उनके प्रोडक्शन फिगर्स कलेक्ट करवा रहे हैं। बात यह है कि लाइसेन्सेज़ इश्यु किये गये हैं, माल मिल जाय और फिर बनाना शुरू करें। उनके प्रोडक्शन फिगर्स कलेक्ट कर रहे हैं। जितना बनाया उतना इस लिस्ट में दे दिया है।

श्री पी०के० चौधरी : My question was that these 10 firms are at Jaipur. So what was the difficulty in getting their figures ? Even by telephonic contact you could have obtained these.

श्री अध्यक्ष : It is not as easy as that. टेलीफोन से ऐसी जानकारी थोड़े ही आ सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : आइटम नं० ५ अशोक वायर नेटिंग कम्पनी को लगभग ५८-५९ में आपने १०० टन्स, you have given it over 100 tons and they have produced only 28 tons of wire netting. What about the remaining ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : We have given Essentiality Certificate for 86 tons of G. I. wire, 50 tons of wire shorts, steel wire 2. tons and M. S. wire 22. 5 tons.

श्री पी० के० चौधरी : फर्म्स नं० में देखिये। १०० टन्स दिया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already told the figures.

श्री पी० के० चौधरी : सब मिला कर १५० टन्स होता है। But their production is only 28 tons.

श्री अध्यक्ष : आप उनसे प्रोडक्शन फिगर्स मंगाते रहते हैं न ? You usually get the statement about their production ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This is only the Essentiality Certificate for importing. Whether they have actually received the material or not, we can't say. Sometimes they get the material even after a year.

श्री पी०के० चौधरी : My question was not for Essentiality Certificate but for iron and steel.

श्री अध्यक्ष : For that he says that the controller has not intimated to them the figures of the material actually received.

श्री पी० के० चौधरी : The whole thing is that there is lot of black marketing in this. Other thing is...

श्री अध्यक्ष : No more questions. Next.

श्री पी० के० चौधरी : One supplementary.

श्री अध्यक्ष : No supplementaries. We have lot of questions. You will only multiply the examples. He cannot say how much material they have actually got. It is not they who give the permits. They only give Essentiality Certificates.

(विराम)

Shri Mool Chand Daga.

११ मार्च, १६६० के स्थगित प्रश्न पाली तहसील में घरेलू उद्योगों के लिये दिया गया ऋण

३४०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली तहसील में किन किन घरेलू उद्योगों के लिये आज तक किन किन को कितना कितना लोन दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) जिस जिस गृह उद्योग के लिये सरकार ने धनराशि दी है, क्या वह उसी काम में जाती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) [महादेव घानी तेल उत्पादक समिति को ६,१०० रु० और खैरवा सहकारी तेल उत्पादक समिति को २,२१२ रु०, ८आ० की सहायता दी गई।

(ख) जिस कार्य के लिये सहायता दी गई उसी कार्य में ली जा रही है।

शिक्षकों की सीनियोरिटी का आधार

३४१. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सीनियोरिटी योग्यता बढ़ाने की तिथि से गिनी जाती है या ग्रेड पाने की तिथि से अथवा नियुक्ति की तिथि से ?

(ख) क्या इन्सपेक्टर, शिक्षा विभाग, कोटा की आज्ञा दिनांक १४-११-५६ के अनुसार दिनांक १-७-५५ से कुछ अध्यापकों को नये ग्रेड में वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों की तथा किस आधार पर ?

(ग) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग की इस आज्ञा के विरुद्ध दिनांक २४-१-५७ से लगाकर दिनांक २६-११-५६ तक विभिन्न अध्यापकों के द्वारा रिप्रेजेन्टेशन्स डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग, राजस्थान बीकानेर, को भेजे गये हैं ?

(घ) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या यह सही है कि इन्सपेक्टर शिक्षा विभाग, कोटा ने अपनी इस गल्ती को आज्ञा क्रमांक २६१६२—६४ दिनांक ३०-६-५८ में स्वीकार भी किया है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) प्रीमर्जर शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से तथा पोस्ट मर्जर की ग्रेड पाने की तिथि से वरिष्ठता मानी जाती है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ख) जी हां। ३१ अध्यापकोंको अन्ट्रेन्ड मेट्रिक ग्रेड में अपग्रेड किया गया। ये अपग्रेडिंग सन् १६५४ तक मैट्रिक पास करने वाले अध्यापकों को ही सीनियोरिटी के आधार पर किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) रिप्रेजेन्टेशन्स प्राप्त होने पर उन्हें उचित उत्तर दिया जाता रहा है। क्योंकि रिक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण रिप्रेजेन्टेशन कर्ताओं को अपग्रेड नहीं किया जा सका।

(ड) शिक्षा निरीक्षक, कोटा ने कोई त्रुटि की हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

श्री दयाकृष्ण विजय : कितने अध्यापकों ने इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन किया था?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : तीन अध्यापकों ने।

१८ मार्च, १६६० का स्थगित प्रश्न

देसूरी विकास खंड द्वारा ग्राम पंचायत बूसी को विकास कार्य हेतु प्रदत्त धनराशि

४६३. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले के देसूरी विकास खंड द्वारा ग्राम पंचायत बूसी को विकास कार्य हेतु विकास खंड शुरू होने से ३१ मार्च, १६५६ तक पंचायत बूसी के अधीनस्थ किन किन गांवों में, किन किन कार्यों के लिये, किस किस तारीख को कितनी धनराशि दी गई और कौन कौन से कार्य सम्पूर्ण हो गये हैं व कौन कौन से कार्य बकाया हैं?

(२) किन किन कार्यों में कितनी कितनी धनराशि जनसहयोग की प्राप्त हुई है और किन किन कार्यों का हिसाब पेश किया जा चुका है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

विकास मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कौन कौन से कार्य पूरे हो गये हैं अथवा बाकी है इसकी पर्याप्त रूप से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(२) पर्याप्त सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री बेनाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जब कि पहले भी यह सवाल पोस्टपोन हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : आपने तो सारी लिस्ट मांग ली है।

श्री बेनाराम गहलोत : एक पंचायत सर्किल की ही मांगी है।

श्री अध्यक्ष : आप भी तो पंचायत समिति के सदस्य होंगे। सारी लिस्ट से आपको क्या मतलब है?

श्री बेनाराम गहलोत : काफी कार्य अधूरे पड़े हैं।

Page No.34

श्री अध्यक्ष : जिला परिषद् द्वारा पंचायत से जवाब तलब कीजिये ।

श्री बी० एन० जोशी ।

२१ मार्च, १९६० का स्थगित प्रश्न

अजमेर में कुछ कार्यालयों का स्थानान्तरण

५३८. श्री बी० एन० जोशी (बांदी-कुई) :- Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) Whether the Government has taken final decision regarding the shifting of certain Government Offices to Ajmer in accordance with the recommendations of the Capital Enquiry Committee ?

(b) What Goveernment Offices or other establishments have already been shifted to Ajmer in connection with the implementations of these recommendations ?

(c) When the Government proposes to shift back the Offices of the Commissioner, Jaipur Division, the D. I. G., Jaipur Division and all other Divisional Offices of the Jaipur Division now located at Ajmer which had only tentatively been shifted to Ajmer on the merger of Ajmer in Rajasthan pending the enquiry and report of the Capital Enquiry Committee and the decision thereon ?

(d) Is the Government aware that as a result of the above mentioned Divisional Offices continuing at Ajmer instead of at a far more centrally situated place as Jaipur, a great deal of hardship and inconvenience is being caused to the residents of Jaipur Division in general, besides avoidable loss of time, money and human effort in Government work ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (a) Yes please.

(b) The Rajasthan Public Service Commission, Board of Revenue for Rajasthan.

(c) No such proposal is under consideration of the Government.

(d) Government decision for shifting the Courts and Offices mentioned in (b) above was based on the recommendations of the Capital Enquiry Committee appointed by the Government.

श्री बी० एन० जोशी : Is it a fact that the initial decision of the Government to shift the Divisional Headquarters pending the report of the Enduiry Commission was a ten ative one.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बाद राव कमेटी की रिपोर्ट आ गई और ये डिपार्टमेंट वहीं पर चालू रहे और उसी कल्पना को सामने रख कर यह रिपोर्ट दी गई।

श्री बी० एन० जोशी : Is it also a fact that the location of these Divisional Headquarters at Ajmer militates against the considerations of admini-

Page No.35

(श्री बी एन. जोशी)

strative efficiency and administrative economy ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रश्न बिल्कुल अलग है।

श्री बी० एन० जोशी : Is it not a concession to the regionalism to sacrifice administrative economy and administrative efficiency to regional considerations ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एडमिनिस्ट्रेटिव एफीशियेन्सी का इतना सवाल नहीं कुछ खर्चा जरूर जानेवालों का बढ़ जाता है और उन लोगों के आधार पर यह निर्णय और तरह का हो सकता है।

श्री बी० एन० जोशी : Is it not a fact that no mention was made in the recommendations of the Rao Committee regarding the Divisonal Offices ? The Rao Committee had only opined that the Board of Revenue, Public Service Commission and the University Offices should be shifted there, but there was absolutely no mention in the Rao Committee report regarding the Divisional Offices.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मानकर चले थे कि ये शिफ्ट हो चुके थे।

श्री बी० एन० जोशी : But such a presumption is not warranted by the Language of that report. Is it a fact that such a presumption is not warranted by that report ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री बी० एन जोशी : No Sir, the last supplementary has not been replied. Whatever may be the opinion of the Chief Minister he may say ?

श्री अध्यक्ष : That you know very well.

श्री बी० एन० जोशी : But the House should know it. The House is entitled to know it, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२.१७ म० प०

जयपुर स्थित माधोविलास एवं बम्बई-वाला औषधालय सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : वि. सं. (१४) ने दिनांक २७ मार्च, १९६० को जयपुर स्थित माधोविलास एवं बम्बई वाला आयुर्वेद हॉस्पिटल में रोगियों को दिये गये दूध से उत्पन्न स्थिति से संबन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस बारे में मुझे जो जानकारी मिली है। उससे विदित होता है कि सरकार द्वारा इस मामले में छानबीन की जा रही है तथा मेडीकल ज्युरिस्ट के पास से रिपोर्ट आनी बाकी है। यह मामला इतने सार्वजनिक महत्व का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर विचार किया जाय। अत: मैं इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। इस संबन्ध में मैं यह चाहूंगा कि माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

सदस्यों की जानकारी के लिये सरकार द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया जाय ।

श्री भीखाभाई (आयुर्वेद मन्त्री) : दिनांक २७. ३. ६० को लगभग ८॥ बजे प्रात: माधोविलास स्थित गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कॉलेज की आरोग्यशाला तथा लगभग ७ बजे प्रात: सूरजमल बम्बई वाला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, किशनपोल बाजार, जयपुर में श्री कन्हैयालाल आवतराम सिन्धी दूध के ठेकेदार ने दूध सप्लाई किया जिसे गर्म करने के बाद रोगियों को अपनी अपनी मात्रानुसार पिलाया गया । करीब घंटे, दो घंटे बाद उन रोगियों को दस्त व उल्टी होने लगी और जब यह शिकायत उत्तरोत्तर बढ़ाती गई तो यह सन्देह हुआ कि दूध कदाचित् विषैला हो गया है । अत: तत्काल उपयुक्त चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया जिससे उक्त दोनों स्थानों के रोगियों को रात के १०-११ बजे तक पुन: शान्ति मिली । केवल एक रोगी की अत्यधिक वमन होने के कारण हालत खराब देखी गई और उसको तुरन्त आइसोलेशन चिकित्सालय में भिजवा दिया गया जिसकी हालत दूसरे दिन सुबह तक ठीक हो गई और अब बिल्कुल ठीक है ।

ज्योंही यह घटना ज्ञात हुई माधोविलास स्थित आरोग्यशाला के अध्यक्ष ने एक रिपोर्ट इन्चार्ज, कोतवाली पुलिस, जयपुर, को और दूसरी रिपोर्ट प्रिन्सिपल, गवर्नमेन्ट आयुर्वेद कॉलेज को भेज दी । रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् श्री गोपालराम सब-इन्सपेक्टर के साथ आरोग्यशाला माधोविलास पहुंचे और रोगियों से पूछ-ताछ करने के बाद दूध के तथा उल्टी के नमूनों को ले गये । जिसे उन्होंने मेडीकल ज्युरिस्ट को परीक्षार्थ भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई । इसी प्रकार सूरजमल बम्बईवाला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के तत्कालिक इन्चार्ज ने कोतवाली पुलिस और नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट की । स्वास्थ्य अधिकारी भी सीलबन्द बोतल जिसमें दूध था ले गये और उसे सवाई मानसिंह मेडीकल कॉलेज स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिये भेज दिया । जांच की रिपोर्ट अभी अभी प्राप्त हुई है जो इस प्रकार है:—

"Report of Dr. H. S. Andleigh, Pathology Departmant is that in milk sample Coogulase Positive Staphylo co-os pyogenes (aureus) were found.

Hence it is evident that the causative organisms responsible for food poisoning case was perhaps due to milk contaminated with staphylo cocos pyogenes Bacteria. The possible source of contamination could be from the udder of the cows which might have been infected, or wounds or sore discharge from the hands of persons who have milked the cows or handled the milk till it was supplied or Bacteria could have also come to milk if the persons and the milk handlers were suffering from sore throat etc."

श्री भैरोंसिंह : आपने जो रिपोर्ट पढ़ी क्या वह मेडीकल जूरिस्ट की है ?

श्री अध्यक्ष : मेडीकल कॉलेज की लेबोरेटरी की रिपोर्ट है ।

Page No.37

श्री भैरोंसिंह : दूसरी जगह भी भेजा है न ?

श्री भीखाभाई : वहां की रिपोर्ट आई ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : वह जब आवे तब उसके आधार पर क्या स्थिति बनती है, उसका भी थोड़ा स्पष्टीकरण कर दें तो ज्यादा ठीक हो।

श्री अध्यक्ष : वह तो जो जरूरी होगा किया जावेगा तथा वह आगे भी, मैं समझता हूं, सरकार इसके बारे में जागरूक है।

श्री भीखाभाई : जो आवश्यक कार्यवाही होगी कर ली जावेगी। पुलिस ने उसे भेजा है, रिज़ल्ट आवेगा और गल्ती मालूम होगी तो तुरन्त उनको गिरफ्तार करके चालान कर देंगे। पर यह तो यहां का सवाल है जो हैल्थ ऑफिसर को दिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है और वह मैंने आपके यहां पेश कर दी है।

श्री भैरोंसिंह : एक क्वेश्चन का जबाब और दे दें। इस घटना के बाद क्या उस व्यापारी से दूध नहीं लिया गया ? जिसको पकड़ा है उससे अब दूध न लेकर क्या दूसरे से लिया जा रहा है या उसी से लिया जा रहा है अभी तक ?

श्री भीखाभाई : अब तो बन्द हो गया।

श्री अध्यक्ष : इस घटना के बाद से दूध नहीं लिया है न उससे ?

श्री भीखाभाई : मेरी जानकारी यह है कि हैल्थ ऑफिसर को लिख दिया गया है कि दूध दूसरे से लिया जाय, दूसरों से टेन्डर मांग लिये गये हैं, उससे नहीं लिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह भी सही है कि पहले के हैल्थ ऑफिसर ने शिकायत की थी कि इस दूध में पाउडर्ड मिल्क आता है और उसके पुराने होने के कारण उसमें कुछ इस प्रकार के पदार्थ होते हैं कि जिससे दूध विषैला बन जाता है। क्या इस प्रकार की सूचनायें पहले भी इस विभाग को आई थी ?

श्री भीखाभाई : यह अलग से प्रश्न है। न मालूम किससे सम्बन्धित रखते हुए मामले को आपने इस सवाल से जोड़ा है। यह अलग सवाल है, वह अलग है।

श्री भैरोंसिंह : माधोविलास से हर तीसरे रोज दूध भेजा जाता है लेबोरेटरी को टैस्ट होने के लिये, तो क्या उस सम्बन्ध में यह जानकारी सामने नहीं आई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया(मुख्य मंत्री): यह तो अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट इस मैटर पर इश्यु करना था वह कर दिया। यह बहस उस पर क्यों हो रही है ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें क्या है ? मैं तो जानकारी ही ले रहा हूँ। आखिर रोगियों को ज़हर देते हैं तो उस पर अगर पूछा जावे तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी को उस पर आपत्ति क्यों हो रही है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (**किशनगढ़**): आप ज़हर देते हैं, यह कहना गलत है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी अव्यवस्था से, यह तो लोगों को ज़हर लगता है।

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिज़नैस ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रिविलेज़ मोशन है ।

श्री अध्यक्ष : आपको कह दिया था कि लेट आया है । विचार करके कल आपको सूचना दे दूंगा ।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था ।

श्री अध्यक्ष : उसका जवाब भी कल दिया जावेगा ।

श्री लच्छूराम : वह तो बहुत ही सार्वजनिक महत्व का है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो उसको खारिज़ नहीं करके कल के लिये रखा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई ।

१२.२२ म० प०

राजस्थान सिंचन तथा जल-निकास (संशोधन) विधेयक, १९६०
(पुनर्स्थापन)

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : मैं राजस्थान इर्रिगेशन एण्ड ड्रेनेज़ (संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान इर्रिगेशन एण्ड ड्रेनेज़ (अमेंडमेंट) बिल, १९६० को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री भीखाभाई : मै विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

१२.२३ म० प०

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९६० (अग्रेत्तर खंडशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल, १९६० । श्री पी० के० चौधरी । आपने क्लॉज़ १४ पर जो संशोधन रखे थे उन पर आप कृपया बोलें ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have moved my amendments.

श्री अध्यक्ष : You have moved them, but you can now speak on them.

श्री पी० के० चौधरी : I don't want to speak on them, Sir. The amendments are self explanatory. दो अमेंडमेंट्स मेरे हैं, वे सैल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं । सेल्स टैक्स एक्ट के अन्दर में रूल्स बनाये जावेंगे वे सारे के सारे रूल्स हाउस के नेक्स्ट सेशन में रखे जावें, यह अमेंडमेन्ट है ।

जन-लेखा एवं प्राक्कलन समिति के मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष : There is one announ-

(श्री अध्यक्ष)

cement I would like to make. मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि जन-लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १६६०-६१ के चुनाव के फलस्वरूप निम्न-लिखित उम्मीदवार नामज़द किये गये :

जन-लेखा समिति

१. श्री बेनाराम गहलोत
२. श्री नाथूलाल करोल
३. श्री प्रभुलाल पुरोहित
४. श्री भीमसेन
५. श्री परसराम मदेरना
६. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
७. श्री हरिदेव जोशी
८. श्रीमती सुमित्रा
६. श्री श्रीमानसिंह
१६. श्री भवानीशंकर नन्दवाना
११. श्री लच्छूराम
१२. श्री मोगजी भाई
१३. श्री रामप्रसाद लड्ढा
१४. कुमारी शन्नोदेवी शर्मा
१५. श्री तनसिंह
१६. श्री भैरोंसिंह (१४)

प्राक्कलन समिति

१. श्री रामचन्द्र
२. श्री बेनाराम गहलोत
३. श्री नाथूलाल करोल
४. श्री प्रभुलाल पुरोहित
५. श्री मोहरसिंह
६. श्री किशनलाल शर्मा
७. श्री पी० के० चौधरी
८. श्री अमृतलाल यादव
६. श्री रामप्रसाद लड्ढा
१०. श्री बासीराम यादव
११. श्री धन्नालाल हारीत
१२. श्री भंवरलाल शर्मा
१३. श्री मोगजी भाई
१४. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला
१५. श्रीमती प्रभा मिश्रा
१६. श्री चन्द्रसिंह यादव
१७. श्री रामनारायण वर्मा
१८. श्री अब्दुलगफ्फारखां
१६. श्री भोलानाथ
१०. श्री अनूपसिंह
२१. श्री मुक्तिलाल मोदी

जो सदस्य अपने नाम वापिस लेना चाहें वे कृपया अभी सदन में वक्तव्य द्वारा वापिस ले सकते हैं।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : मैं अपना नाम वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु०): मैं अपना नाम दोनों समितियों से वापिस लेना चाहता हूँ।

श्रीमती शन्नोदेवी (सुजानगढ) : मैं अपना नाम वापिस लेना चाहती हूँ।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : मैं जनलेखा समिति से अपना नाम वापिस लेना चाहता हूं।

Page No.40

एक माननीय सदस्य : मैं अपना नाम वापिस लेना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपकी सहमति हो और सदन की स्वीकृति हो तो विथ्ड्राल का टाइम और बढ़ा दिया जाय तो हम प्रयत्न करें युनेनिमस होने के लिये।

श्री अध्यक्ष : इसमें चार बजे तक ले सकते हैं। इसके बाद अनाउन्स कर देंगे। अगर विथ्ड्रा और भी करना होगा किसी को तो सदन में कर सकता है।

१२.२५ म० प०

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६०

(पूर्वक्रम से)

श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have already spoken.

श्री रामचन्द्र चौधरी (अतिरिक्त कर मंत्री) : फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो दो अमेंडमेंट्स रखे हैं, एक तो जो अमेन्डिंग बिल है उसमें पहले से मौजूद है, दूसरा जो सेक्शन २६ में रखा है उसको मैं मानता हूँ, अगर वे इस बात पर सहमत हो जावें कि "All the Rules made after the first April, 60." will be laid on the Table of the House...

[संशोधन जो मंत्री महोदय ने संशोधन सहित स्वीकार किया वह इस प्रकार है :

"Clause 17 :—In the amendment No.10 by Shri P. K. Chowdhry insert the words and figures. 'After the 1st April, 1960' between the words 'Rules made' and 'under this Act' appearing in line 1 of the proposed sub-section (6).''']

श्री पी० के० चौधरी : हम एक्सेप्ट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले वाले भी रख सकते हैं।

श्री रामचन्द्र (डग-मु०) : हाउस की कमेटी के सामने वैसे भी आते हैं।

श्री अध्यक्ष : I will put the amenment to vote as amended.

श्री अध्यक्ष : और कुछ कहना है आपको ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह हो चुका और, मैं अब प्रस्ताव करूंगा कि इस बिल को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : इसका एग्ज़ेक्ट अमेंडमेंट जो है उसको ड्राफ्ट करके तय कर लिया जावे। प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी का संशोधन इस हेर-फेर के बाद, जो कि माननीय मंत्री ने अनुमोदित किया है, स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

Page No.41

(श्री अध्यक्ष)

संशोधित क्लॉज़ १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गय ।

(विराम)

क्लॉज १८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १८विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया

(विराम)

क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जो गये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को पारित किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १६६० को पारित किया जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१२.३० म० प०

राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १६६०

(विचार-विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १६६०, को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : Motion moved. Rao Raja Shri Sardar Singh.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बहुत से संशोधन आये हैं, पब्लिक ओपीनियन हेतु सर्कुलेट करने के लिए और सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए और उसके बाद में क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विधेयक के ऊपर विचार होगा; इसलिए आप संक्षेप में बोलें ताकि अमेंडमेंट्स पर ज्यादा समय दे सकें ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने जो यह राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १६६० का बिल पेश किया है उसमें मेरा यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक को दो माह के अन्दर जनमत जानने हेतु परिचारित किया जाये।

Page No.42

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी के राज्यकाल में बहुत से महत्वपूर्ण कानून पास हुए हैं और वाकई में इनका नाम. जैसे पहले के नाम आज हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, वैसे ही हमारे आगे आने वाले ही इनका नाम पढ़ते रहेंगे । जैसे पहले त्रेता युग में परशुरामजी का अवतार हुआ था आज इस युग में हमारे राजस्व मंत्रीजी का अवतार हुआ है। अब हमारे राजस्व मंत्रीजी को शायद हर समय यही चिन्ता रहती होगी कि मैं किस तरह इस वर्ग विशेष को खत्म करूं। आपने पहले जागीरदारी को खत्म किया उसके बाद में जमीदारी को खत्म किया और उसके बाद में बिस्वेदारी को खत्म किया और अब राजस्व मंत्रीजी काश्तकारी खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण बिल ला रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय राजस्व मंत्रीजी को जरा सा भी फालतू टाइम मिल जाता है तो वे यही सोचा करते हैं कि अबकी से क्या लाना है; अब की से किस को खत्म करना है ? तो मैं अर्ज करता हूँ आपने बड़े बड़े कानून चला दिए सीलिंग भी इम्पोज़ कर दिया ; अब जब आपने सीलिंग इम्पोज़ कर दिया तो उस सीलिंग को खत्म करने के लिए ५० रुपये जो हासिल के थे उसके ऊपर भी आप अब आ गये। जो बड़े बड़े राज्य थे उनको आपने खत्म करने की सोची, उनके लिए तो न जाने आपको पूरी हमदर्दी थी, न जाने क्या पुरानी मित्रता थी। लेकिन, जो काश्तकार हैं वे ५० रुपया लगान देंगे उसके ऊपर भी आप इतना सरचार्ज लगा कर उनको भी ऑटोमेटीकली खत्म करना चाहते हैं। तो मैं अर्ज करूं कि यों तो हमारे पुराने जमाने में कहा करते थे कि जोधपुर में सुखदेव प्रसादजी प्राईम मिनिस्टर थे, उनको कहते थे कि यह राजपूताने के धाईभाई थे और रेवेन्यू के साइड में तो आप ही धाईभाई हो। ५० रुपये जो लैण्ड रेवेन्यू देता होगा या इससे ज्यादा देता होगा उसके ऊपर आपने एक आना रुपया सरचार्ज लगाया है और इसके बाद में एक आना पंचायत समिति लगायेगी, अब १ रुपया, १० आना से लेकर २ रुपये तक माल की रेट है। उपज के लिहाज से देखें तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इसमें तो १० एकड़ भी चल जायेगा। वह भी बेचारे दरिद्र हो जायेंगे। इधर तो आप ग्रो मोर फूड का सिद्धान्त रखकर बैल फार्मिंग को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और दूसरी तरफ कहते जाते हैं, यह, तो आपकी मन्शा क्या है ? चोरों से कहना चोरी करना और कुत्ते से कहना भूंसना और घरवालों से कहना जागते रहना। इधर तो बड़ी बड़ी फार्मिंग लगाने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ सरचार्ज लगा लगा कर आप इस तरह से उनको खत्म करना चाहते हैं। अब मैं आपको अर्ज करूं कि आप खुद ही जानते हैं कि काश्तकार के पहले ४,००० की आमदनी के ऊपर एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगता था। अब वह चार हज़ार की आमदनी पर तो रहा नहीं। तो इसको अब राजस्व मंत्रीजी भी सोचें कि चार हज़ार की आमदनी पर टैक्स नहीं देंगे तो अब आपने ५० रुपये हासिल के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो यहां तक आप उतर आये....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अगला कदम सबके लिए होगा और सबके ऊपर लगाया जायेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसका अन्त तो यही होगा। पर मैं तो अर्ज़ करता हूं कि यह सब कुछ कर लिया तो कर लिया। आपने नहीं देखा कि वह किस तरह से खेती करते हैं और कितना उनका कुटुम्ब है । ५० रुपये जिसकी हासिल आयेगी तो उसके ऊपर टैक्स लग जायेगा। तो मेरे हल्के में आप देखिये १ रुपया, १० आना से लेकर इतनी रेट हैं तो उनको जाकर पड़ता है १,०४६ रुपया। तो इतना तो उसे गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है । अब वह खायेगा क्या? उसका घर का खर्चा अलग....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): यह किसका लगान है १०४६ रुपया ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : ३० एकड़ का।

श्री दामोदरलाल व्यास : ३० एकड़ का लगान १,०४६ रुपया कैसे हो सकता है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : फी बीघा के हिसाब से देखें तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यह उस का खर्चा है और उसको जो लगान देता है वह ६४ रु०, १४ आ० । यह मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं कि ३० एकड़ जो भूमि रखी है तो एक बीघा १२ बिस्वे का होता है तो इस हिसाब से ४८ बीघा हुआ। अब ४८ बीघा में १ रु०, १८ आना-१ रु०, १४ आना और २ रुपये के हिसाब से करीब ६० रुपये हासिल के होते हैं और १ आना रुपया तो पहले लग रहा है और एक आना रुपया पंचायत समिति लगा रही है। इसके बाद में आप देखिये कि कुल खर्चा १,०४६ रुपये का होता है। यह तो उसकी काश्तकारी का ही हो जाता है। अब उसके बाद में उसकी उपज होती है उस को देखें तो गेहूं अनइर्रिगेटेड लैण्ड में २ मन या २॥ मन से ज्यादा नहीं होता है माल के। मैंने हिसाब लगाया कि जिसके पास सौ बीघा जमीन होती है तो करीब १,५०० रुपया कर पाता है। इसमें से ४६॥ रुपया तो सरकार को दे देगा और अगर उसके परिवार में ५ बच्चे हुए तो उनको वह बारह महीने क्या खिलायेगा ? बैल कहां से लायेगा, कपड़े कहां से पहिनेगा ? यह मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अर्ज करूं कि आप इसके ऊपर अब क्यों आ गये ? अब सन् १९६२ का चुनाव आ रहा है आप पहले से ही 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' की सी बात क्यों करते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए कि आप आसानी से आ जायें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे तो कोई लाभ भी नहीं है, मुझे तो मिनिस्टर भी नहीं बनना है। मैं तो आपका बहुत धन्यवाद मानता हूं। यह तो उनको फिक्र हो जिनको कमाने की जरूरत हो। मैं तो यह कहता हूं कि आप किसानों के बड़े हमदर्द हैं, लेकिन आप विश्वास करके गला क्यों काटते जाते हैं ? इधर वह जमीन पड़ी रह जायेगी। लेकिन जब आप इतने टैक्स कर देंगे तो जमीन कहां से बोयेंगे ? तो मैं यही अर्ज करता हूं कि इसके ऊपर सरचार्ज लगाने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी थी ? पहले आप चार हज़ार के ऊपर लगाते थे तो अब उसको आप चाहें तो दो हजार कर

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

दो । पर आपकी मन्शा तो यह है कि फार्मिंग खत्म हो जाये। बड़ी अच्छी बात है फिर समानता आ जायेगी, हम सब समान हैं। मैं पहले ही काश्तकार हूं, काश्तकार हो जाऊंगा, इस दृष्टि से करें। मक्खी चूसने से कुछ नहीं होता है। बड़ों बड़ों को पकड़ो। बड़े बड़े फार्म हैं उन पर टैक्स लगाओ। इन पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपसे मेरी मित्रता है, इसलिए मैं अच्छी सलाह देता हूँ। आप अपने भविष्य को बतायें। आपको डेढ़ करोड़ प्रजा आशीर्वाद देगी। आप उसको थोप देंगे तो भविष्य में उसका परिणाम क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे आपके भविष्य का ख्याल रखना है। मित्रता के मायने यह नहीं कि मैं ....

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपका तीसरा और मेरा चौथा आशीर्वाद है।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व बिल पर मेरा एक प्रस्ताव है कि यह बिल जनता की इन्फोर्मेशन के लिए भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रस्ताव के सपोर्ट में बोल लीजिये आप।

श्री लक्ष्मीचन्द : जी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल को जिस भावना से रखा जाता है उसकी भावना सरकार ने यह बतलाई है कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स बिल खत्म करके काश्तकारों पर एडिशनल लैण्ड रेवेन्यू हम थोपना चाहते हैं! सरकार को नई लाग लगाने से पहले इस चीज़ को सोचना चाहिये कि जो टैक्स पहले देते थे वह टैक्स जनता पर ज्यादा इफेक्ट करेगा और नये कृषकों पर ज्यादा लगेगा, या कुछ कमी होगी। हमको इस चीज़ को देखना है कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स चार हज़ार की आमदनी पर लगता था। जिस काश्तकार की आमदनी चार हज़ार से ज्यादा थी उसको एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स देना पड़ता था। जमीन कितनी ही हो मगर काश्त से जितनी आमदनी होती है वह यह थी। मगर सरकार द्वारा इस किस्म का विधेयक सदन में पेश किया गया कि जिस काश्तकार को ५०) रु० लगान देना पड़ता है उसको एडीशनल लैण्ड रेवेन्यू से मुक्त किया जायगा। उसके उपरान्त भूमि हो तो उसको इस टैक्स को देना पड़ेगा। तो, अध्यक्ष महोदय, बहुत मुमकिन है कि राजस्थान में जो भूमि है वह बारानी भूमि है। उसकी बिघोड़ी का एवरेज निकालें तो चार आने से किसी जगह ज्यादा नहीं होगा। इस हिसाब से २०० बीघा जमीन काश्तकार के पास होती है। तो २०० बीघा सोच कर चलें तो भी वह काश्तकार प्रति वर्ष पूरी भूमि पर काश्त करता हो, यह मुमकिन नहीं है। २०० बीघा में से आधी जमीन प्रति वर्ष पड़ी रखता है। अगर प्रति वर्ष बरसात ठीक भी हो जाय तो भी राजस्थान की भूमि ऐसी नहीं है कि प्रति वर्ष फसल देने वाली हो, उपजाऊ हो। इसलिए उसको आधी ज़मीन को पड़त रखना पड़ता है और आधी ज़मीन पर काश्त करता है। ऐसी स्थिति में एक बीघे पर एक मन से ज्यादा आमदनी नहीं होती है। तो इस हिसाब से १०० बीघे पर १०० मन मान

(श्री लक्ष्मीचन्द)

लें। ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा होगा तो १०० मन होगा। उसकी कीमत १२) रु० मन बाजार का भाव है, से उसकी आमदनी होगी १,२००) रु०। पहले एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से ४,०००)रु० तक की आमदनी मुक्त थी। अब टैक्स की सीमा घटा कर नाम बदल दिया है। पहले कृषि टैक्स था अब एडिशनल लैण्ड रेवेन्यू है। नाम में ज़रूर परिवर्त्तन है। लेकिन टैक्स साथ साथ ज़रूर बढ़ा दिया है। पहले ४,०००) रु० तक की छूट थी। स्टेटिस्टिक्स का मिलान करें, इसकी तुलना करें तो पहले जो ४,०००) रु० पर देना पड़ता था वह अब काश्तकार को १,२००) रु० पर देना पड़ेगा। १,२००) रु० मामूली काश्तकार के हो जायेंगे। सरकार जिस उद्देश्य को लेकर चलती है कि इस तरह की चीज़ से काश्तकारों को परेशानी होती थी और इस चीज़ से परेशानी नहीं होगी। पहले तो ४,०००) रु० तक की आमदनी पर टैक्स था लेकिन अब तो आप किसी का बापी पट्टा उठा कर देख लेंगे कि यह ५१ लैण्ड रेवेन्यू देता है, इसलिए टैक्स लगना चाहिए। आमदनी का केल्कुलेशन नहीं करते हैं।

दूसरी ओर हर एक जो टैक्स लगाता है वह लैण्ड रेवेन्यू पर लगाता है। जिला परिषद् ने भी यह निर्णय ले लिया है कि लैण्ड रेवेन्यू पर बढ़ोत्तरी कर दी जाय। हमारी ज़िला परिषद् ने यह निर्णय ले लिया है कि लैण्ड रेवेन्यू में कुछ बढा दिया जाय ताकि ज़िला परिषद् और समितियों को आमदनी हो जाय। सरकार कहती है कि हमारे यहां घाटा है इसलिए लैण्ड रेवेन्यू बढ़ा दी जाय। काश्तकारों ने क्या गुनाह किया कि आप उनकी आमदनी पर टैक्स थोपे जा रहे हैं? उनकी सहूलियतों का कोई प्रश्न नहीं। उनकी ज़मीन का कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ टैक्स का बोझ उन पर डालते हैं। आप इस प्रकार से अपनी सहूलियत के लिए कि जल्दी से पट्टा देख कर नोटिस देदेंगे कि टैक्स दो; कौन परेशानी करे? कौन दुविधा उठाये? अध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य को लेकर यह टैक्स लगाया है कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स ज्यादा था, लेकिन यह टैक्स तो उससे तीन गुना है। पहले ४,०००) रु० तक की छूट थी परन्तु अब १,२००) रु० की छूट रह गई है। आम जनता के हितों पर यह कुठाराघात करेगा। इसलिए जनता की ओपीनियन जानना जरूरी है। जिस जनता ने हम को चुन कर भेजा है, जिस जनता के ऊपर हम कानून थोपना चाहते हैं, उसकी राय लेना जरूरी है। इसलिए इसके ऊपर राय लेने के लिए भेजा जाय।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू राजस्व विधेयक पर जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो यह देखना पड़ता है कि उस राज्य में सबसे अधिक कौन लोग रहते हैं, उन लोगों की सहूलियत के लिए वह सरकार जो कि कल्याणकारी कहलाने का हक रखती है क्या कल्याण के कार्य करती है? इस पर विचार करते हुए कि यह कृषि पर सरचार्ज लगा, इसमें सबसे पहले हमें यह देखना है कि कितने लोग इस बात के असर में आयेगें? तो मालूम होता है कि हमारे राजस्थान में करीब ८० प्रतिशत लोग खेती पर बसर करते हैं। गांव में रहनेवाले लोगों

(श्री रामकरणसिंह)

का अधिकतर धन्धा मुख्यतया खेती है। और उस खेती से जो काम करते हैं उसमें उन लोगों को अब तक जिस प्रकार से जो टैक्स देने पड़ते हैं, शायद राजस्व मंत्रीजी को इसका पूरा जिस समय यह टैक्स लगाने की बात दिमाग में आई, ध्यान नहीं रहा है कि उन लोगों पर अन्य अन्यप्रकार के टैक्स और किस किस तरह से लगाये जाते हैं। काश्तकार जो कि मामूली इन्कम करता है उसके पास से दोहरे २, तीन तीन तरह के टैक्स चुकाये जाते हैं। वह टैक्स देने पर उसकी पोजीशन जो कि काश्त करता है उसके खर्चे में और जिस प्रकार से उस भूमि में कुछ करके कुछ पैदा करता है उनको देखते हुए उसे जो टैक्स देने पड़ते हैं उन टैक्सेज़ को देखते हुए उसके पास में क्या बच रहता है, इसके बारे में शायद माननीय राजस्व मंत्रीजी ने गहरा विचार नहीं किया। पूरी तरह से सोच विचार नहीं किया कि एक काश्तकार जो कि खेती का काम करता है उसको कितनी आमदनी होती है, कितना खर्चा और कितनी मेहनत किस प्रकार से करनी पड़ती है। शायद राजस्व मंत्री महोदय ने केवल यही सोचा है कि काश्तकार जब बरसात आई थोड़ा सा बीज लिया और फैंक दिया और अपने घर जाकर बैठ गया। ४, ५ या ६ महीने तक आराम से दोहर ओढ़कर सो गया और जब खलियान का टाइम आया तो खेत में चला गया और जाकर काट लाया। यह सरचार्ज टैक्स लगाते समय शायद माननीय राजस्व मन्त्रीजी को इस बात का विचार नहीं हुआ होगा कि उन काश्तकारों को पूछा जाय और उनसे जानकारी ली जाय या उनका प्रेक्टिकल अनुभव जाना जाय कि उनको काश्त करते समय किस तरह की दिक्कत आती है। काश्तकार जिस समय अपने खेत में जाकर उसकी (खेत की) बोवाई करने के लिए तैयार होता है उस समय उसकी हालत देखने योग्य होती है। गर्मी में आंधियें चलती हैं। वे किस प्रकार से उसने जो खाद डाली थी उसको उड़ा कर दूर ले जाती है, उसकी डोली का पता नहीं लगता है। बहुत मेहनत करके और खून पसीना एक करके जिसको बोने योग्य बनाया था, खाद डाली थी, बरसात की वजह से जमीन नर्म पड़ जाती है; लेकिन आंधी की वजह से मट्टी और खाद उड़ कर चली जाती है, कहीं पर खड्डे पड़ जाते हैं, कहीं पर टीबे हो जाते हैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): कहां की बात कर रहे हैं?

श्री रामकरणसिंह: आपके वहां शायद ऐसा नहीं होता होगा। इस प्रकार की बात शायद माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने नहीं सोची होगी। वे खेती का काम शुरू करते हैं उस समय उनके सामने क्या पोजीशन होती है, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी दिक्कतें आती हैं, इसका शायद आपको पता नहीं है। आपने लगान पर टैक्स लगाया है। लेकिन किसानों को पंचायत समितियों को भी टैक्स देना पड़ता है, जैसा कि पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देना पड़ता था। मान लीजिए काश्तकार खेती करता है और उसकी फसल ओलों से या अन्य किसी तरह की बीमारी से नष्ट हो जाती है। लेकिन अनेक प्रकार के टैक्स लगाते समय इस बात का विचार नहीं रखा जाता कि उसके खेत में क्या

(श्री रामकरणसिंह)

पैदा हुआ है और क्या पैदा नहीं हुआ है। आपने केवल यह ख्याल रखा कि यह ५० रु० लगान देता है या नहीं ? आप सोचिये कि ५० रु० लगान देने वाले व्यक्ति पर आप सरचार्ज लगाते हैं, तो उसको कितनी दिक्कत उठानी पड़ती है। आप केश क्रोप पर सरचार्ज लगाइये। यदि आप केश क्रोप पर लगायेंगे तो लोग भी महसूस करेंगे कि वास्तव में माननीय मन्त्रीजी कुछ विचार करते हैं और गहराई से सोचते हैं। काश्तकारों की असली पोजीशन को जानते हैं इसलिए उन्होंने खाली केश क्रोप पर ही सरचार्ज लगाया है। जो मुश्किलें किसानों के सामने आती हैं उन पर ध्यान देना चाहिये। हम यह नहीं कहते कि टैक्स वसूल ही नहीं किया जाय क्योंकि हम यह जानते हैं कि विकास के काम के लिए टैक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन टैक्स इस प्रकार से लगाना चाहिए जिससे टैक्स लगाने वाले को और टैक्स देने वाली जनता को बाधा नहीं पहुंचे।

आपने सरचार्ज तो लगा दिया लेकिन किस पर लगा रहे हैं और इसका असर किस पर पड़ेगा यह नहीं सोचा। एक आदमी जो पहले से टैक्स दे रहा है उस पर और टैक्स मंडते चले जा रहे हैं, उसकी हालत नहीं देखते। आज काश्तकार इतने जागरूक नहीं है इसलिये वे समझते नहीं हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तलवार लेकर उनको काटना शुरू कर दें। आज शहरों में इतने आन्दोलन होते है लेकिन काश्तकार आन्दोलन करना नहीं जानते। काश्तकार अपनी असली हालत स्वयं जानते हैं। वे नहीं चाहते कि किसी प्रकार के झंझट में पड़ें। वे समझते हैं कि हम और हमारा हल सलामत चाहिये। हम खेती करें और आनन्द से रहें और जो टैक्स आसानी से दे सकें वह दें। लेकिन आप ज्यादा टैक्स लगाकर उनको जागरूक करके सामने खड़ा होने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। अन्त में वही चीज आयेगी जब उनको भी जागरूक होकर आन्दोलन करना पड़ेगा। शहरों में आन्दोलन होते हैं, नारे लगते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं लेकिन आपने आज तक यह नहीं देखा होगा कि काश्तकारों ने किसी प्रकार का आन्दोलन किया हो। लेकिन अब आप यह सोचते हैं कि वे भी आन्दोलन में भाग लेने के लिये मजबूर हो जायं, वे आपके सामने आवें और प्रदर्शन करें। राजस्थान में जितने काम हों उनमें शान्ति चाहिये। लेकिन मन्त्रीजी शायद ऐसा सोचते हैं कि किसी प्रकार से हमें शान्ति पसन्द नहीं है। मन्त्रीजी शायद यह पसन्द नहीं करते कि कोई भी काम शान्ति से ज्यादा अच्छा होता है। आज का काश्तकार शान्ति से रहना पसन्द करता है। उस पर बर्डन डाला जाय तो उतना डाला जाय जिसको वह आसानी से सहन कर सके, इतना बर्डन न डाला जाय जिससे कि वह पिस जाय। आप जानते हैं कि काश्तकारों से आप ५० पर्सेन्ट तक मांग लेते हैं। उनसे ५० पर्सेन्ट लेकर ही विकास का काम करते हैं। उसके बाद आप दो-तिहाई पर भी आना शुरू हुए हैं। मुझे बताइये कि आप काश्तकारों के लिए जो कोई भी चीज देते हैं वह क्या उनको बिना बर्डन उठाये मिल जाती है ? एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट के लिए आप उनको जो भी चीज

(श्री रामकरणसिंह)

देना चाहते हैं उनको लेने के लिए काश्तकारों को डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर जाना पड़ता है और वहां जाने पर भी उनको जितनी चीजों की आवश्यकता होती है उतनी नहीं मिलती और वह भी मिले तो दस दफा दस दस रुपया एक एक बार में खर्च करने पर यानि उनके १०० रु० खर्च हो जाते हैं । उनको मजबूर होकर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर आना पड़ता है। उनको रोजाना कितना नुक्सान उठाना पड़ता है ? आपने यह नहीं सोचा कि किस प्रकार से उनको फायदा पहुँचाया जाय ? आपने यह नहीं सोचा कि गांवों में किस प्रकार की बीमारियां लगती हैं तो खेती नष्ट हो जाती है ? क्या आपने कभी यह सोचा कि ऐसे गांवों को छोड़कर उनको सहूलियत दी जायं ? लेकिन आपने सब पर सरचार्ज लाद दिया ।

आप जो सरचार्ज लगा रहे हैं उसका असर देहात की अधिक से अधिक जनता पर पड़ेगा । इसलिए इसको जनमत के लिए देना जरूरी है । आप यदि यह चाहते हैं कि टैक्स लगाया जाय तो आपको पूरी तरह से यकीन करना होगा कि जनता इससे सहमत है या नहीं । यदि आपको यकीन है कि जनता इससे सहमत है तो आप लगाइये हमें इन्कारी नहीं है । लेकिन हम यह चाहते हैं कि आप कम से कम जनता को यह तो बता दीजिये कि गवर्नमेंट इस इस तरह का टैक्स लगाना चाहती है, ५० लगान पर टैक्स लगाना चाहती है, यह बात उनको बता दीजिए । यदि वे सहमत हैं तो टैक्स लगाइये । जनमत जल्दी ही जानने के लिए आपके पास साधन हैं, २ महीनों के पास पूरी जनता पर इसका क्या प्रभाव होगा इसका उत्तर आ सकता है । आपने पंचायत राज्य बना रखा है । गांवों के पंचों के जरिये जनमत जान लीजिये । पंचायत को भेज कर पंचों की ओपीनियन मंगा लीजिए । उनकी ओपीनियन आ जाती है तो भी हम सहमत हैं, बहुमत से वे कह दें कि लगाना चाहिये तो लगा दीजिये । यदि टाइम कम हो तो पंचायतों के सरपंच हैं उनकी राय जान लीजिये । इससे भी थोड़ा टाइम हो तो तहसील पंचों की राय ले लीजिये, तहसील पंचायतों के एक एक सरपंच हैं उनकी राय जान लीजिये, उनसे विचार विमर्श कर लीजिये । वे यदि सहमत हों तो इसको लागू कर दीजिये....

डॉ० बहादुरसिंह : लेकिन मेम्बरों की राय नहीं जानना चाहते ?

श्री रामकरणसिंह : मेम्बर्स तो यह कर ही रहे हैं । जिस काश्तकार की पोजीशन आप नहीं जानते हैं, जिसके वोट के बल पर आप यहां आकर बैठते हैं उसका आप किसी प्रकार से ध्यान न रखते हुए सरचार्ज लगा रहे हैं । इसके बाद बहुत से माननीय सदस्य तो यह सोचते होंगे कि हमें दुबारा उनके पास वोट के लिए नहीं जाना है इसलिए उनसे कोई मतलब नहीं है, यह बात ठीक नहीं है । इस तरह की बात कब तक चल सकती है? अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है ।

इसके अलावा जैसा कि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि सदस्यों से पूछ लीजिए, मैं कहता हूं कि जो माननीय सदस्य यहां

(श्री रामकरणसिंह)

आकर कहते हैं कि सरचार्ज लगाया जाय उनका बहुमत ले लीजिये....

डॉ० बहादुरसिंह : सदन में निर्णय बहुमत से ही होता है।

१ म० प०

श्री रामकरणसिंह: आपका व्हिप इश्यु होता है। मुंह बन्द करके पास करवा लेते हैं, वह नियमित चीज नहीं है। कई बातों से अपनी भावना की बात हाउस में नहीं कही जा सकती। तो किसी तरह व्हिप इश्यु करके, पाबन्दी लगा कर इस बिल को पास करा लीजिये, यह दूसरी बात है। अगर सदस्यों का विचार लेना है, तो जो सदस्य इस बिल के पक्ष में और विपक्ष में बोलें, उससे निर्णय कर लिया जाय, उसके आधार पर निर्णय कर लीजिए। अगर व्हिप इश्यु हो, और 'हां' और 'ना' पक्ष से किसी प्रकार का कोई निर्णय करें, उससे अन्दाज नहीं लगा सकते। वास्तव में एक तरफ उनके लिए पार्टी है और दूसरी तरफ काश्तकार हैं। यहां उनको पार्टी अच्छी लगती है। यदि आपको 'हां' और 'ना' करवानी है, तो काश्तकारों के सामने खड़े करके 'हां' और 'ना' करवायें। मैं तो समझता हूं कि वास्तव में आप राय जानने के लिए कहते हैं, तो माननीय सदस्य सरचार्ज के पक्ष में बोलें, मैं चाहता हूं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में एक जनरल मीटिंग करके कहें।

(हिअर, हिअर)

लेकिन इस चीज के लिए आप तैयार नहीं होते और यहां सरचार्ज के लिए कहते हैं, पचास रुपये के लिए कहते हैं। यह आपको मालूम है कि ५० रुपये लैंड रेवेन्यू कितनी जमीन पर देने पड़ते हैं ? मैं आपसे निवेदन करूं कि बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जिनकी वन-थर्ड प्रोडक्शन के ऊपर लगान बंधा हुआ है। बहुत से ठिकानों में, बहुत सी जगहों पर ज्यादा लगान बांध रखा है। आप देखिये कि कितनी जमीन पर ५० रुपये लैंड रेवेन्यू आ सकता है। मैं समझता हूं कि एक मामूली किसान, जिसके पास ५, १० बीघा जमीन है वह भी उससे नहीं बच सकेगा। अब आप सोचिये कि सात, आठ, दस आदमी उसके कुटुम्ब में हैं, उसके पास ८, १० बीघा जमीन हैं, उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा ? पंचायत समिति को टैक्स देना पड़ेगा, चूल्हे पर भी टैक्स देने की नौबत आ रही है, विकास कार्य के लिए पंचायत समिति आदि ने टैक्स लगा रखे हैं। अगर गाड़ी रखता है, तो उसको टोल टैक्स देना पड़ता है, ऊंट रखता है, तो भी टैक्स देना पड़ता है। हर प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। आप बताइये कि जिस शख्स पर टैक्स की भरमार है उस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं। इस प्रकार की भावना और जो विचार है, मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी को सोचना चाहिए, जिन पर ऑलरेडी भार है टैक्स का उन पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि राजस्थान में पंचायतें पनपे। लेकिन मैं मानता हूँ कि यह कहते वक्त स्टेज पर खड़े होकर कहने की पोजीशन में रहते हैं कि पंचायतें सही रूप में पनपें। लेकिन उसके अलावा जितना टैक्स लगाने का प्रश्न आता है तब उनकी जो ताकत है, उनके साधन हैं,

(श्री रामकरणसिंह)

उनके जो उपाय हैं, उनका जो ढंग होता है, उनके पास जो रास्ता है, उसको आप रोक देते हैं। आप एक तरफ चाहते हैं कि पंचायत राज्य कायम हो, दूसरी तरफ, उसका कोई साधन किसी प्रकार का टैक्स लगाने का होता है उसको आप छीनते हैं, झपट लेते हैं, उसका मुकाबला करते हैं। जो पंचायतें गांवों और तहसीलों में होती हैं वे आपका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। आप ऊपर से उनके सोर्सेज बन्द कर देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि पंचायतें कामयाब हों। जिस जगह को दें, जिसमें पंचायतें टैक्स लगा सकती हैं उसको आप हड़प लेते हैं। कभी आपकी यह भावना नहीं रही कि पंचायतों को टैक्स लगाने का मौका दिया जाय, आपने टैक्स लगाने का रास्ता नहीं छोड़ा है पंचायतों के लिए। जहां भी गुंजाइश होती है टैक्स लगाने की, उससे १० कदम आगे बढ़ कर टैक्स लगा देते हैं, पंचायतों को टैक्स लगाने का मौका नहीं देते। इस प्रकार की भावना आप में जब तक रहेगी, मैं मानता हूं कि पंचायतें किसी तरह कामयाब नहीं हो सकती। इसके साथ ही मैं अर्ज करूं कि जो सरचार्ज रखा है वह ५० रुपये लैंड रेवेन्यू देने वाले के ऊपर रखा है। मैं समझता हूं कि इसको आप जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दीजिये। जनमत जान लीजिये और जानने के बाद आपको अनुभव होगा कि क्या जनमत है। मैं आपको निवेदन करूं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में जाकर देखिये और मीटिंग में खड़े होकर कह दीजिये कि यह टैक्स मैं लगाना चाहता हूं, तो आपको अनुभव हो जायेगा कि वे क्या कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप इसके बारे में सोचेंगे, और समझेंगे वैसे। वास्तव में इसके लिए सोचना चाहिए क्योंकि यह चीज़ मामूली नहीं है। आप किसी चीज को इन्वाइट करें झंझट खड़ी करने के लिए, यह अच्छी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि यह जो टैक्स लगायेंगे यह राजस्थान की अधिकतर जनता पर लगेगा, इसलिए जनमत जान कर यह टैक्स लगायें। इन चन्द शब्दों के साथ मेरा निवेदन है और इसके साथ साथ प्रार्थना भी है कि आप समझ रहे हैं कि यह इस प्रकार का टैक्स है, इतने जरा से रूप में लगा रहे हैं, इसके सम्बन्ध में पूरी जनता की राय जान कर इसको लगायें। अगर यह नहीं किया तो जिस प्रकार की आप सहूलियत देख रहे हैं इसमें बहुत अड़चनें आयेंगी और हो सकता है कि काश्तकार आपका मुकाबला करने के लिए खड़े हो जायं।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय (श्री मोहरसिंह को संकेत करते हुए) आप बाद में बोलेंगे। आपका नाम पहले लिया गया था, आप थे नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १६६० को दो महीने के अन्दर जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, इस प्रकार प्रस्ताव मैंने रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बिल है, बहुत छोटा सा है। सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की भी कोई बात नहीं है क्योंकि बातें बहुत साफ हैं लेकिन इसमें जो बातें रखी गई हैं वे सामान्य जनता पर, राजस्थान की बहु संख्या के ऊपर असर करने वाली हैं,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इसलिए यह आवश्यकता अनुभव होती है कि हम इस प्रकार का कोई कानून बनावें जो राजस्थान की ८० प्रतिशत जनसंख्या को प्रभावित करे, तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जनता की राय लेना आवश्यक है। यद्यपि मैं इस बात का तो यहां समर्थन करता हूं कि योजनाओं के लिए टैक्स लगाना पड़ता है, और हो सकता है उसमें काश्तकार लोगों को भी टैक्स किया जाय। एक बात का और भी समर्थन किया जा सकता है कि इन्होंने स्लेब सिस्टम रखा है कि इतने रुपये पर इतना; फिर इतना, फिर इतना। यह अच्छा तरीका है, व्यावहारिक तरीका है और इससे सभी प्रकार के लोग समान रूप से प्रभावित होते हैं लेकिन देखना यह है कि जिस प्रकार छूट दी गई और जिस प्रकार टैक्सेशन किया गया, वह व्यवहारिक है या नहीं ? इस प्रकार आज विचार करने की बात है और यह ऐसी महत्वपूर्ण बात है, जिस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। जब हम काश्तकार की परिस्थिति पर विचार करते हैं तो अभी अभी हमने राजस्थान पंचायत और जिला समिति विधेयक पास किया और उस एक्ट के अन्दर हमने इस प्रकार का प्रावधान रखा है कि काश्तकार जो कुछ भी लगान देता है, जो मुनाफा देता है और उनके पास जितनी जमीन है, उसका जितना वेल्युएशन होता है उस पर ५ नये पैसे के हिसाब से टैक्स पंचायत समिति लगायेगी और उनको आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए निश्चित् रूप से लगाना पड़ेगा। अभी अभी पंचायत समितियों को यह अधिकार दिया है। दूसरी ओर राजस्थान विधान सभा इस तरह पास करके एक और नया टैक्स उन पर डाले, तो यह असहनीय बात हो जाती है। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, काश्तकार की स्थिति यह नहीं है, हालांकि हम देखते हैं कि काश्तकार की आमदनी बढ़ी है, जिस पर विशेष प्रकार के टैक्स लगाये जा सकते हैं। जब मैं काश्तकार के जीवन स्तर को देखता हूं तो आज के पढ़े लिखे बाबुओं और सर्विसेज़ में काम करने वाले लोग हैं, उनके जीवन स्तर को देखा जाय और काश्तकार के जीवन स्तर को देखा जाय, जिस प्रकार के मकान में वे रहते है, जिस प्रकार का खाना पीना करते हैं, जिस प्रकार के कपड़े वगैरह, जिस प्रकार दवा-दारू का वे इन्तज़ाम करते है, जिस प्रकार बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनके पास इतना नहीं है कि उनके मुकाबले में खड़े हो सकें। यह ठीक है कि उनकी आवश्यकतयें कम हैं, आज की चकाचौंध में उलझे हुए नहीं हैं, इसलिए पैसा बचा सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनके रहन सहन की ओर ध्यान दें, तो हमारा सबसे पहले यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उन काश्तकारों के लिए अधिक सुविधायें प्रदान करें। मैं यह बात नहीं कहना चाहता कि कौन चुनाव में जीतेगा, कौन हारेगा, यह तो जनता निर्णय करेगी—इस प्रकार की बात कह कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के जीवन स्तर को उठाने की बात बराबर करते हैं, जिन लोगों की गरीबी कि बात कह कर जनता की कोमल भावनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, वे भाव केवल हमारे भाषण करने में, कहने में ही नहीं आयें, बल्कि हमारी करनी में आने चाहिये। आज हमें देखना है कि गांवों में

(श्री दयाकृष्ण विजय)

स्कूलें खोलनी हैं, औषधालय खोलने हैं, कोई भवन बनवाने है, कोई सार्वजनिक काम करना है, कुंए खुदवाने हैं या और कोई इसी तरह का काम करना है तो बार बार उनसे कहेंगे कि अगर छाया खण्ड है तो २/३ उनसे लेंगे। आज उनसे टैक्सेज़ वसूल करते हैं, इन टैक्सेज़ का सामान्य लोगों पर असर पड़ता है। जो लोग शिक्षित हैं या धनी हैं वे भी उतना ही देते हैं जितना कि गरीब लोग देते हैं। पंचायतों का काम आज शिक्षितों और पैसे वालों के हाथ में है। विकेन्द्रीकरण किया है पर वास्तव में देखा जाय तो पैसे वाले ही चुनावों में जीतते है और वे लोग ही राज्य करते हैं। इस प्रकार की चुनाव पद्धत्ति के कारण जो लोग वास्तव में राज्य कार्य चलाने के लिये आने चाहिये वे लोग नहीं आ पाते हैं।

एक माननीय सदस्य : There is lack of quorum, Sir.

(विराम)

श्री अध्यक्ष : कोरम तो है।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि जब हम एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को हटा रहे हैं और उसके स्थान पर यह सरचार्ज का टैक्स ला रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं! आपने इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा है :

"राज्य की आय बढ़ाने की दृष्टि से भू राजस्व पर अधिभार लगाना आवश्यक समझा गया है। ऐसा अधिभार राजस्थान कृषि आय कर अधिनियम, १९५३ के अन्तर्गत आरोप्य कृषि आय कर के अलावा नहीं लगाया जावेगा।"

तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या ५० रुपया लगान देने वाले किसानों को सर-चार्ज ड्यूटी से माफ करना चाहते हैं तो ५० से ऊपर ५१ रुपये भी जो देता है वह एग्री-कल्चर इन्कम टैक्स देने वाला है कि नहीं? यदि वे फिगर्स आपके पास हैं तो इन फिगर्स को, उन सारे आंकड़ों को सदन के सामने बताना चाहिये कि केवल एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को रिप्लेस करने के लिए ही सरचार्ज ड्यूटी लगा रहे हैं। वर्ना जो मूल भावना उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बताई गई है उससे विपरीत आप हम से कानून पास करवाना चाहते हैं। आप उद्देश्य और तरह के बतायें और कानून और प्रकार का बनायें, यह नहीं हो सकता। यदि ५० रुपयों पर रखना चाहते हैं तो यह दो लाइनें निकाल दीजिये। मेरे पूर्व वक्ताओं ने आंकड़े बताये। आपने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है। यदि इस ३० एकड़ को ही ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मान कर चलें तो ७५ बीघा का सीलिंग एरिया होता है। तो कोटा के बारे में मैं निवेदन करूं कि कहीं १॥) रुपया बीघा का देना पड़ता है तो कहीं २) रुपया बीघा देना पड़ता है। जागीरदारों का एरिया जहां था वहां और भी ज्यादा है क्योंकि वे ज्यादा लगान लेकर किसानों का शोषण किया करते थे तो जैसा शोषण वे करते थे उससे राहत तो हम नहीं दें, उल्टे जो शोषण हैं उनका और शोषण करें, यह उचित नहीं। लैंड रेवेन्यू राजस्थान में एक सरीखा नहीं है, जहां लैंड रेवेन्यू ज्यादा है वहां सरचार्ज ड्यूटी भी ज्यादा होगी और जहां लैंड

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रेवेन्यू कम है वहां सरचार्ज ड्यूटी भी कम रहेगी। तो यह सामाजिक न्याय कहां हुआ ? तो यदि हम लगान की दरों को बराबर नहीं करके मौजूदा लगान की दरों के आधार पर ही टैक्स लगाते हैं तो वह पूरा न्याय नहीं कहा जा सकता। तो सरचार्ज लगाने से पहले आप नया लगान लगाइये कि इस प्रकार की जमीन पर सब जगह यह समान लगान होगा। पर आज हम एक ही जिले की एक सी ही भूमि पर भिन्न भिन्न प्रकार के लगान लगायें और कहें कि हम बहुत अच्छे काश्तकारी कानून बना रहे हैं, हमने राजस्थान की प्रगति की है, तो मैं तो कहता हूं कि कोई प्रगति नहीं की, शोषण करने के लिए और टैक्स लगाते हैं। १५० रुपया तो ३० एकड़ सीलिंग एरिया का हर किसान देगा। तो एक तो इन दो लाइनों को हटाइये दूसरे, यदि आप लगान पर लगाना चाहते हैं तो लगान की दरों को ठीक करिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ओर तो आप यह चाहते हैं कि लोगों के पास कम से कम जमीन रहे और उससे वे अपना भरण-पोषण करें। यह सरचार्ज ड्युटी लगाते वक्त ५० के स्थान पर १५० रखें। आपको इस बात पर विचार करना होगा, इस चीज को देखना होगा कि चम्बल की नहर से कोटा में पानी जाने वाला है, वहां आप बैटरमेंट लेवी लेंगे, जमीन के इर्रिगेशन चार्जेज़ और होंगे, किसानों को छोटी नहरें अपने खेतों तक खुद बनानी हैं, इन सबके ऊपर आप उससे सरचार्ज ड्युटी लें, पंचायतें अलग टैक्स लें तो इस टैक्सेशन को आज की किसान जनता बर्दाश्त कर सकती है कि नहीं, इस चीज़ को आपको देखना होगा।

राजस्थान की बहु-संख्यक जनता आपके इस बिल से प्रभावित होने वाली है तो उन लोगों को भी जानकारी करानी होगी कि ५० रुपये से ऊपर लैंड रेवेन्यू देने वाले से यह सरचार्ज ड्युटी ली जायगी, उन लोगों को इस प्रकार की जानकारी कराये वगैर यह कानून पास नहीं करना चाहिये। अत: मैं निवेदन करूंगा कि इसे जनमत के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विधेयक रखा गया है, उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी तरफ से यह संशोधन रखा है कि इससे पहले कि सदन में इस विधेयक को पास करें इसे दो महीनों के लिये जनता में जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार का जो ढांचा है वह ज्यादातर करों के ऊपर निर्भर है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मैं बार बार बताया करता हूं कि आज इस सरकार का कहना है कि समाजवादी पेटर्न की समाजवादी ढंग से हुकूमत कायम कर चुके हैं या आगे बढ़ रहे हैं पर एक्शन में, कार्य करने में जिस प्रकार हम जिस ढंग से चल रहे हैं वह सारा पूंजीवादी ढंग है, दृष्टिकोण पूंजीवादी है। आज उसका नतीजा है कि

(श्री मोहरसिंह)

ज्यादातर ढांचे के अन्दर इसको चलाने के लिये जो राशि इस्तेमाल की जाती है वह टैक्सों से वसूल की जाती है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान ढांचे को पूंजीवादी घोड़ा खींच रहा है, पूंजीवाद से आज हमारी हुकूमत चल रही है। जब तक यह इस तरह चलती रहेगी जब तक कि हम करों के ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे। वास्तव में राजस्थान के सारे बजट को अगर हम देखें तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जितनी आमदनी का सिग्गा है, वह ज्यादातर किसानों से ही वसूल किया जाता है। जो किसान पहले से ही इतना दबा हुआ है, उस पर पुराने कर्जे हैं और उन कर्जों से वह आज तक दब रहा है। आज आजादी के युग में और समाजवाद के नारों के युग में जहां यह सोचते थे कि उसको कुछ न कुछ सुविधाएं मिलेंगी और मिलनी चाहिये थी, आज वे सुविधाएं उसको नहीं मिल रही हैं। अगर उसको सुविधाएं मिलतीं तो यह सोने में सुगन्ध की बात होती। लेकिन देखते हैं कि इस राज्य में किसानों को जो पहले से बहुत दबे हुए हैं उनको और ज्यादा दबाया जा रहा है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जो किसान पहले से ही बहुत दबा हुआ है उसको दबाना हमारे लिये कहां तक शोभा की बात है और कितनी अच्छी बात हो सकती है, यह हम स्वयं सोच सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्सेशन का प्रश्न है, किसान टैक्सों से पहले ही बहुत दबा हुआ है और फिर आप उसको दबाते चले जा रहे हैं। यह जो टैक्स लगेगा यह कहां तक लगाना उचित होगा, यह देखना है। यह तो स्पष्ट है कि जो भी टैक्स लगता है उसका असर किसान पर पड़ता है चाहे वह सेल्स टैक्स हो या स्टाम्प टैक्स हो। क्योंकि उसका असर आम जनता पर पड़ेगा और आखिर में किसान पर भी उसका असर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त आप किसानों के फिल्ड में जाकर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आज कल उन पर एक बहुत जबर्दस्त कर जिसका नाम तमाखू टैक्स है लिया जाता है। वह कर इतना ज्यादा और भारी है कि इस कर के कारण किसानों ने तमाखू की खेती करना बन्द कर दिया है। यानि इस कर ने यहां से तमाखू की खेती को समाप्त कर दिया है। वह ४१) रु०, १० आना है। यह बहुत ज्यादा है।

आप एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स को किसानों की दिक्कतों को देखते हुए बन्द कर रहे हैं और यह नया टैक्स उन पर लाद रहे हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि वह टैक्स सारे किसानों पर नहीं लगता था। यह सब पर लगेगा। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि किसान तो पहले ही करों के बोझ से और अपने पुराने कर्जों से दबा हुआ है। उसके पुराने कर्जे अभी तक चले आ रहे हैं। आप किसानों के पुराने कर्जों को रेकॉर्ड से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आज से पांच साल पहले उन पर १७ करोड़ के करीब कर्ज़ा था और वे उस कर्जे को अभी भी नहीं चुका पाए हैं और वह कर्जा मैं तो यह कहूंगा कि दिनों दिन इन करों के बोझ के कारण बढ़ता ही चला जा रहा है जो अब करीब ५० या ६० करोड़ के बीच हो गया होगा।

आज आप देखेंगे कि राजस्थान की

(श्री मोहरसिंह)

आबादी १ करोड़, ६५ लाख के करीब है यानि पौने दो करोड़ है। उसमें से ५० या ५५ पर्सेंट किसान मैं समझता हूँ होंगे तो ज्यादा मगर इतने भी समझें तो भी राजस्थान में किसानों की संख्या काफी है और यह टैक्स किसानों पर होगा। इससे पहले भी किसानों पर बहुत से टैक्स हैं और उस पर फिर यह नया टैक्स, इतना होते हुए भी हम समाजवादी समाज का नारा लगाते हैं तो बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है और बुरा किसका नाम है ? एक कर के बाद दूसरा और वह भी उस किसान पर जो पहले ही करों के भार से दबा हुआ है। आप उसको क्या कहते हैं ? आप कहते हैं कि एक कर' तो और दो और इस कर के लिये यह कहा जा रहा है कि इसके द्वारा १० लाख रुपये सरकार वसूल करना चाहती है। मैं कहूंगा कि यह एक दूसरी ठगी है। इसका नाम मैं ठगी इसलिये दे रहा हूं कि किसी भी तरह से ठगने की किसान को कोशिश की जा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से किसान को ठगने की कोशिश की जा रही है। आप यह कहते हैं कि केवल १० लाख रुपया सरकार वसूल करना चाहती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि ५०) रुपयों से ज्यादा लगान देने वाले कितने किसान हैं और ५०) रुपयों से कम रेन्ट देने वाले कितने हैं? अगर आप इसकी लिस्ट बताते और एवरेज़ निकालेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुचेंगे कि आधे से ज्यादा काश्तकार ऐसे मिलेंगे जो ५० रुपयों से ज्यादा रेन्ट देते हैं। उनसे आप एक रुपया पर एक आना वसूल करेंगे तो इस हिसाब से आपको २५ या ३० लाख रुपये मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे आपको किसी भी हालत में २५ या ३० लाख से कम की आमदनी नहीं होगा। फिर यह कहा जाता है कि १० लाख रुपये इससे लेंगे। मैं यह बता देना चाहता हूं कि वास्तव में किसान जो पहले ही करों के भार से बहुत दबा हुआ है उसको और न दबाया जाय। वह किसान तो बहुत अर्से से यह सोचता था कि मुल्क के आजाद होते ही उसकी लैण्ड रेवेन्यू की रेट आधी हो जावेगी, मगर वह अभी तक नहीं हो पाई है। उन्हें और हमें बराबर यही कहा जाता था कि आज़ादी के जंग में हाथ बढ़ाओ। जिस किसान ने आजादी के जंग में जूए में जुत कर अपना हाथ बढ़ाया और हिन्दुस्तान को आजाद बनाया, उसके बाद वह यही सोचता था कि उसकी लैन्ड रेट आधी हो जावेगी और उसको आजादी के बाद आराम मिलेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि उस किसान पर नित नये टैक्स लादे जा रहे हैं। और जो नये सेटलमेंट हुए हैं उसमें पहले से तिगुनी रेट लगाई है और इस पर भी एक और टैक्स किसानों पर सरचार्ज लगा रहे हैं।

रही बात खातेदारी की। इसको भी हमें देखना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें भी किसानों को आर्थिक संकट बर्दाश्त करना पड़ता है। किसानों को १५ गुणा मुआवज़ा देना पड़ता है। जब तक काश्तकार मुआवज़ा नहीं दे पाता तब तक उसको उस रकम का ब्याज देना होता है। मैं यह कहूंगा कि जो लोग यह नारे लगाते थे कि आजादी मिलते ही किसानों का लगान आधा कर दिया जावेगा ; अगर ऐसा होता है तो जो ६० रुपयों का लगान था उनको उसका आधा यानि ३० रुपये हो

(श्री मोहरसिंह)
जावेगा। मगर ऐसा नहीं हो पाया। किसान जो रेन्ट देता था उसके लिये आप देखेंगे कि पहले जागीरदारों और राजा-महाराजाओं के समय में बहुत ज्यादा लगान उससे वसूल किया जाता था। इसके अतिरिक्त ३।४ जमीन जागीरदारों के पास होती थी और १/४ जमीन उन लोगों के पासहोती थी जो काश्तकार होते थे। आज जब जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई तो उस ३।४ जमीन का भी उन काश्तकारों को मुआवज़ा देना पड़ रहा है और वह भी बारानी पर। बारानी पर १५ गुना। आप हिसाब लगावें तो आपको मालूम होगा कि एक काश्तकार को ६७॥रु० हकूक खातेदारी के लिये देने होंगे और ६० रु० लगान और अगर वह काश्तकार पूरी रकम नहीं देगा तब उस ६७॥ रु० पर २॥ रु० ब्याज के देने होंगे। इतना ही नहीं; इसके अलावा भी उनको कई टैक्स देने पड़ते हैं जैसे पंचायत समिति के टैक्सेज़, लोकल बोडीज़ के टैक्स। उनको किसी भी हालत में दरगुज़र नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमें, जो विकेन्द्रीकरण हमने किया है उसको चलाना है तो हमें ये टैक्स देने होंगे। इस प्रकार किसानों को कुछ न कुछ पंचायतों आदि के खजाने में देना होगा और वह किसान करों के भार से जो पहले ही दबा हुआ है और भी दबता जाएगा। इसके अतिरिक्त चाही जमीन और बारानी में काफी अन्तर है। बारानी जमीन में १० साल में ऐसे कई स्थान हैं जिनमें ७ साल तक करीब करीब कभी जमाना होता है तो कभी कहतसाली रहती है। कोई एक साल ठीक निकलता है तो दूसरा साल कहतसाली का होता है और तीसरे साल बिल्कुल ही वर्षा नहीं होती तो बिल्कुल अकाल पड़ जाता है।

१ २५. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये किसान हमेशा कर्ज से दबा रहता है और खातेदारी के लिए उसको और भी ज्यादा दबना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसको पंचायत समितियों और पंचायत के टैक्स अलग देने पड़ेंगे। इस तरह से उस पर वज़न और भी ज्यादा बढ़ता जायगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से उनको दबाना समाजवाद के नारे के प्रतिकूल है। इसके साथ साथ सिंचाई का जो इलाका है उसमें किसानों पर आज किस प्रकार से ज्यादती हो रही है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक बैटरमेंट लेवी के चार्जेज़ के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि हम १६ करोड़ बैटरमेंट लेवी से वसूल करना चाहते हैं। इस विषय में मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि कितने ए क्लॉस के और कितने बी क्लॉस के खेत हैं। वे किस प्रकार से दिये जा रहे हैं और उनकी कितनी भारी रेट है ? वह भी देते हैं और उस पर भी यह बैटरमेन्ट लेवी। जहां पर नई नहरें आ रही हैं वहां के इलाकों के लोगों की क्या हालत है ? माननीय सदस्य यह समझते होंगे कि वह इलाका तो बहुत खुशहाल हो गया है जहां पर नहर आ गई है। लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है। मैं भाखरा का अनुभव रखता हूं कि किस प्रकार से वहां किसानों को तबालत में डाला जाता है। यह कहा जाए कि हकूक खातेदारी मिलने के बाद में खुशहाल हो जावेंगे मगर आप उस इलाके की हालत को चल कर देखें तो

(श्री मोहरसिंह)

आपको मालूम होगा कि उसकी क्या हालत है ? मैं यह नहीं कह सकता कि यह एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी से हो मगर हालत खराब है और किसी ने जाकर वहां नहीं देखा होगा। मैं खुद जाकर देख कर आया हूं। लोग वहां पर भारी कीमतों और बैटरमेंट लेवी के भार से दबे हैं। इस बैटरमेंट लेवी के साथ साथ हमें और बैटरमेंट देना पड़ता है और आप कहेंगे कि वह कौन सा बैटरमेंट है ? वह है रिश्वतखोरी। मेरे सामने बहुत से महानुभाव यह सोचते होंगे कि अगर वह पब्लिक टैक्स न दें तो भी काम चल सकता है। लेकिन जहां राजस्व मंत्री का कोई आदेश आ जाता है कि दो महीने में खातेदारी होनी चाहिये या और कोई आदेश, तो लोगों को बहुत दुखी होना पड़ता है ! जमीन जो पड़त होती है उसको लेने में और जल्दी जमीन देने में पैसा भी देना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, हजारों रुपया रिश्वत के रूप में लोगों को परेशान होकर देना पड़ता है। एक गांव विरानी है। मैं आपको उनके लिए चुनौती देना चाहता हूं कि किस प्रकार से उस गांव से पटवारी आदि अधिकारियों ने रिश्वत के रूप में ५० हजार रुपया वसूल किया। जब कहते हैं तो यह कहा जाता है कि उनको तनख्वाह किस बात की मिलती है ? मगर शिकायत कोई सुनता नहीं। सारा ढांचा ही बिगड़ा हुआ है। किसी पर कोई जिम्मेदारी नहीं लादी जा सकती है और इसलिए लोगों को मजबूर होकर और लाचार होकर पैसे देने होते हैं। यह गांव २०० घरों की बस्ती का है। वहां आप देखेंगे कि ५० हजार रुपये रिश्वत के तौर पर लिये जाते हैं। तो इस प्रकार के कई गांव गंगानगर में हैं। अगर आप इस सम्बन्ध में सबूत लेना चाहें तो सबूत दे सकता हूं। किसानों की कई मजबूरियें होती हैं और इसलिए किसानों को रिश्वत के रूप में पैसा देना पड़ता है और अगर नहीं देता है तो अदालतों में उसको मारा मारा फिरना पड़ता है। इस तरह से किसान को, उपाध्यक्ष महोदय, दबना पड़ रहा है। १८ घंटे मेहनत करने वाले किसान, जिसके लिए हमारे दिल में करुणा होनी चाहिये थी, जिसके लिए हमारे दिल में दया होनी चाहिये थी, उसको और दबायें और उस पर तरह तरह के टैक्स लगायें। यह विचार करें कि यह महात्मा गांधी के विचारों के कितना अनुकूल है ? इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि इससे पहले कि इस महत्वपूर्ण बिल को जिसका आम तौर परसब किसानों पर बड़ा भारी असर पड़ने वाला है, मेरी राय है कि उसको पहले जनमत जानने के लिये प्रसारित करें और वहां से राय आने के पश्चात् उस पर विचार करें और फिर इसको पास करें।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव था कि इस बिल को जनमत के लिए प्रसारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम घोषित कर दिया गया है। पहले दूसरों को अवसर दे दिया जावे, बाद में आप बोल लीजिये।

(विराम)

श्री अनुपसिंह।

Page No.58

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को एक सलेक्ट कमेटी के द्वारा जांचे जाने के लिए है। मेरे ख्याल में मैं अपने दायरे से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो हमारे सदन में रख दी जाय एक दम, तो मैं समझता हूं उस पर पूरा विचार हो, उसके प्रोस एन्ड कोन्स को सोच-समझ कर आगे कदम बढ़ावें और वह कदम भी ऐसा हो कि जिसमें सरकार को दस लाख का फायदा हो सकता है और शायद इसके साथ साथ एक मामूली किसान को बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। हमारी जो एग्रीकल्चरल या लैन्ड रेवेन्यू की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या वाकई जो किसान अपना कर देता है, लगान देता है उसके ऊपर इस तरह का कोई और सरचार्ज लगा दिया जाय, वह क्या वाजिब होगा ? क्या उसके प्रोफिट्स एन्ड लोस हैं ? अपने फील्ड पर काम करता है और जो कुछ पैदा करता है उसके बाद क्या वाकई उस किसान के पास इतना बच जाता है कि वह और किसी तरह का भार सहन कर सकता है ?

श्री शंकरलाल (रायपुर) : On a point of order, Sir, यहां पर दो प्रस्ताव हैं—एक जनमत जानने के लिए और दूसरा सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिये; तो क्या दोनों को साथ साथ ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : दोनों साथ साथ। यह आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं था, यह तो पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन था।

श्री अनूपसिंह : तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमको यह सोचना पड़ेगा कि हम यह नया कदम ले रहे हैं एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को हटा कर और सरचार्ज लगा कर, क्या हमारे किसान पर एक तरह का बड़ा भारी बोझा नहीं हो जावेगा ?

अब वह किसान जिसके यहां कभी सेटलमेंट नहीं था, अभी सेटलमेन्ट हुआ है और कई जगह तो सेटलमेंट भी इस तरह से हुआ है कि पटवारियों और अमीनों ने सेटलमेंट के वक्त मन चाही बातें की हैं। मैं कई जगह देखता हूं कि एक किसान जो ऑर्डिनेरी लगान देता है उसको उसके द्वारा देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि उसको किसी प्रकार साल, दो साल के लिए किसी तरह की राहत दे भी दी जाती है दो-तीन साल का एकदम उससे वसूल भी कर लिया जाता है। यहां भी देखा गया है कि उस किसान के लिए एक साल का भी देना मुश्किल हो जाता है। जो रेट्स कायम की गई हैं उनके लिए उसको देना भी बड़ा भारी पड़ रहा है तो यह मुझे सदन के सामने रखने में और रख कर माननीय सदस्यों को तैयार कराने में यह ज़रूरी बात समझाऊंगा कि वे इसको सोच कर आगे के लिए कदम उठायें। हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिए दस लाख के नये कर लगा कर उनसे वसूल करना चाहते हैं। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि इस वसूली के साथ साथ किसानों पर और बोझा तो नहीं बढ़ जावेगा ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर मानूंगा कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स हटाया जाना चाहिये था और उससे जो हैरेसमेंट किसानों को होता था उससे जरूर उनको राहत मिलेगी। रेकॉर्ड तैयार करना और जगह जगह भटकना, कोर्ट्स में जाकर

(श्री अनूपसिंह)

अपने सबूत पेश करना, वकीलों को और खर्चा देना, अपने कामों को छोड़ कर कोर्ट्स में जाना, ये सारी तकालतें थी उनको। उनसे उनको राहत मिल रही है और मिल सकती है लेकिन सवाल यह आता है कि हमारी पार्टी ने दो वर्ष पूर्व इस सदन में एक संकल्प रखा था कि जो १००) रु० लगान देने वाला किसान है उससे कोई कर न लिया जाय। मैं उस बात को मानता हूं कि १०० रु. लगान देने वाला किसान कोई कर न दे। यदि ५०) रु० के ऊपर लगान देनेवाले ऊपर सर-चार्ज का कर लगा है तो यह उस किसान पर बड़ी ज्यादती होगी। और इसका इन्सेन्टिव असर यह होगा कि उसका असर प्रोडक्शन पर भी पड़ सकता है। किसान का जो इन्सेन्टिव है अपनी जमीन को सुधारने का उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि ५०) लगान देने वाला किसान हर जगह मिल सकता है और ५०) पर सर-चार्ज का कर लगा देते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो कि इसके दायरे से बच सकता है। आज एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स बहुत कम किसानों पर लगता है। कारण क्या है? जिसके पास ३०० बीघा जमीन होगी उसको इसके अन्तर्गत नोटिस मिलता है कि वह हिसाब पेश करे और एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स असेस करने वालों से सर्टिफिकेट ले। लेकिन ३०० बीघा वाले बच जाते हैं। इसमें यह होगा कि ५०) जो लगान देता है वह इससे नहीं बच सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक सोचने की बात होगी कि एक तरफ हम राहत देते हैं और दूसरी तरफ ऑर्डिनेरी किसान जो कि ५०) लगान देता है उसको टैक्स लगा रहे हैं। उस ऑर्डिनेरी किसान पर टैक्स का भार बहुत ज्यादा बढ़ जावेगा। उस एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स में तो बहुत कम किसान होते थे और इस ५०) के लगान पर तो दो, चार बीघा जमीन वाला किसान भी फंस जावेगा। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि यह अच्छा सुझाव होते हुए भी कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स हटा कर सरचार्ज लगाना चाहते हैं, इसका जो यह बिल है वह सदन के समक्ष इस समय पास न होकर सलेक्ट कमेटी में जाय तो हम किसानों के प्रोफिट और लोस को देख सकते हैं, कितने किसानों पर इसका असर पड़ेगा, यह भी देख सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी में बैठ कर यह भी देख सकते हैं कि किसान जिसको टैक्स करना चाहते हैं वह ऑलरेडी ओवर टैक्सड तो नहीं है।

इसके साथ साथ एक और अर्ज करूंगा कि इस बिल में प्रावधान रखा गया है कि १ अप्रेल, १९६० से यह एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स हटाया जावेगा और सरचार्ज लगाया जावेगा। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रेक्टिकल तौर पर व्यवहार में देख रहा हूं उसको अर्ज कर रहा हूं। हमारे यहां एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के तहत में ५३-५४, ५४-५५ तक के नोटिसेज़ सर्व हुए हैं और शायद किसी ने टैक्स दे भी दिया हो तो शायद ५५ तक टैक्स दे दिया हो। पर ५५ के बाद किसी तरह के नोटिसेज शाया नहीं हुए। वे केसेज़ फाइनेलाइज नहीं हुए। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो अर्सा है ५५ और ५६ के बाद का और ३१ मार्च, ६० तक का इस अर्से के नोटिसेज़ किसी को

(श्री अनूपसिंह)

नहीं मिले होंगे। यह जो चार वर्ष का दरमियानी पीरियड है उसके लिये किसानों को बाध्य करते हैं कि अपना हिसाब पेश करें तब तो मैं यह समझता हूं कि उनको क्या फायदा मिला ? हैरेसमेन्ट तो उनको वैसा का वैसा ही रहा; ५३ से ५६ तक का हिसाब पेश करना होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : यह आपको कहां नजर आ रहा है इस बिल में कि उनसे पिछले ४ साल का हिसाब मांगा जायगा ? आप एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स पर बोल रहे हैं या सरचार्ज बिल पर ?

श्री अनूपसिंह : मैं एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स बिल पर भी बोल रहा हूं और सरचार्ज बिल पर भी। आप यह सरचार्ज ६० में लगा रहे हैं और उस हिसाब से ६० तक तो किसान को एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के लिये अपने आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। इस कानून से उसका क्या मतलब, इसी कानून के अन्तर्गत ही तो पेश करना पड़ेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चाहते हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से यह सरचार्ज लागू किया जाय ?

श्री अनूपसिंह : हां, आप लगाइये और इस एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से उनको बचा लीजिये। आप यह १ अप्रेल, ६० से लागू कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स का ६० तक तो हिसाब देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स और सरचार्ज, ये दोनों कॉन्सीक्वेन्श्यल हैं। और जो आप यह सरचार्ज लगा रहे हैं वह एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स को हटाकर लगा रहे हैं। इस तरह से ६० तक जो किसान को हैरेसमेन्ट होगा हिसाब पेश करने में उससे तो किसी प्रकार से राहत नहीं मिली। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अर्ज करूंगा कि अगर आपको राहत देनी है, किसान झूठा सबूत पेश न करें, झूठे आंकड़े पेश न करें, किसान वकील के चक्कर से निकल जायं तो आपके लिये जरूरी है कि वाकई आप अपने आपको जो किसानों के हिमायतीदार समझते हैं तो आप इसे ५६ से लागू कर सकते हैं और ५६ से एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स हटाइये। ऐसी हालत में सरचार्ज का फायदा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा।

मैं मानता हूं कि यह सरचार्ज जो लगाया है यह एक सीधा तरीका है, इससे एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के हैरेसमेन्ट से किसान बच जायगा। सरचार्ज में किसान को आंकड़े पेश करने की जरूरत नहीं रहेगी और वह पेश कर भी नहीं सकता क्योंकि उसने आज दिन तक आंकड़े रखे नहीं और उसको यह भी पता नहीं कि किस तरह से आंकड़े रखे जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी खूबी की बात यह है कि जिस किसी के पास ३०० बीघा जमीन है उसको नोटिस दे दिया जायेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना यह है कि the Hon'ble Member is discussing the provisions of Agricultural IncomeTax which is quite irrelovent to this subject matter. It is altogether irrelevant for this Bill atleast. It is the Tehsildar who will calculate the amo-

(श्री अनूपसिंह)

unt of surcharge and the 'Kisan' will have to do nothing. He should utilise the time in giving some useful suggestions.

श्री उपाध्यक्ष : I would request the Hon'ble Member to avoid the irrelevant phase of the discussion.

श्री अनूपसिंह (जारी) : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह छोटी सी चीज़ है उसे मन्जूर नहीं किया। आपका सरचार्ज आया है वह कॉन्सीक्वेन्श्यल एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को बदल कर यह रखना चाहते हैं और उसी के लिये आपने सरचार्ज लगाया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप यह कहना चाहते हैं कि if he wants to make suggestion to apply this Bill, retrospective from 54-55 then it is not the stage for it. Better he should make an amendment and then that point can be discussed.

श्री अनूपसिंह : मैंने इस प्रकार का अमेंडमेंट पेश कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : You will discuss the point on the basis of your amendment.

श्री अनूपसिंह : मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि दोनों इन्टर-कनेक्टेड नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, माननीय सदस्य उसी के अनुसार बोलेंगे।

श्री अपनूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था मुझे पूरी तरह से मान्य है, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि दोनों कॉन्सीक्वेन्श्यल होते हुए भी कॉन्सीक्वेन्श्यल क्यों नहीं मान रहे हैं। यह हो सकता है कि पीस मील में इसको अलग करके एक अलग कम्पार्टमेंट की तौर पर रख कर सोचना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है। आपको इसे अलग कम्पार्टमेंट का रूप देकर नहीं सोचना चाहिये। इसके बैक ग्राउन्ड में एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स बिल है। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को हम इसलिये लागू नहीं कर रहे हैं कि उसकी वसूली नहीं हो रही है, गवर्नमेन्ट को किसी तरह से फायदा नहीं हो रहा है इसलिये आपने सरचार्ज लगाया है। आप जो यह पीसमील लेजिस्लेशन ला रहे हैं उसके लिये मेरा अमेंडमेन्ट है। मैं कुछ और अर्ज कर रहा था, माननीय मंत्री महोदय ने डिस्टर्ब कर दिया मैं उनका बहुत आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Take a new point.

एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरचार्ज क्या है, यह एक सिरदर्द हो गया है।

श्री अपनूसिंह : (जारी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये है और मेरा तो यह मानना है कि दोनों बिलों को एक ही सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय क्योंकि दोनों अमेंडमेंट बिल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर अलग अलग कमेटीज़ के सामने जाते हैं एक दूसरे की राय अलग अलग हो सकती है और उससे टंटा होगा। यह इसलिये होगा कि एक दूसरे के रिलेशन से वाकिफ नहीं होंगे इसलिये

(श्री अपनूसिंह)

कमेटी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी सजेशन्स देगी।

श्री उपाध्यक्ष : Please continue and conclude it.

श्री अपनूसिंह : यह सरचार्ज क्या आया है एक तरह से सिरदर्द हो गया है, इसको सदन ही तय कर सकता है। हम इस सदन में बैठ कर जब इस बिल को देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका असर जो किसानों पर पड़ने वाला है वह उन किसानों को एक बड़ा सिरदर्द का मामला हो जायगा। माननीय मंत्री महोदय कहते तो यह है कि बहुत छोटा सा बिल है, इन्नोसेन्ट बिल है। लेकिन यह आपका इन्नोसेन्ट बिल इन्नोसेन्ट काश्तकारों के लिये काफी सिर-दर्द हो सकता है और हो जायगा। जो काश्तकार अपनी बिघोड़ी और लगान दे नहीं सकता जिसकी सामर्थ्य इतनी नहीं कि वह बराबर लगान दे सके उस किसान पर आप सरचार्ज लगाते हैं यह एक बहुत बड़ा सिरदर्द उनके लिये हो जायगा। वाकई में आप किसानों का भला चाहते है आप इस बिल को एक बार सिलेक्ट कमेटी में भेज कर देखिये और वहां पर बैठ कर आपको पता चलेगा कि जो इन्सीडेन्स आपने किया है वह कहां तक सही है और उस पर अपने अपने सुझाव पेश कर सकें इसलिये यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाय, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री लच्छूराम (मंडावा) : मैं समर्थन कर दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ६ तारीख को बजट पेश हुआ। उन्होंने इसको पढ़ा और यह भी देखा कि कौनसी मद में किस प्रकार का ब्यौरा है ? जैसा कि श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कल बतलाया था कि छोटा सा एक अल्पाहार देने पर, छोटी सी एक भेंट-पूजा या पेटाहार देने पर हमारे मन्त्री महोदय ही क्या हमारा मन्त्रिमण्डल अपनी नीति को बदल सकता है तो इस प्रकार के मन्त्रि-मण्डल से और इस प्रकार की सरकार से हम क्या आशा रख सकते हैं ? और यह बात और यह प्रसंग मैं इसलिये लाया हूं कि किसान जो छोटे छोटे गांवों और ढाणियों में रहते हैं, वहां वैसे हो अखबार या समाचार-पत्र नहीं पहुँच पाते आसानी से, फिर जो कानून बनते हैं इसकी जानकारी तो महीनों बाद में होती है और वह भी होती है तो होती है नहीं तो नहीं भी हो पाती। आज इस स्थिति में जो टैक्स राजस्थान के किसान पर लगाया जा रहा है, अगर वे चलचित्र वालों की तरह होते; जैसे उन पर मनोरंजन कर लगाया तो उन्होंने संगठित होकर विरोध किया, इसी तरह ये किसान भी आज समझदार और साधन सम्पन्न होते तो इसके विरोध में वे असेम्बली के बाहर लाखों की तादाद में इकट्ठे होकर अपनी आवाज बुलन्द करते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आप तो उनके प्रतिनिधि हैं न। आप शुरू कर दें अभी से।

श्री लच्छूराम : मैं भी हूं और आप भी। जो यहां बैठे हैं सब किसानों के प्रतिनिधि हैं, ठीक है।

श्री श्रीभानसिंह : आप ज्यादा हैं कम्युनिस्टों में बैठते हैं और मोहरसिंहजी के फोलोअर हैं।

श्री लच्छूराम : आप भरतपुर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में कहीं कहें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने प्रश्न के सन्दर्भ में ही बोलें।

श्री लच्छूराम : मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहने का यह तात्पर्य है कि एक भूखे और नंगे और अशिक्षित वर्ग के ऊपर इस प्रकार का कुठाराघात करना और कर पर कर लगाना यह न्यायोचित बात नहीं है। आप समाजवाद का नारा लगाते हैं, आप समाजवाद की स्थापना कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं पर आप जब इस तरह के काम करते हैं तो वे आपके सब दिखावे लगते हैं। आपको तो यह कहना चाहिये था कि आप पचास रुपये से कम देने वाले किसान से लगान ही नहीं लेंगे। पर पचास रुपये तक लगान देने वाले से भी आप एक आना रुपया सरचार्ज लगा कर जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जिस कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं वह कोरा दिखावा है। वास्तव में तो हमारी यह सरकार अकल्याणकारी ही मालूम होती है। यह सरकार किसानों के खिलाफ है और मैं यह भी कह दूं कि हमारे राजस्थान के भू-राजस्व-मन्त्री भी काश्तकारों के प्रति हमदर्दी नहीं रखते हैं और काश्तकार विरोधी हैं।

(करतल-ध्वनि)

अगर देखा जावे तो जितने काश्तकारी कानूनों के बाद जो अमेंडमेंट्स आये उन पर गम्भीरता से विचार किया जावे तो प्रतीत होता है कि एक भी अमेंडमेन्ट उनमें से क्रान्तिकारी न होकर और प्रगतिशील न होकर अप्रगतिशील ही हैं और किसानों की जेब काटने की बातें और नीति उनमें निहित है। इसलिये मैं कहूंगा कि यह जो सरचार्ज आप लगाने जा रहे हैं यह किसानों के लिये सर्वथा अहितकर है और एक प्रगतिशील कहलाने वाले शासन के लिये अप्रगतिशीलता के कार्य का एक नमूना है। और मैं तो यह कहूंगा कि हमारी यह सरकार किसान हितकारी है या किसान विरोधी है

श्री उपाध्यक्ष : आप तो घेरे के घेरे में ही चल रहे हैं, विषय पर नहीं आ रहे हैं।

श्री लच्छूराम: सरकार नारे लगा रही है ...

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर बोलिये। सरकार क्या नारे लगा रही है, क्या नहीं; इसे छोड़कर विषय पर तो आइये।

श्री लच्छूराम : इसको सिलेक्ट कमेटी के रेफर किया जावे, इसके समर्थन में मैं बोल रहा था। इसलिये कहना चाहिये कि पहले तो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया वही उचित नहीं है फिर सरचार्ज लगाना तो और भी अनुचित है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : किस लिये सलेक्ट कमेटी में भेजा जावे, यह तो बताया ही नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : वहां तो उसका अध्ययन करना पड़ता है न। बतलावें क्या? मुश्किल है।

श्री लच्छूराम : पचास रुपया तक लगान देने वाला किसान, इतना कोई मोटा चौड़ा लम्बा कानून यह नहीं है जिसके अध्ययन के लिये समय लगाना पड़े और इस प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से मैं यह माफी चाहूंगा, मैं यह गुज़ारिश करूंगा कि किसी सदस्य पर आरोप इस तरह का ....

श्री उपाध्यक्ष: मैं अपना धीरज खोना नहीं चाहता हूं। आप शुरू से बराबर इधर-उधर बोल रहे हैं। मुझे भी तो व्यवस्था देनी पड़ती है। Yes, Mr. Bhatnagar.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो ये दो प्रस्ताव आये हैं सिलेक्ट कमेटी में भेजने का और जनमत के लिये प्रसारित करने का, मैं इन दोनों का विरोध करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जब भी कोई कानून आता है, सदन में कुछ ऐसा होता है कि कई माननीय सदस्य पददलित, नंगे और भूखे किसान की बात कह कर दलीलें पेश करते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): विशेष कर विरोधी दल।

श्री सोहनलाल भटनागर : पर हमें हमेशा इस प्रश्न की वस्तु-स्थिति और सत्य पर देखना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कइयों ने कहा कि यह कोई नया कर नहीं है वह तो चूंकि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स जो काफी कॉम्पलिकेटेड था उसकी जगह लाया गया है। इससे काफी किसान को राहत मिलने वाली है। तो इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही सीधी सादी प्रणाली लागू की जा रही है।

दूसरी बात, हम किसानों का नाम लेकर उनकी तकलीफों की दुहाई देकर दलील देते हैं। हमें इस पर सोचना होगा। हमें देखना है कि सन् ३० के बाद जो चीजों के भाव काफी गिर गये थे, पर फिर दूसरे युद्ध में चीजों के भाव काफी बढ़े और किसान की काफी तरक्की हुई है और अनाज के और अन्य दूसरी चीजों के भाव काफी बढ़े हैं। लेकिन इसके साथ इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेशन है, एग्रीकल्चर के सैक्टर में भी जो टैक्सेज़ हैं उनका भार इतना नहीं पड़ा उन महंगी चीजों के मुकाबले में। इस दृष्टिकोण से भी किसान पर बोझा नहीं पड़ा है। फिर उसको अपना विकास करना है। जिन किसानों की तरफ सैकड़ों वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया उनके विकास के लिये, उनको अपनी कृषि उन्नत करने के लिये साधन देने की बातें की जा रही है तो उनकी भी थोड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इसमें वे भी कुछ योग-दान दें।

(२ म० प०)

इस दृष्टिकोण से यह कर लगाया जा रहा है जो बहुत थोड़ा सा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सैक्टर के प्रोडक्शन और उसकी कीमतों के मुकाबले में बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू या ये टोटल टैक्सेज़ दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं।

(श्री सोहनलाल भटनागर)

एक जमाना था जब कि लैण्ड रेवेन्यू कमाई का मुख्य जरिया था । लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां ६६ पर्सेन्ट लैंड रेवेन्यू से आमदनी होती थी वहां १६४८-४६ में १६.१ पर्सेन्ट टोटल इन्कम लैण्ड रेवेन्यू से होती थी, उसके बाद १६५३-५४ में ६.६ पर्सेन्ट लैण्ड रेवेन्यू से आमदनी होती थी और जिस तरह से हमारे समाज में विकास हो रहा है और दूसरे सेक्टरों में कर बढ़ रहा है वहां धीरे धीरे मेरे ख्याल से ४ या ५ पर्सेन्ट ही इन्कम रह गई है । इस दृष्टिकोण से अगर यह कर लगाया जाता है तो हानिहोने वाली नहीं है ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे राजस्थान में गत वर्षों में जो इन्टरमीजियरीज़ थे; जैसे जागीरदारी और बिस्वेदारी, उनको समाप्त किया गया और लाखों किसानों के ऊपर जो बड़ा भारी भार था और कहीं कहीं जो उनसे १।२ और १।३ हिस्सा लिया जाता था उससे भी हमारे काश्तकारों को काफी राहत मिली है । इस दृष्टिकोण से जो सुपर टैक्स लगाया जा रहा है इससे हानि होने वाली नहीं है । दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसी कि सिलिंग की रिपोर्ट है उसको भी देखें तो मालूम होगा कि जो हमारे होल्डिंग्स हैं वे बहुत छोटे छोटे हैं और उस दृष्टिकोण से भी काफी कम लोग इसके अन्दर आने वाले हैं और इस बिल को देखते हैं तो उसके अन्दर व्यवस्था की गई कि ५० रुपये से ज्यादा लैण्ड रेवेन्यू देने वाले के ऊपर यह सरचार्ज एक आना रुपया के ऊपर वसूल किया जायेगा । यह बारानी के ऊपर का है और बारानी के बाद चाही लगान के बारे में जो व्यवस्था है उसको देखते हैं तो मालूम होगा कि चाही लगान में १।३ ही लिया जायेगा । अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इससे हमारे यहां के ४०-५० प्रतिशत किसानों के ऊपर भार पड़ेगा । इसको मैं नहीं मानता । चाही और बारानी का जो १।३ का सिद्धान्त रखा है वह ठीक है । मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स में वृद्धि होने वाली है उससे ज्यादा से ज्यादा १० या ८ पर्सेन्ट किसान ही प्रभावित होंगे और वे ही इस सरचार्ज को देने वाले हैं क्योंकि हमारे राजस्थान में बहुत कम किसान ऐसे हैं कि जिनको ५० रुपये से ज्यादा का लैण्ड रेवेन्यू देना होता है । इस दृष्टिकोण से एक सरल व्यवस्था हमारे सामने की जा रही है और दूसरे यह कि जैसा कि डेमोक्रेसी में स्पष्ट है कि अधिकार और कर्त्तव्य दोनों साथ चलते हैं, इस दृष्टिकोण से कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि किसानों को जाकर बतायें तो मालूम हो सकता है । लेकिन मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आज किसान उचित और अनुचित की बात को अच्छी तरह से समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह से समझते हैं । हो सकता है, इस दृष्टिकोण से जो सीमा ५० रुपये की रखी गई है वह ७५ रुपये की कर दी जाये या चाही के बजाय इर्रिगेटेड कर दी जाये । ये सब मामूली से संशोधन हैं और वे यहां सदन में ही हो सकते हैं और इनके ऊपर सदन में सोचा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आप

(श्री भैरोंसिंह)

किसानों के अन्दर जाकर कह सकते हैं या नहीं यह बात ?

श्री सोहनलाल भटनागर : कह सकते हैं। इस बेसिस पर तो मैं आपको १०,००० वोटों से हराकर आ सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्व मंत्री महोदय ने यह बिल पेश किया है उसके ऊपर काफी वाद-विवाद भी हो चुका है और इसके बारे में मेरा निवेदन है कि यह ऐसे मौके के ऊपर जब कि कृषकों के ऊपर नाना प्रकार के पहले ही टैक्स लग रहे हैं तो बड़ी भारी दिक्कत का सवाल पेश आयेगा कि इसको भी साथ साथ चलाया जाये। मैं निवेदन करूंगा कि यह सुभीते की चीज तो तब हो सकती थी जब कि जो पहले लगाया हुआ है उसको माफ कर देते। यह कृषकों के सुभीते के लिए नहीं लगाया जा रहा है। मेरा तो खास तौर से निवेदन है कि कृषक इस चीज़ से काफी दिक्कत में पड़ेंगे और ५० रुपये से ऊपर लैण्ड रेवेन्यू देने वाले कृषक बहुत कम हैं और नीचे के बहुत ज्यादा हैं। तो उनके ऊपर भी इसका काफी असर होगा। प्रश्न तो इस समय यह आ रहा है कि इसको रखने के बजाय दो महीने के लिए जनमत के लिए भेज दिया जाये या इसको अभी प्रवर समिति के अन्दर दे दिया जाये। यह सवाल कोई अनुचित नहीं है क्योंकि इससे उन काश्तकारों के ऊपर बोझ पड़ेगा जिनके नुमाइन्दे होकर हम यहां आये हैं और इसके अतिरिक्त कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए निवेदन करूंगा कि बैल के सिम्बल....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह बैल के ऊपर टैक्स नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : बैल के ऊपर तो नहीं है, लेकिन बैल के रखने वालों के ऊपर तो है। एक तरह से देखा जाये तो यह अनुचित है और इसको लादा जायेगा तो कृषक पहले ही बहुत ज्यादा भाराक्रांत हैं, पहले ही उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने दोनों बातों के लिए अर्ज किया कि या तो जनमत के लिए या सिलेक्ट कमेटी में दे दिया जाये तो वहां इसके प्रत्येक पहलू पर विचार किया जा सकेगा और एक अच्छी चीज़ सामने आयेगी। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि अगर हम इस तरह का प्रश्न पहले लाते और कृषक समुदाय जिनके वोटों के ऊपर इधर के और उधर के दोनों तरफ के ही माननीय सदस्य आये हुए हैं अगर उनको यह पता लगता है कि यह दिक्कतें आयेंगी तो बड़ी दिक्कत की बात हो जायेगी। यह भी मैं निवेदन करूंगा कि यह सिर्फ १० लाख रुपये की ही चीज़ है। जहां सरकार एक अरब रुपया इस राज्य की व्यवस्था के लिए खर्च कर रही है तो १० लाख रुपया कोई भारी चीज़ नहीं है। इन वर्षों में वैसे ही कृषक समुदाय काफी दिक्कतों में पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन तो यही है और अगर मैं यह समझूं कि जैसे कि आज १ अप्रेल है उसमें मजाक की चीज़ भी हो जाती है अगर इसको वैसे जन-मत के लिए भेज दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा....

Page No.67

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यह आपका भी भाषण मजाक में हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही का पहली अप्रेल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिस समय यहां दूसरे सदस्य भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि बाजार में हो रहा है, यह आपत्तिजनक है....

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं, आपने गलत सुना है ।

(विराम)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हमारे सामने इस विधेयक के ऊपर दो प्रस्ताव प्रस्तुत हैं....

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु०) : पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, जो माननीय सदस्य खड़े हुए हैं क्या आपने उनका नाम कह दिया था ?

श्री उपाध्यक्ष : Please resume your seat. This is not a question to be put to the Chair.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ऊपर दो प्रस्ताव हैं । एक तो सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के लिए और दूसरा जनमत हेतु प्रसारित करने के लिए । मैं दोनों का विरोध करता हूँ ...

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेज़री बेन्चेज़ में आधा मंत्री ही बैठा है पूरे, मंत्री बुलाये जायें ।

उप-मंत्री, विकास (श्री बरकतुल्लाखां): आधा मंत्री भी पूरे मंत्रिमण्डल को रिप्रेजेन्ट करता है ।

श्री उपाध्यक्ष : Let us hope that he may be a full Minister.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : ये आधे आधे दो हैं, इसलिए एक पूरा हो जाता है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह सर्व विदित है कि जो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स हमारे राजस्थान में लगा हुआ था वह सदन के सभी माननीय सदस्य जानते थे कि इससे कृषकों को बहुत तकलीफ है, उसको राजस्थान सरकार ने उठाया यह जो सरचार्ज टैक्स लगाया जा रहा है इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसमें जनता के विचारार्थ जानने के लिये यह भेजा जाये । जब कि पहले एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स था और उसकी ऐसी समस्यायें कई थीं जिससे कृषकों को बहुत कष्ट होता था। और उसके बारे में राजस्थान सरकार ने सोचा कि कृषकों का दुःख मिटाने के लिए और उनको उलझनों से दूर करने के लिए उस टैक्स को हटाकर यह सरचार्ज लगाना आवश्यक समझा है ।

अब सवाल यहां पर सिर्फ इतना सा है कि ५०) रु० से ऊपर लगान देने वाले पर यह सरचार्ज लगाया जाय या नहीं ? इतना

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

सा सवाल है। इस पर सिलेक्ट कमेटी में जाकर विचार हो या प्रजा का रुख जानने की आवश्यकता हो, उपयुक्त नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : ५०) रु० से ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्योंकि अभी जो बिल हमारे सामने है वह ५०) रु० तक के लिए है। उससे ज्यादा वालों के लिए नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर ऐसी बात विचार-विमर्श करने के लिए नहीं है जो कि सलेक्ट कमेटी में जाकर तय की जा सके। इसके बारे में अपने विचार सदन के सामने जो धाराएं पेश हों उस वक्त उन धाराओं में एमेंडमेंट लाकर उनको पेश किया जा सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अभी यह कहा गया कि इससे किसानों पर बड़ा भारी बोझ होगा, किसान वोट नहीं देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के बलबूते पर ही कांग्रेस सरकार सदन में बैठी हुई है न कि शहर की जनता के बल पर। शहर की जनता से जनसंघ आदि दूसरे दलों के लोगों को शायद अधिक वोट मिल सके हैं। ज्यादातर काश्तकारों ने कांग्रेस दल को ही वोट दिये हैं....

श्री बरकतुल्लाखां : शहरों से भी कांग्रेस के उम्मीदवार रिटर्न हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Don't make it a controversial issue.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों की फिक्र दूसरे दलों को ही नहीं, सरकारी बैंचों पर बैठने वाले दल को भी है। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि जो यह सिलेक्ट कमेटी में भेजने का या जनता की राय जानने के लिए भेजने का प्रस्ताव आया है तो जनता के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और जनता के प्रतिनिधियों ने यही सोचा कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के बजाय सरचार्ज का टैक्स लगा दिया जाय जो कि सीधा-सादा टैक्स है। इसमें मेरी ओपीनियन यह है कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगा था तो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स की ४,०००) रु० तक हद मुकर्रर की थी, लेकिन यहां पर ५०) रु० से अगर ५१) रु० हो जाय तो उसको १ से लेकर ५१) रु० तक ६ रुपये सैकड़े के आधार पर टैक्स देना पड़ेगा। यह मेरे ध्यान से कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता है। लेकिन इसके मायने ये नहीं हैं...

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह क्या जनता की राय है?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूँ इसलिए जनता का प्रतिनिधि होने के नाते जनता की राय ही बतलाता हूँ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लायक मित्र जो बहुत ही उद्विग्न हैं कि शायद जनता के प्रतिनिधि वे ही हों और दूसरे नहीं हों, उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। न तो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और न जनता में विचा-

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

रार्थ पेश किया जाय, बल्कि इसको जल्दी से जल्दी यहीं पारित कर दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! Hon'ble Member on my left please.

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु०): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू सरचार्ज बिल विचारार्थ लिये जाने को है। इसमें दो प्रस्ताव आये हैं। एक तो यह है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाय और दूसरा सलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजने के लिए है। लेकिन मैं जनमत के लिए प्रसारित करने के लिए जो प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करता हूं और सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सरचार्ज टैक्स काश्तकारों के ऊपर इस वक्त लगाने के लिए सरकार का विचार हो रहा है, मैं उसका सख्त विरोध करते हुए यह निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से आपके द्वारा कि पहले ही काश्तकारों के ऊपर काफी टैक्स लदे हुए हैं। सबसे पहले भू-राजस्व, दूसरा टोबेको टैक्स यानि तम्बाखू टैक्स, तीसरा पंचायत समिति का टैक्स। पहले भू राजस्व के साथ में सैस वसूल करते थे उसी के रूप में टैक्स पंचायत समितियों ने भी चालू कर रखा है, नया टैक्स। इस तरह से किसान कितने ही टैक्सों से दबा हुआ है इसलिए जो सरचार्ज लगाया जा रहा है उसे देने में असमर्थ रहेंगे। क्योंकि सरचार्ज एक ऐसा टैक्स है कि जो काश्तकार ५०) रु० तक भू-राजस्व देता है उसको इससे मुक्त किया गया है, लेकिन ५०) रु० से २४९) रु० तक एक आना रुपया और उससे २५० और २५०) रु० से ऊपर दो आना रुपया हर एक काश्तकार पर लगाया गया है। तो यह आप देखेंगे, माननीय उपाध्यक्ष कि ५०) रु० तक का लगान देने वाले जो काश्तकार हैं वह आपको मेरे खयाल से २५ प्रतिशत मिलेंगे और ७५ प्रतिशत काश्तकार ५०) रु० से लेकर २४९) रु० तक और २४९) रु० से ऊपर के मिलेंगे। तो मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सरचार्ज बिल को जनमत जानने हेतु भेजा जाय, न कि इसको सदन द्वारा पारित करके काश्तकारों पर लादा जाय। क्योंकि सरचार्ज का बोझा चाही जमीन पर भी रखा है। चाही जमीन पर जो भू-राजस्व वसूल होगा उसका १।३ के ऊपर सरचार्ज लिया जायगा। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि चाही जमीन पर सरकार का उतना हक नहीं है, क्योंकि कुए हमने खोदे, जमीन को हमने उपजाऊ बनाया है, ज़मीन के टीले हमने सीधे किये हैं फिर सरकार से निवेदन करता हूं कि वह क्या हक रखती है कि चाही जमीन पर सरचार्ज ले ! उसका जो लगान होगा उसके १।३ के ऊपर सरचार्ज लिया जावेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, चाही जमीन पर जो सरचार्ज है सवाल ही उसका उठा देना चाहिये। बारानी ज़मीन पर रखते हैं, बारानी या बन्जर जमीन पर जो कुछ रखते हैं उसके जनमत जानने के पहले इसको भेजा जाय कि जनमत इस बात को जान ले कि सरचार्ज क्या चीज है, सरचार्ज क्या दवा है ? मान-

(श्री नाथूलाल करोल)

नीय उपाध्यक्ष, मैं आप से निवेदन करूंगा कि जनमत जानने के लिए अगर इसको नहीं भेजा जाता है तो पंचायत समितियों के सदस्यों को, ज़िला परिषद के प्रमुखों को व सदस्यों को भेज दिया जावे और सरकार को कम से कम १ या २ महीने के अन्दर वे बतला दें गे कि सरचार्ज पब्लिक पर किसानों पर थोपा जाय या नहीं। इसलिए माननीय सदस्यों से आपके द्वारा निवेदन करता हुआ यह अर्ज करूंगा कि इस सरचार्ज बिल को इस वक्त जनमत जानने के लिए भेजा जाय न कि सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और न इसको पारित किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, किसान वर्ग इतना पिछड़ा हुआ है कि हर तरह से दबा हुआ है। उसको कई तरह के टैक्सेज़ देने पड़ रहे हैं, फिर भी किसान वर्ग को हर तरह से दबाया जा रहा है। तहसील में तहसील के कर्मचारी हर तरह से किसानों को परेशान करते हैं। इस बात की राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त में और बजट में भू-राजस्व की मांग पर जो डिबेट हुई थी उसकी सदन को जानकारी हुई है कि किसानों को कितनी तहसील के कर्मचारियों द्वारा कितनी परेशानी होती है और जो भू-राजस्व वसूल किया जाता है वह तमाम राजस्थान में एक सा नहीं है। एक तहसील में १०) ११) रु० चाही ज़मीन पर है जब कि बराबर की तहसील में चाही ज़मीन की रेट ७) रु० बीघा पर है। कम से कम गवर्नमेंट इस बात में तो सुधार कर लेती कि चाही ज़मीन पर एक ही रेट रखा जाय। एक ही ज़िले में अलग अलग रेट्स हैं। एक जगह ७ रु० और एक जगह १०) रु० फी बीघा है जब कि एक ही तरह की मिट्टी है और एक ही तरह की पैदावार होती है। यह ध्यान में न रख कर किसानों के ऊपर ५०) रु० से लेकर २४६) रु० तक एक आना और २४६)रु० व उसके आगे २ आना फी रुपये के हिसाब से सरचार्ज लादा जा रहा है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि आखिर काश्तकार इसके लिए भी तैयार हो सकता है लेकिन रिश्वतखोरी को आप खत्म कर दें तो। काश्तकार रिश्वत से पैसा बचा कर सीधा गवर्नमेंट को टैक्स के रुपये में देने के लिए तैयार हो जावेगा और गवर्नमेंट के बजट का घाटा पूरा करेगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। रिश्वत के लिए सीधा रास्ता खोल रखा है। बेचारे किसी काम के लिए तहसील में जाते हैं तो अपने आप रिश्वत देनी पड़ती है। अगर रिश्वत नहीं देते हैं तो उनका काम नहीं निकलता है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सरचार्ज और रिश्वतखोरी एक ही है?

श्री उपाध्यक्ष : की जा रही है, इधर-उधर से।

श्री नाथूलाल करोल : धौलपुर में रिश्वत नहीं होगी। जयपुर ज़िले में ज्यादा रिश्वत चलती है। इसलिए इस वजह से मैं कह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष, अब इतना ही निवेदन करते हुए आपके द्वारा, माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सरचार्ज का जो बिल है उसको जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दिया जाय, और इसको इस

(श्री नाथूलाल करोल)

वक्त पारित करने का या विचारार्थ लेने का कोई प्रश्न ही न उठावें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरचार्ज का जो बिल है उसका समर्थन करता हूँ और सिलेक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : और जनमत का ?

श्री पी० के० चौधरी : जनमत और सिलेक्ट कमेटी, दोनों का विरोध करता हूं। सरचार्ज लैंड रेवेन्यू पर लागू होना चाहिये या नहीं ? मैं देख रहा हूं कि सदन में एक वातावरण बन रहा है, सरचार्ज लगाना काश्तकारों के खिलाफ है। It is not a justice to the agriculturists. इस प्रकार का वातावरण पैदा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सरचार्ज का उसूल प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का उसूल है। आज जो एग्रीकल्चर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसमें जस्टिस इन्ट्रोडयूस करना हो तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से कर सकते हैं। आज किसी आदमी के पास २०० बीघा जमीन है और दूसरे आदमी के पास ५ बीघा जमीन है तो उन दोनों से एक सा ही लैंड रेवेन्यू लिया जायगा। इसको इक्विटी और जस्टिस नहीं कहा जा सकता। सरकार ने जो कन्सेप्शन लिया है सरचार्ज लगाने का वह सिर्फ लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिये ही नहीं है लेकिन मैं मानता हूँ कि सरचार्ज का प्रिन्सिपल गवर्नमेन्ट ने मंजूर किया है वह इस बात का द्योतक है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का उसूल शुरू किया जाय। जिस किसी के पास ५०० एकड़ जमीन है जो अब सीलिंग के बाद ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रह जायगी, राजस्थान में ३० स्टेन्डर्ड एकड़ १५०, २०० या १०० ऑर्डिनेरी एकड़ तक जा सकती है, जिसके पास १०० एकड़ जमीन होगी उस पर भी जो लैंड रेवेन्यू होगा और जिसके पास २ एकड़ जमीन होगी उस पर भी वही लिया जाता है तो उसको जस्टिस नहीं कहा जा सकता। तो सरचार्ज में सबसे इम्पोर्टेन्ट बात यह है कि प्रोग्रेसिव लैंड टैक्स के कन्सेप्शन को मंजूर करते हैं। यह बात दूसरी है कि सरचार्ज में एग्जेम्पशन ज्यादा रखा है या कम रखा है, उसमें कमियें हो सकती हैं। लेकिन सरचार्ज के उसूल का विरोध किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि सरचार्ज के उसूल को मानना चाहिये। जो लोग समाजवाद की बात करते हैं और जो गरीब काश्तकार की दुहाई देते हैं उनको तो इसका स्वागत करना चाहिये। मैं मानता हूं कि गरीब काश्तकार या एग्रीकल्चरिस्ट को इसका वेलकम करना चाहिये। कम से कम एक तरह की जस्टिस शुरू होगी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में इस उसूल पर मैं इसका स्वागत करता हूं और मानता हूँ कि सदन के सभी माननीय सदस्य इसका स्वागत करते हैं। जो लोग काश्तकार या गरीब काश्तकार के नाम से बात करते हैं उनको इसका स्वागत करना चाहिये न कि रिच पीजेन्ट्स को। आज रिच पीजेन्ट्स के नाम से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बाड़मेर से आनेवाले माननीय सदस्य इस बात पर राजी थे कि सरचार्ज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सन् ५७ से लगा दिया जाय इन प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का

(श्री पी. के. चौधरी)

वे विरोध करते हैं लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सरचार्ज लगाने के लिये तैयार हैं लेकिन एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को मंजूर करने को तैयार नहीं हैं। सरचार्ज का इम्पली-मेन्टेशन सिम्पल रहेगा ! वह सिम्पल रहेगा, इस ख्याल से मैं जो बात पॉइन्ट आउट कर रहा हूँ वह यह है कि गरीबों पर इसका इफेक्ट नहीं होगा और यदि इफेक्ट होता है तो उस स्केल को बदल सकते हैं, एग्जेम्प-शन की लिमिट को बदल सकते हैं, लेकिन उसूल को स्वीकार करना चाहिये । गरीब काश्तकार के नाम से इस सरचार्ज को सन् ५५ से मंजूर करने को तैयार हैं in place of Agricultural Income Tax. This very argument goes against the mover of the motion. जो गरीब काश्तकार की दुहाई देते हैं ।

अब अपन आते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, सरचार्ज पर । सरचार्ज का जो स्केल रखा है मेरा इसमें मतभेद है और मतभेद इसलिये है कि जैसा हमारी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने भी कहा है कि सरचार्ज इम्पोज़ करेंगे उससे पहले जो रेवेन्यू का एस्टिमेट है उसको स्टेन्डर्डाइज़ कर देना चाहिये, नहीं तो इसका इन्सीडेन्स अनइक्विटेबल होगा, किसी एरिया में ज्यादा होगा और किसी में कम होगा । मैं इसमें संशोधन चाहता हूं । मैं समझता हूं, इसको सिलेक्ट कमेटी में देने की जरूरत नहीं है । संशोधन के जरिये भी इसको ला सकते हैं । वह ऐसा होना चाहिये कि अनइक्वेलिटी न हो, गरीब काश्तकार हैं, क्योंकि सरचार्ज को मंजूर किया है एज ए प्रिन्सिपल । As a principal of Social Justice मंजूर करते हैं । अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की नीति को मंजूर करते हैं तो यह फर्ज हो जाता है कि आज हमारे यहां जो लैंड रेवेन्यू अनसाइन्टिफिक बेसिस पर है इसके जरिये यह न हो जाय कि इवन स्माल पीजेन्ट्स हैं, उन पर इवन देट होल्डिंग इज़ नोट इकोनो-मिक, या अनइकोनोमिक है उसको भी सरचार्ज का विक्टिम न बनना पड़े । मैं समझता हूं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में भी even the holder of an un-economic holding may be subject to surcharge.

इस संबंध में मेरा अमेन्डमेन्ट भी है, उस पर मैं बोलूंगा । दूसरा प्रोविजन हम कर सकते हैं । जहां लैंड रेवेन्यू और सरचार्ज ग्रोस रेवेन्यू ५० से कम होता है वहां नहीं लगेगा उससे बीफोर पूअरर पीजेन्ट सरचार्ज के बर्डन से बरी हो सकता है या दूसरी यह चीज हो सकती है, कम से कम ५० रुपये का सिस्टम रखा है, ५० से कम है उस पर नहीं लगेगा और ५० से ऊपर है, एक्सीडिंग फिफ्टी होगा उस पर ६ पर्सेन्ट रखा है । इस पर ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं ! १२॥ पर्सेन्ट भी कर सकते हैं जिससे जाकर हमारा उसूल रहता है और लार्ज होल्डिंग से ले सकते हैं । इस बात पर हमको विचार करना है कि because of un-equal and un-scientific assessment rates सर्टेन पर्टिकुलर एरिया में इन्सिडेन्स ज्यादा न हो जाय और पूअरर पीपल पर उसका बर्डन न हो जाय, इसको गार्ड करना है न कि सरचार्ज के उसूल का विरोध करना है ।

दूसरी बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के नोटिस में जो लाना चाहता हूं वह यह है कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि लैंड रेवेन्यू का

(श्री पी. के. चोधरी)

रिविज़न करेंगे। उन्होंने यह कहा था कि १६३६ में साइन्टिफिक बेसिस पर हो गया उनको रिवाइज़ करने की जरूरत नहीं है। उनको रिवाइज़ करेंगे जिसमें प्राइस में राइज २५ से ४७.३ पर्सेन्ट तक बढ़ी है, उसमें लैंड रेवेन्यू ३.२५ से २५ पर्सेन्ट तक बढ़ा सकते हैं। उसमें शिड्यूल दिया है उसके अनुसार कर सकते हैं। इस हिसाब से इन्सिडेन्स बढ़ा सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि जो सरचार्ज लगा रहे हैं वह पूअरर पीजेन्ट्स पर या स्माल होल्डिंग्ज पर या अनइकोनोमिक पड़ जाय तो उसको ठीक करना चाहिये। मैं समझता हूं स्ट्रिक्टली इस प्रिन्सिपल को अपनाना चाहिये और उसके माफिक एग्जेम्पशन लिमिट करनी चाहिये। जहां तक प्राइस राइज़ होने का सवाल है १६५२-५३ को बेस इयर लेते हैं। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने भी यही कहा था कि प्रिसिडिंग २० ईयर को बेस ले सकते हैं। माना कि २०-२५ पर्सेन्ट होगा तो उस पर incidence of land revenue should not increase from more than 3.25 percent to 25 percent. This para 21 of the Taxation Enquiry Committee Report. Vol. III, इसका शिड्यूल दिया हुआ है, पेज २३०, पैरा २१। माननीय मंत्री महोदय उसको देख सकते हैं। तो आज जो हमारे प्राइसेज़ राइज़ हुए, १६५२-५३ को बेसिस मानते हैं तो जो सीरियल की प्राइस है, सीरियल की प्राइस होलसेल प्राइस १६५२-५३ में १०० मान कर चलें तो आज जाकर वीक एन्डिंग ऑन ५ अप्रेल, १६६० को १०३.५ प्राइस होगी, यानि साढ़े तीन पर्सेन्ट बढ़ी है। पल्सेज़ की प्राइस गिरी है, ६२ प्राइस इन्डेक्स और प्राइस रेज़ हुई है, १६५२-५३ को बेस मान लेते हैं और मान लीजिये कि २० इअर की की प्राइस लें। २० इअर में १६४० से १६६० तक प्राइस का फ्लक्चुएशन पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि जो स्माल लैंड होल्डर्स हैं उनके ऊपर सरचार्ज का इन्सीडेन्स न पड़े, इस तरफ ध्यान देना चाहिये। इसकेलिये मैं माननीय मंत्री महोदय की याददाश्त के लिए एक बात और कहना चाहता हूं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने १६३६ में एक प्रस्ताव पास किया था जो इस प्रकार है :

"The Congress at its last Session being fully conscious of the fact that the most important and urgent problem of the country is the apalling poverty, un-employment and indebtedness of the peasantry, called upon the Provincial Congress Committees to make recommendations to enable the All India Congress Committee to draw a policy of all India Agrarian Programme. The Congress is convinced that the final solution of this problem involves the removal of British imperialistic exploitation and a radical change in the antiquated and repressive land tenure and revenue systems."

अब उसमें जाकर उन्होंने कहा था, आइटम नम्बर २ में : "-Un-economic holdings should be exempted from land rent or land tax." अब मेरा उसमें सिर्फ इतना सुझाव है, यह जो सरचार्ज का एग्जेम्प्शन रखा है सेफ रखा है, उसमें सेफ गार्ड करना है, अनइकोनोमिक होल्डिंग के जो ऑनर हैं उन पर सरचार्ज का असर नहीं पड़ेगा क्योंकि १६३६ में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रस्ताव

(श्री पी. के. चौधरी)

पास किया कि अनइकोनोमिक होल्डिंग के होल्डर्स हैं, they should be exempted from land revenue and land tax both. दोनों से मुक्त रहने चाहिए। तो उनको लैंड रेवेन्यू से मुक्त नहीं किया। उससे लैंड रेवेन्यू वसूल करते हैं, उस पर सरचार्ज का इन्सीडेन्स नहीं पड़े, जिसे अभी पास करना है। अगर लैंड रेवेन्यू स्टेन्डर्डाइज़ होता तो जो आज एग्जेम्पशन की लिमिट प्रपोज़ की है, उसका डर नहीं होता। तो क्योंकि लैंड रेवेन्यू स्टेन्डर्डाइज़ नहीं है अनसाइन्टीफिक बेसिस पर हुआ है इसलिए शंका रहती है और it will be in reality a liability in certain parts of the province. जैसा हमारे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में खास तौर से, धौलपुर में खास तौर से, जो अनइकोनोमिक होल्डिंग होल्डर्स हैं उन पर सरचार्ज का इनसीडेन्स हो सकता है। इसको गार्ड करने के लिए मेरा खास सुझाव है, या तो एग्ज़ेम्पशन की लिमिट बढ़ा दी जाय, जो ५०रुपये तक लैंड रेवेन्यू देते हैं, उनको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया है, और जो ५० रुपये से ऊपर लैंड रेवेन्यू देते हैं उस पर जो एडीशनल लैंड रेवेन्यू देते हैं, उस पर सरचार्ज लगा दीजिये, तो ज्यादा साइन्टिफिक होगा, and it will serve both the purposes और लैंड रेवेन्यू की रिसीट बढ़ेगी और a start in progressive taxation on land भी इन्ट्रोड्यूस हो जायगा...

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष भू-राजस्व पर अधिभार विधेयक पर जो जो प्रस्ताव आये हैं उनमें प्रथम तो जनमत के लिये है और दूसरा सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिए है। जहां तक जनमत के लिए प्रसारित करने का प्रश्न है मैं उसका विरोध करता हूं और जहां तक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रश्न है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं यह बताऊं कि इसको जनमत के लिए प्रसारित करने की आवश्यकता क्यों नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल जनमत के लिये प्रसारित किया जाय, उसमें कुछ उसूल होने चाहिये। जहां तक इस बिल का प्रश्न है, यह बिल राजस्थान के काश्तकारों से सम्बन्धित है और काश्तकारों के लगान के ऊपर सरचार्ज लगाने से सम्बधित है। मैं नहीं समझता कि इसे जनरल पब्लिक, पूरी जनता की जानकारी के लिए प्रसारित करने की क्यों आवश्यकता हो सकती है? साथ में यह फाइनेन्शियल बिल है और उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी जनता की आवाज़ ऐसी नहीं है कि किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाया जाय, किसी जनमत की यह आवाज नहीं हो सकती कि किसी प्रकार का सरचार्ज या कर लगाया जाय। इसलिए जनता के जनमत को जानने के लिए प्रसारित करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। क्योंकि यह तो कोई सामाजिक कानून नहीं है, ऐसा कानून नहीं है, जिससे जनता का सम्बन्ध हो बल्कि इसका किसान से सम्बन्ध है। उस सम्बन्ध में किसानों के प्रतिनिधियों की राय जानी जा सकती है या टैक्निकली जांचा जा सकता है कि क्या हालत है। इसलिए जो जनमत के लिए प्रसारित करने का प्रश्न है, मैं समझता हूं इसके पीछे कोई उसूल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण यह है कि यह जो बिल है यह एडीशनल टैक्स का नहीं है, जैसा कि बिल के

(श्री शंकरलाल)

उद्देश्य में बताया गया है कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स, जो राजस्थान के किसानों पर लागू था उसको हटा कर हम सरचार्ज का बिल बनाना चाहते हैं इसलिए यह कोई एक नया कानून या कर वृद्धि का कानून नहीं है, जिससे कर में वृद्धि होगी बल्कि जो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स का कानून था उसको हटाकर नया कर लगा रहे हैं, इसलिए नया कर लगाने का प्रस्ताव नहीं है, जिसके लिए सरकार की तरफ से जनमत जानने की जरूरत हो। यह एक ऑल्टर्नेटिव बिल है, एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को बढ़ा कर सरचार्ज लगाने का। तीसरे, जहां तक हमें अनुभव हुआ,यह एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया गया, उसके लिए प्रत्येक किसान, चाहे उसकी आय उस कानून के अन्तर्गत ६ हज़ार या चार हज़ार की आती हो या नहीं, सैकड़ों की तादाद में नोटिसेज़ जारी किये गये, उससे मुसीबत बढ़ी और वकीलों और दलालों की जेबों में पैसे गये, बाद में यह फैसला हुआ कि यह नहीं लगना चाहिये। एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स किसानों को परेशानी में डालने वाला था, हमारा यह अनुभव हुआ और उसको हटा करके सरचार्ज लगाया जाय, जो कि मोर साइन्टिफिक है। तो मैं समझता हूं कि जनमत को जानने के लिए आवश्यकता नहीं होती कि जनता की क्या राय है?

उपाध्यक्ष महोदय, इसको अब सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने की आवश्यकता कैसे है, यह मैं आपके सामने बताऊं। अभी फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने बताया था कि इसके अन्दर रेट्स का हेरफेर होना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जो अमेंडमेंट के जरिये कर सकते हैं। उन्होंने भी कुछ कमियां बताईं। उनका इरादा था, अमेंडमेंट के जरिये आ सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये कुछ उसूलन बातें हैं, कुछ ऐसी प्रिन्सिपल की बातें हैं जिनके लिए सिलेक्ट कमेटी में इस बिल का जाना जरूरी है, जिस पर गम्भीरता से विचार करें। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है और उसके अन्दर टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का जो हवाला दिया है उसके अन्दर बताया है कि राजस्थान के अन्दर असेसमेंट है, जो रेट्स हैं, वे अनुचित हैं, उनमें समन्वय नहीं है और चूंकि अलग अलग स्टेट्स थी, उनके अन्दर अलग अलग बांटा लिया जाता था किसान से। कहीं हाफ, कहीं वन-थर्ड, कहीं वन-फोर्थ, कहीं वन-फिफ्थ, इस प्रकार से बांटा लिया जाता था, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार से सेटलमेंट हुआ और दरें कायम की गई जो लगान कायम हुआ, जिस पर हम सरचार्ज लगायेंगे उसकी जो दरें कायम हुई हैं वे समान रूप से नहीं हैं और उन्हें राजस्थान में न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता जब कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, जो रियासतें थी, उनके विलीनीकरण से एक राजस्थान बना; तो ऐसा है कि एक जगह जिस जमीन का लगान २) रु० लिया जाता है, उसी तरह की जमीन का दूसरी जगह ५) रु० लिया जाता है। जिसकी कम रेट लगी है उसको कम सरचार्ज देना पड़ेगा और जिसके ज्यादा रेट लगी है उसको ज्यादा सरचार्ज देना पड़ेगा। जो टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"In Rajasthan, the levy of a

(श्री शंकरलाल)

Surcharge on land revenue at a flat rate per every rupee of assessment would not be appropriate in the existing conditions. There is no uniformity in the level or assessments or in the mode of determining them. The principles and practice of settlement varied in the several covenanting States and they are not quite uniform even in settlements made in the present State of Rajasthan since 1950. Land Revenue assessments in Rajasthan represent the State's share of the gross produce. During certain periods this share was fixed at 1/3 rd, during others at 1/4 th, and at present at 1/6 th of the value of gross produce. The current settlements reflect these variations. Under present Tenancy law 1/6 th of the value of gross produce is also the highest rate of rent which a landlord may legally demand from his tenant. It would be awkward if the Government, by imposing a Surcharge on the rent rate, exceeded the limits of rent that it has set for private landowners. "

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : Place this on the table of ths House and we will read it.

श्री उपाध्यक्ष : How many pages are still to be read over. Please give a gist of the references.

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्टेन लाइन्स रिलेवेन्ट थीं उन्हीं को पढ़ कर सुना रहा था। माननीय सदस्य को इसमें न मालूम क्या आपत्ति हुई ? तो मैं टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने जो राय दी है उसके सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था ....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं; फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है।

श्री शंकरलाल : फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है पर टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का उद्धरण दिया, वह मैंने पढ़ कर सुनाया।

श्री भैरोंसिंह : पेज ?

श्री शंकरलाल : १०६। मेरा मतलब था कि फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का हवाला दिया था वह मैंने बताया कि टैक्सेशन समान और न्याय रूप से किसानों पर लगें। पर राजस्थान में ऐसी स्थिति है, समान रूप से लगान नहीं है। तो सिलेक्ट कमेटी इस पॉइन्ट पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी कि राजस्थान में ऐसी असमानता दरों में कहां कहां है और इससे दरों में कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा। सिलेक्ट कमेटी इस बात की जांच करे कि किस किस इलाके में किस किस तरह की लैंड रेवेन्यू की दरें हैं और इस माफिक सरचार्ज लगायेंगे। बिना इस सब चीज की जांच किये यों ही सरचार्ज लगाना न्यायपूर्ण नहीं होगा।

रेट्स का प्रश्न आया। सरचार्ज की रेट्स हैं ५० से २५० रु. तक लैंड रेवेन्यू जो पे करता है उस पर ६।) रु० और २५०) से ऊपर १२॥) रुपये होंगे। फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें कहा है कि १००)

(श्री शंकरलाल)

रुपये के लगान तक राजस्थान में कोई सरचार्ज नहीं होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्व मंत्रीजी ने किस आधार पर, किस मुद्दे पर, किस सिद्धान्त पर यह सरचार्ज की दरें रखीं हैं? एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को हटा कर सरचार्ज टैक्स लगा रहे हैं। अगर फाइनेन्स एन्क्वायरी कमेटी का अनुसरण करते हुए यह लगान लगा रहे हैं तो १००) रुपया तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगाना चाहिये। तो जो बिल इस सदन में लाया गया है उससे ५०) रुपयों से ही सरचार्ज शुरू हो जायगा, इस आधार पर सिलेक्ट कमेटी अच्छी तरह से जांच करेगी। इसके साथ ही २५० से ऊपर लैंड रेवेन्यू पे करने वालों के लिये १२॥) रुपया रखा है पर फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने बताया है कि ५०० से ऊपर २५ रुपयां लगाना चाहिये। पर इसमें जो दरें रखी गई हैं उनके अनुसार २५० से ऊपर चाहे कितने ही हों, ५०० हों, १,००० हों तो वह भी १२॥ ही देगा। ज्यादा जमीनवालों पर २५ रुपया फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी ने बताया था वहां यहां पर १२॥ ही रखा है; इस मुद्दे पर भी विचार करने के लिये इसका सलेक्ट कमेटी में भेजा जाना आवश्यक हो जाता है। सलेक्ट कमेटी इस मुद्दे पर अच्छी तरह से विचार करेगी कि सरचार्ज की दरें किस प्रकार निश्चित की जानी चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप इसे सलेक्ट कमेटी को भेजना चाहते हैं?

श्री शंकरलाल : इतनी देर आप क्या सो रहे थे?

(हंसी)

In fact he was sleeping, I saw him. तो इस बिल को जनमत के लिये प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है, सलेक्ट कमेटी में इसको भेजने की आवश्यकता है जिससे इसके सिद्धान्तों पर, रेट्स पर विचार करें कि यह कैसे लागू होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने बताया था कि पहले सारे टैक्स किसानों से स्टेट्स लिया करती थीं, १,७०० में कितना टैक्स किसानों से लेते थे, १,८०० में कितना टैक्स लेते थे, उसके लिये मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सामन्ती युग की बात बताई जब कि किसानों का शोषण होता था, पर आज यह समाजवादी समाज का युग है।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : (श्रीमती सुमित्रा देवी को मंत्री महोदय के पास बैठे देख कर) माननीय उपाध्यक्ष, क्या कोई लेडी नई मिनिस्टर हो गई हैं, उन्हें कॉंग्रेच्युलेशन दे दूं?

श्री उपाध्यक्ष : It is a very delicate point, but the Chair does not know about it.

श्री चन्दनमल वैद : Delicate, but very important, Sir.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The members are involved in a delicate discussion.

श्री शंकरलाल : तो जो यह बात कही गई कि उसी प्रकार किसानों से कर लें तो अब वह वक्त गया। यह भी कहा गया कि अनाज के भाव बढ़ गये हैं, किसानों को फायदा हो रहा है; पर मैं यह कहना चाहता

Page No.78

(श्री शंकरलाल)

हूँ कि एक वह जमाना भी आ सकता है कि जिस प्रकार प्रकृति की दी हुई चीजों पर हवा और रोशनी पर टैक्स नहीं लगा सकते उसी प्रकार जमीन भी भगवान् की दी हुई है इस पर भी टैक्स नहीं लगा सकते । इस पर बैटरमेंट लेवी कैसे ले सकते हैं ? सरचार्ज लगाना असैद्धान्तिक माना जायगा, ऐसे मेरे विचार हैं ।

इसलिये मैं कहता हूं कि कोई भी टैक्स लगाया जाय, उसमें इतने कॉम्प्लीकेशन्स पैदा हों तो उसे सिलेक्ट कमेटी में भेज कर देखा जाय कि किस तरह समानता लाकर सब को संतोष दे सकते हैं ।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह ।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। इसके कारण इस प्रकार हैं :--

इसमें जो इसका क्लॉज़ ३ है, Levy of surcharge.

" There shall be levied by the State Government on each ins talment of land revenue payable on or after the first day of April, 1960, a surcharge at the rates specified below. "

And what are those specified rates ?

" Where the amount of land revenue... "

तो इसमें सब जगह लैंड रेवेन्यू का जिक्र है कि लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगेगा। पर देखना यह है कि राजस्थान में असेसमेंट लैंड रेवेन्यू के बेसिस पर कितनी जगह पर है और रेंट के बेसिस पर कितनी जगह है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसको गहराई से देखा जाये तो राजस्थान में केवल चार ही डिस्ट्रिक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें लैंड रेवेन्यू पर असेसमेंट है और बाकी सब जगह लैंड पर है । अलवर, भरतपुर, अजमेर का थोड़ा सा हिस्सा और गंगानगर इन्हीं चार डिस्ट्रिक्ट्स में लैंड रेवेन्यू बेसिस पर असेसमेंट है और दूसरी जगह पर आपका लैंड रेट पर है। या तो यह गलत है या आप रेन्ट को लैंड रेवेन्यू मानेंगे तो उस स्थिति में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होगी। आज आप अलवर और भरतपुर में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक जमीन का काश्तकार लैंड रेवेन्यू देता है और उसके पास ही बगल में इस तरह का खेत है जिसका लैंड रेट देते हैं। इन दोनों रेटों में सेन्ट परसेन्ट का फर्क है। लैंड रेवेन्यू जहां पर दो रुपये है तो वहां लैंड रेट एक ही रुपया पड़ती है । जहां एक काश्तकार को ५० बीघा पर काश्त करने के बाद ५० रु० देना पड़ता है वहां दूसरे को ३० बीघा पर ६०) देने पड़ते हैं और पहले को सरचार्ज नहीं देना होता है तो दूसरे को जो लैंड रेवेन्यू देता है उसको यह सरचार्ज भी देना पड़ता है क्योंकि ६०)रु. पर सरचार्ज लागू हो जाता है। इसलिए पहली बात यह है कि इसमें साफ होना चाहिये कि how the land revenue will be equated with

(श्री रघुवीरसिंह)

rent, or whether this will be charged on rent ? यह क्लीअर करने की आवश्यकता है और इस बात के लिए इसका सिलेक्ट कमेटी में जाना आवश्यक है जहां हमारे लैंड रेवेन्यू के माहिर सदस्य इस पर विचार करेंगे । मैं मानता हूं कि हमारे राजस्व मन्त्री स्वयं भी इसके माहिर हैं । मगर वे कानून बनाने में माहिर हैं लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या घोटाला होता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं ।

इसके अलावा मैं इसमें सब-क्लॉज (६) है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा : "(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may make provision for:—

(a) the furnishing of information required for the purposes of this Act,"

इसका अर्थ क्या होगा कि जिनको सरचार्ज देना होगा उनको किसी प्रकार के फॉर्म सब्मिट करने होंगे । फॉर्म्स में क्या होता है उसका ज्वलन्त उदाहरण मैंने थोड़े दिनों पहले अलवर में देखा और उससे मुझे जो अनुभव हुआ उस अनुभव के आधार पर मैं निवेदन कर सकता हूं कि गरीब जागीरदारों से फॉर्म मांगे जाते हैं । यह फॉर्म भर कर देने का काम बड़ा मुसीबत का है और इसकी ओट में खुली लूट होती है । इस प्रकार से अभी १५ नवम्बर, ५६ को राजस्थान सरकार ने एलान किया कि अलवर और भरतपुर में बिस्वेदारी समाप्त कर दी गई है और उसके बाद जमींदारों और बिस्वेदारों को एलान किया कि वे अपने कम्पेन्सेशन के फॉर्म दो महीनों में भर दें । उन लोगों के पास किसी प्रकार के रेकॉर्ड नहीं थे क्योंकि वे रेकॉर्ड रखते नहीं थे । उनको आवश्यकता इस बात की हुई कि फॉर्म समय में भरवा कर पेश किये जावें । इसलिए उन्होंने पटवारियों और रेवेन्यू के अधिकारियों से लैंड रेकॉर्ड की कॉपियें लीं । इसका क्या नतीजा हुआ कि एक एक पटवारी ने एक एक गांव में फार्म भरने की फीस के रूप में लोगों से दो, दो, तीन, तीन हजार रुपये चार्ज किये और फिर भी पूरी तरह से रेकॉर्ड उनको नहीं दे पाये । इसलिए यह जो आपने रखा है कि रेकॉर्ड उनसे फर्निश कराया जावे यह बहुत मुश्किलात पैदा करता है और खास तौर से काश्तकार के लिये । इसलिए यह फॉर्म की बात नहीं होनी चाहिए । एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से बहुत परेशानी होती थी और उससे किसानों को बचाने के लिए आपने उनको मुक्त किया है । लेकिन आपने वही तलवार उनके सिर पर इस सेक्शन ६ के जरिये रखी है । जब सरकार खुद क्लीअर नहीं है कि आया लैंड रेवेन्यू से या रेन्ट पर लगना चाहिये, अगर आप दोनों पर लगाना चाहते हैं तो how do you propose to equate rent with land revenue, it is not clear in this Bill.

ऐसी स्थिति में मैं यही निवेदन करूंगा कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जावे । इसका सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना बहुत जरूरी है जहां पर प्रेक्टिकल मुद्दे हैं उन पर विचार हो सके और फिर कोई इसके इम्पलीमेंटेशन में कोई आगे दिक्कत नहीं आए और न लोगों को इस प्रकार के फॉर्म भरने पड़ें व सब्मिट करने पड़ें और न किसी प्रकार की दिक्कत उनको आए ।

(श्री रघुवीरसिंह)

It is the duty of the Government, गवर्नमेंट के पास सारा रेकोर्ड है । उनकी सारी जान-माल सरकार के रेकॉर्ड में है । जब सेटलमेंट हो गया तो काश्तकार से क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ? All the information is collected in revenue records and it will be easily available to you from the Tehsil. फिर ऐसी स्थिति में यह कहना कि हम ऐसा रूल्स बनाएंगे कि काश्तकारों से रेकॉर्ड मांगा जाए, मैं यह कहूंगा कि उनके साथ बड़ी हार्डशिप होगी और उनको बहुत हैरेशमेंट होगा और उनकी लुटाई होगी और बेहद लुटाई होगी । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे । ज्यादा समय नहीं लिया जावे तो इसको तीन दिन में ही विचार कर लौटा दिया जावे । सरकार तो आज से ही लागू इसको करेगी और एक तरह से सरकार की तरफ से यह लागू हो चुका है और यह चार्ज तो आज से वसूल होना शुरू होगा । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस पर पुन: विचार करने की जरूरत है और खास खास बातों पर विचार कर लिया जावे जिससे किसी प्रकार की दिक्कत न हो । इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे ।

श्री दामोरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : माननीय सदस्य ने अभी लैंड रेवेन्यू और लैंड रेट की बात कही उसके लिए मैं जानकारी चाहता हूं कि इससे माननीय सदस्य को क्या दिक्कत होती है ? लैन्ड रेवेन्यू किसान देता है या नहीं ? आपको इस सम्बन्ध में जो कानून हैं उनकी जानकारी होनी चाहिये । अब लैंड रेवेन्यू का प्रश्न नहीं होता है ।

श्री रघुवीरसिंह : मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा खुलासा कर दूं । अलवर में लैंड रेवेन्यू के बेसिस पर........

श्री दामोदरलाल व्यास : किस बेसिस पर है, it is defined in the Bill.

श्री रघुवीरसिंह : जरा ठहर तो जाइये । सुनिये । आज वह खातेदार बन गया है । उस पर नई रेट कायम हो गई उसमें कोई चैन्ज नहीं हुआ है । He is paying the same rent which he used to pay as land revenue. On the other hand, his tenant who was paying rent to him is paying that amount in the shape of land revenue. तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उस गांव में पहले जमीदारी थी वहां तो....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But both represent the Government share.

श्री रघुवीरसिंह : But it is not uniform, that is the main thing. (बैठे-बैठे) मैं तो कहता हूं कि इसमें ५ बीघा जमीन को....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू सरचार्ज बिल, १६६० आज हमारे सामने है । इस बिल में दो प्रकार की विचारधाराएं दोनों ओर से आई हैं । एक तो यह कि यह विधेयक जन-अनुमति के लिए प्रसारित किया जावे और दूसरा यह कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे । जहां तक पब्लिक की राय जानने के लिए इसे

Page No.81

(राव श्री नारायणसिंह)

भेजने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार अपने विकासोन्मुख की योजना प्रस्तुत करते हैं तो वह विकासोन्मुख योजना आर्थिक स्थिति को देखते हुए लागू करने की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें करों को लगाने की आवश्यकता होती है और दूसरी बात यह है कि resources raise करने की आवश्यकता पड़ती है। इसको पूरी तरह से जन-साधारण समझ नहीं पाते। उनके अर्थ और महत्व को जब तक मालूम न हो कोई समझ नहीं सकता। अगर ऐसी स्थिति में इसे जन-साधारण की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाए या भेजा जाए तो इस पर ऐसी राय नहीं आएगी बल्कि बिना मतलब के बवन्डर उठ सकते हैं और विरोध भी खड़ा हो सकता है। कुछ तो हम हमारे सदन में ही देखते हैं कि जहां कृषि से सम्बन्धित या कृषि के लिए किसी प्रकार की बात आती है तो आवाज उठाते हैं और इस तरह की आवाज उठाते हैं कि लोगों को इससे कठिनाइयां होने वाली हैं। इसकी एक तो पूरी जानकारी न होने के कारण और कुछ यों भी उठता है कि वह आवाज टैक्स पॉलिसी के खिलाफ उठनी चाहिये। तो ऐसी सूरत में मैं यह आवश्यक समझता हूं कि जहां ऐसी विकासोन्मुख योजना पद्धतियें हम लिए बैठे हैं वहां ऐसी बातों को हम हमेशा जन-साधारण की बात जानने के लिये भेजने की बात कहते हैं और हम यह पार्लियामेंट्री पद्धति मानते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह एक फिजूल सी हो जाती है। तो इस दृष्टि से मैं यह ठीक नहीं समझता खास कर कि इस सरचार्ज वाली बात को जन-साधारण की राय जानने के लिये प्रसारित किया जाय। अब सवाल यह रह जाता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में दिया जाय या नहीं ? सिलेक्ट कमेटी में यदि इसमें बहुत अधिक परिवर्तन करना हो, सिलेक्ट कमेटी में इसकी मौलिक बातों पर विचार करना हो तो सलेक्ट कमेटी में इसको दिया जा सकता है। लेकिन यदि इन्हीं मसलों पर दो चार दिन यहां बैठ कर विचार कर सकते हैं तो इसको सिलेक्ट कमेटी में देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता।

इस विधेयक को देखने से कुछ विशेष प्रकार की समस्यायें खड़ी होती हैं। उन पर विचार करना आवश्यक है। ५०)रु. भू राजस्व देने वाला अनिर्धारित कृषक होता है। ५०) भू राजस्व देने वाले कृषक की १।९ की साधारण रेंट मानें तो ३००) की आमदनी वाला होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यदि राजस्थानी क्षेत्रों में कर प्रभार का अन्दाज लगायें तो मोटे तौर पर जो मैं फलावट कर पाया हूं उसके अनुसार १।६ जो हमारा रेन्ट रेट है साधारणतया यद्यपि यहां तो यह कहा जा चुका है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियों के कारण रेन्ट रेट्स में काफी अन्तर है, लेकिन फिर भी कुछ मोटे सिद्धान्तों को लेते हैं तो १६. २।३ पर्सेन्ट भू-राजस्व का प्रभार आता है। उसके बाद सिंचाई की दरें आती हैं, उसका पांच पर्सेन्ट प्रोफिट होता है। इस प्रकार सरचार्ज का प्रभार ६ पर्सेन्ट तक बढ़ेगा। इसके अलावा बैटरमेन्ट लेवी रह जाती है। इसका मोटे तौर पर आधार लिया जाय तो २८ पर्सेन्ट से कम नहीं उतरता है। इसके बाद में कृषक की विशेष समस्यायें हैं, उनको नजर में रखें, सेटलमेंट आदि में उनको पूरी तरह से आंका

(राव श्री नारायणसिंह)

जाता है और उनको भी देखें तो अकाल का एक डिस्काउन्ट देना पड़ता है और विशेष कृषि की आवश्यकताओं और सामाजिक आवश्यकताओं जो अनिवार्यत: एक कृषक के साथ बंधी हुई हैं उसका भी डिस्काउन्ट देने की आवश्यकता पड़ जाती है और इसका मोटा सा पर्सेन्टेज लें तो २५ पर्सेन्ट तक लगेगा। तो इस तरह से कम से कम ५० पर्सेन्ट का भार ३००) की आमदनी वाले पर बैठता है।

इसके बाद में हमें यहां कुछ विश्लेषण करने की आवश्यकता है। जो ५०) रु. भू-राजस्व देगा और उससे उसकी ३००)रु. की आमदनी बैठती है तो क्या पैदावार का और दूसरा हिसाब बैठेगा ? एक बीघे में हम सीलिंग करते हैं। जो सीलिंग का कानून बना उसके सिद्धान्त के आधार पर गणना करें तो एक बीघे में १० मन एवरेज व्हीट का प्रोडक्शन हो। यदि हम १५) रु. मन गेहूं का साधारण भाव भी मान लें तो उससे गणित करके हिसाब लगायें तो १५०) रु. बंधता है। इस दृष्टि से १५०) रु. प्रति बीघा साधारणतया एक कृषक की आमदनी बंधती है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह कौनसे इलाके में होता है ?

राव श्री नारायणसिंह: यह मैं साधारणतया कहता हूं। १० मन सब जगह प्रति एकड़ में पैदा होता हो, ऐसा भी नहीं है। उतार चढ़ाव होता है। सीलिंग के कानून को पास करते हुए जो आधार लिया गया था उसी आधार पर मैं यह अर्ज कर रहा हूं। यदि हमारे यहां की अनिवार्य होल्डिंग चार बीघा मानें तो १५०)रु. का गणित ६००)रु. हो जाता है। इस दृष्टि से ३००) की आमदनी वाला १॥ बीघा का मालिक जम पाता है और १॥ बीघा की आमदनी २२५) रु. होती है। इस दृष्टि से हमने जो ५०) रु. भू-राजस्व देने वाले पर यह कर लगाया है तो दो एकड़ के स्वामी पर हमने यह एक प्रकार से कर लगा दिया। इसके साथ हमें यह देखना पड़ेगा कि सारी रेवेन्यू से इन्सीडेन्ट....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्य, अजमेर के इलाके से आ रहे हैं ? आपके केल्कुलेशन के हिसाब से एक एकड़ पर भू-राजस्व लगा रहे हैं तो ६० पर्सेन्ट आ जाना चाहिये। But I may tell for his information that it is only 33 percent in his area. It is not even one percent.

राव श्री नारायणसिंह : Ibeg to say that it is not only a question of Ajmer but we are considering the entire question of Rajasthan.

श्री दामोदरलाल व्यास : हिसाब लिया है, कहां से लिया है ?

राव श्री नारायणसिंह : यह साधारण हिसाब बता रहा हूं, अजमेर का हिसाब छोड़ दीजिये। अजमेर में भी दो प्रकार का एरिया है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : यह तो फलित ज्योतिष है।

राव श्री नारायणसिंह : एक एरिया तो वह है जैसा राजस्व मंत्री कहते हैं उसी प्रकार का इन्सीडेन्स पड़ता है और दूसरा आता है

(राव श्री नारायणसिंह)

१८ रेन्ट रेट के हिसाब से तजवीज़ किया हुआ। वहां की भी समस्यायें बनती हैं। यह बात मैं नहीं कहता कि अजमेर पर क्या भार पड़ता है। राजस्थान की रेन्ट रेट्स का समानीकरण नहीं हुआ है, उनमें असमानता है, जस्टिस ऑफ इक्विटी की दृष्टि से ठीक बात होती है कि यह देखा जाय कि सरचार्ज लगाते हैं तो किस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिद्धान्त से लगा रहे हैं और यदि उस टैक्सेशन सिद्धान्त में यह बन्धक बनता है तो उस पर विचार करना पड़ेगा। जहां पर रेन्ट रेट्स हायर हैं वहां पर इसके इन्सीडेन्स ज्यादा पड़ने वाले हैं, कम हैं तो कम पड़ेंगे। इसलिए इस पर हमको विचार करना ही पड़ेगा।

इसके अलावा अभी फुलेरा से आये माननीय सदस्य ने एक दिलचस्प पॉइन्ट उठाया था। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि ३० पर्सेन्ट राइजिंग प्राइसेज का ३.२ लैंड रेवेन्यू का सहारा होना चाहिये। इस फैक्टर को भी विचार में लेना होगा। प्राइसेज़ का लोड वास्तव में बड़ा ही है और मैंने भी १५) रु. मन गेहूं का हिसाब लगाया अपने आंकड़ों में, उनसे भी अधिक है, उनको भी दृष्टिगत करना पड़ेगा। लैंड रेवेन्यू का वास्तव में जितना टैक्सेशन है उसकी जांच करेंगे तो पता चल सकेगा कि ३.२ पर्सेन्ट से ज्यादा बढ़ रहा है या कमती बढ़ रहा है।

इसके बाद एक मोटी बात यह आती है कि जो इस सरचार्ज से दूसरे अधिक से अधिक इन्सीडेन्स पड़ेंगे वे कृषकों के छोटे ग्रुप पर पड़ेंगे और इसलिए पड़ेंगे कि आपका भू-राजस्व तजवीज़ किया गया है वह पुरानी पद्धति के आधार पर है, किसी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पद्धति पर नहीं किया गया है।

एक प्रकार से इसे हम अवैधानिक भी कह सकते हैं। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स लिये गये हैं; जैसे सेटलमेन्ट इत्यादि के। टैक्स लगाने का मूल आधार यह होना चाहिये कि बढ़ती हुई आमदनी पर बढ़ता हुआ प्रभार हो, ऐसा इसमें नहीं आया है। सरचार्ज के लगा देने से वे चीजें और गुरुतर बनती हैं। छोटे इन्कम ग्रुप्स होंगे सारी सिंचाई दरों में भू-राजस्व का अधिभार और बेटरमेन्ट लेवी का अधिक भार पड़ेगा, इस विषय में कई बार सदन में भी निवेदन कर चुका हूं। मेरी पूर्णतया मान्यता है कि लैन्ड रेवेन्यू सिस्टम में कोई रेडीकल चैन्ज नहीं करें तब तक वैज्ञानिक कर-पद्धति हम भू-राजस्व के क्षेत्र में स्थापित करने में कमी कर जाते हैं और वह वैज्ञानिक पद्धति हमें इन्कम टैक्स पद्धति से मिलती है। कृषि आय कर भी इसी मन्शा से लगाया गया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कृषि आय-कर के सिद्धान्त को फिर से सोचें। इस बारे में मैं नहीं कहता कि एकदम भू-राजस्व का खात्मा कर दें और कृषि आय-कर स्थापित कर दें। हमें इस विषय में जांच कमेटी बैठानी होगी जो इस विषय की जांच करें कि सारे राज्य के भू राजस्व की क्या आमदनी होती है? उसी अनुपात से एक हजार से डेढ़ हजार तक की सीमा में कृषि आयकर शुरू किया जाय और वह भी बढ़ती हुई आय पर अधिक से अधिक भार से शुरू किया जाय तो उससे क्या आमदनी बनती है? मैं यह मानता हूं कि सीलिंग कानून के लग जाने से कृषि आय कर जिस प्रकार से है उस प्रकार

(राव श्री नारायणसिंह)

की उपयोगिता नहीं रहेगी। अगर हम इसकी जांच करेंगे और हजार-डेढ़ हजार की आमदनी वालों से कृषि आय कर शुरू करते हैं तो वह सरचार्ज इत्यादि से ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति होगी, ज्यादा समझ में आने लायक होगी। यह कोई आग्रह नहीं कि हम इसे एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स ही कहें उसके बजाय हम उसे लैन्ड बेनीफिट्स, लैन्ड प्रोडक्शन टैक्स का नाम भी दे सकते हैं। इसका सिद्धान्त यह भी होगा कि जितने भी बेनीफिट्स और प्रोडक्शन का लाभ बढ़ता जाता है उसी हिसाब से टैक्स की क्षमता भी बढ़ती जाती है और उतना ही टैक्स भी बढ़ता जाता है। इस विषय में आज नहीं तो कल अवश्य विचार करना होगा ताकि राजस्व क्षेत्र में हम वैज्ञानिक कर पद्धति को चालू कर सकें।

एक बात इस विषय में यह रह जाती है कि यह सरचार्ज जो लगा है इस विषय में मैं अर्ज कर चुका हूं, सरचार्ज से हमें चमकने की आवश्यकता नहीं; केवल इस भूमिका को सुधारने की आवश्यकता है।

३. १४ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

हमें इसमें दूसरे सिद्धान्तों की तरफ भी दृष्टि डालनी चाहिये। इसको केवल स्टेट लेवल तक का टैक्स नहीं बनावें तो ज्यादा अच्छा होगा। जहां हमने विकेन्द्रीकृत शासन पद्धति को राजस्थान में मानना है उस सिद्धान्त के अनुकूल लोकल बॉडीज़ को सरचार्ज की जिम्मेदारी किसी नियमित प्रकार से दें। सिद्धान्त हम तय कर सकते हैं उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर पंचायत समितियों को, पंचायतों को इस टैक्स को लगाने का और सोचने का भार दिया जा सकता है। हम चाहे इन प्रावधानों को यहां से पास कर लें और इस बिल को एक्ट का रूप दे दें, लेकिन इसमें एक धारा इस प्रकार की रखी जाय तो अनुचित नहीं होगा कि यह सरचार्ज अपनी अपनी स्थिति के अनुसार राज्य सरकार की राय से लोकल बॉडीज भी लगावें। इस विचार को हमें खास तौर से सोचने की आवश्यकता है।

इस विषय में अन्त में चूंकि माननीय सदस्य बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं यद्यपि मैं जयपुर के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता था और मुझे एक बात ध्यान में आई वह मैं कह कर स्थान ग्रहण करूंगा। इस विधेयक के क्लॉज ३ के परन्तुक में दिया गया है "किन्तु शर्त यह है कि चाही भूमि की दशा में कुल भू राजस्व जिस पर कि अधिभार लगाया जायेगा की संगणना करने के प्रयोजनार्थ चाही भूमि पर देय भू-राजस्व की केवल एक-तिहाई राशि हिसाब में ली जायेगी, इसका मैं स्वागत करता हूँ इससे काफी शंका का निवारण हो जाता है। चाही भूमि पर इस हिसाब से लगाया जायगा। चाही भूमि की साधारण रेट एक-तिहाई हिसाब में ली जाती है। १५० रुपये के भू-राजस्व देने वाले पर यह सरचार्ज आ जाता है, इस विषय में एक बात जरूर सोचनी है। बारानी में जो काश्त करने वाला है उस पर ५० रुपये का मौलिक सिद्धान्त रह जाता है। यह तो हम मानते हैं कि चाही जमीन पर लिफ्ट कल्टीवेशन में ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। वहां पर मजदूरी, पिलाई, खेत जुताई इत्यादि में बहुत खर्चा होता है जो

(राव श्री नारायणसिंह)

कि बारानी में नहीं है। मोटे तौर पर माननीय मित्रों ने आंकड़े फैलाये हैं। दस बीघा जमीन पर जो मजदूरी फैलाई उस हिसाब से १० बीघा जमीन पर मजदूरी, पिलाई के ऊपर ७२० रुपया खर्च आता है; खाद और जुताई पर ३०० रुपया। पहले चार महीने में तो जमीन की मजदूरी और पिलाई रही और पिछले दो महीने में खाद और जुताई का हिसाब लिया। इतना खर्चा बारानी जमीन पर नहीं आता। बारानी जमीन की क्षमता को देखना चाहिये वह चाही की अनुपात से कम है। हम जो कोई डिस्काउन्ट देना चाहते हैं चाही पर, हमें, श्रम के हिसाब से कम मानना चाहते हैं इसको हिसाब से मानना कि श्रम कम हो जाता है, यह मानना कुछ कठिन है, इस बात पर विचार करना होगा। आया इस प्रोविजो से बिल्कुल सन्तुलित प्रकार से ५० रुपये और १५० रुपये तक की आमदनी वाले से प्रभार शुरू होगा और सही जमेगा अथवा नहीं? इन सब बातों पर मैं समझता हूं इन पांच; छः क्लॉजेज़ वाले बिल पर हम यहां पर बैठ कर सोच सकते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के विचार को छोड़ दें तो भी यहां बैठ कर भी सही तरीका निकाल सकते हैं; तथापि मैं इसको अमान्य नहीं करता कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा ही नहीं जावे। जितने भी अमेंडमेंट इत्यादि दूसरी समस्याओं पर विचार की आवश्यकता है उसके अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। जनमत के प्रसार के लिये भेजने में आज की भूमिका में बर-खिलाफ राय है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगाने का बिल प्रस्तुत हुआ है, उस पर दो संशोधन प्रस्ताव आये हैं। एक है जनमत के लिये प्रसारित किया जावे और दूसरा यह कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जावे। माननीय चैयरमैन महोदय, मैं इन दोनों का विरोध करना चाहता हूं, पर साथ ही साथ जो सरचार्ज लगाया जा रहा है मैं उसका भी विरोध करता हूं।

मेरे विरोध करने का कारण कुछ दूसरे माननीय सदस्यों के कारणों से भिन्न है। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर उनसे मेरा मत भिन्न नहीं होता तो सदन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करता। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरचार्ज के सिद्धान्त ठीक नहीं। मैं सिद्धान्त रूप से उसको ठीक मानता हूं। और आज के युग में जब डेवलपमेन्ट के काम हम करते हैं तो यह हमारा हर आदमी का कर्त्तव्य है कि उस डेवलपमेंट के काम का बोझा अपनी ताकत के अनुसार हम सम्भालें और इसलिये हमारे किसान भाइयों का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वे भी ऐसे बोझे को सम्भालें। अगर आठ करोड़ रुपया लैंड रेवेन्यू में आता है तो १० लाख आप सरचार्ज का देंगे। आठ करोड़ के मुकाबले में यह दस लाख बहुत बड़ा बोझा नहीं होगा। और बहुत से माननीय सदस्य गरीब किसान का नाम लेकर राजनैतिक फायदा उठाना चाहते हैं। १० लाख और ८ करोड़ का अनुपात लगाते हैं तो मुश्किल से यह सवा पर्सेन्ट पड़ता है। अब हम अरबों, करोड़ों रुपया डेवलपमेंट में और उनके ही फायदे के डेवलपमेंट के कामों में अधिकतर खर्च करते हैं और इसके एवज में सवा पर्सेन्ट का बोझा ज्यादा उन पर पड़ता है तो

(श्री चन्दनमल वैद)

यह अन्याय और अनुचित नहीं होगा। इसको लेकर मैं विरोध नहीं करता। प्लानिंग कमीशन ने जो अपनी राय दी है तीसरी योजना में २५.० करोड़ रुपया सरचार्ज के रूप में वसूल करना चाहते हैं वे। तो अगर आज का किसान यह समझता है कि दस लाख देकर उसकी छूट होने वाली है तो यह बात भी नहीं है। तीसरी योजना पर सारे देश पर, सारे देश की जनता पर जब कि तेजी से हम विकास की ओर अग्रसर होने वाले हैं तो उस समय यह बोझा भी आने वाला है और उसमें से किसान को भी हिस्सा बंटाना पड़ेगा। चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब को हिस्सा बैठाना पड़ेगा। इसलिये गरीब किसान की दुहाई का देना गलत है। जो यह दुहाई देते हैं वे गल्ती करते हैं। मेरा सरचार्ज का विरोध इस माने में है कि आज राजस्थान कम से कम इस समय इसके लिये तैयार नहीं है।

उसके लिये भूमिका नहीं बना सके हैं हम अभी। हमारे यहां का लैंड रेवेन्यू और रैंट रेट्स अभी तक हम ठीक नहीं कर पाये हैं। वही बहुत कुछ पुराने समय से चली आई है उसी को हम कायम रखे हुए हैं। कहीं ग्रोस प्रोड्यूस पर १।६ पर लगी है तो कहीं १।४ पर, तो कहीं १।३ और १।२ पर लगी है और ऐसी स्थिति पर अगर आप सरचार्ज लादेंगे तो जिन पर पहले से ज्यादा बोझा पड़ा है उन पर अधिक पड़ेगा और जिन पर कम है उन पर कम पड़ेगा जबकि उन सब पर बराबर पड़ना चाहिये, हमें सब पर जायज बोझा लादना चाहिये, un-even नहीं लादना चाहिये। टैक्सेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिये कि जनता पर un-even बोझा उसके लगाने से न पड़े। तो जब तक आप रैंट रेट ठीक नहीं करेंगे तब तक यह बोझा लादना un-even ही होगा। टैक्सेशन का पहला प्रिन्सिपल यह है कि वह सब पर समान बोझा डालनेवाला होना चाहिये और इसी बिना पर मैं इसका विरोध कर रहा हूँ।

माननीय चेयरमैन महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह अर्ज करना चाहता हूं कि लैंड रेवेन्यू की इन्हीं रेंट्स पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव भी था और उस पर मैंने विस्तार से निवेदन किया था और अपनी दलीलें भी रखी थीं, उनको मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उस वक्त निवेदन किया था कि हमारे राजस्थान भर में इनका रेशनलाइजेशन किया जावे, स्टेन्डर्डाइज़ किया जावे। उस वक्त मिनिस्टर महोदय ने फर्माया था कि रेशनेलाइज़ से वे क्या कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है ? मैंने इसके लिये दो डिक्शनरियाँ कन्सल्ट की हैं। इसके अनुसार रेशनल का मतलब मैं बताता हूं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में लिखा है : "Rational:- Having the faculty of reason, endowed with reason, pertaining or relating to reason."

श्री सभापति : Mr. Baid, I think we shall exceed our limitations. So we should confine our debate to the Bill itself.

श्री चन्दनमल वैद : Yes, Sir, I am opposing the system of Surcharge

(श्री चन्दनमल बैद)

on the basis that the rent rates in Rajasthan are not Rationalised and for stressing my point I am giving my reasons. तो मैं यह कहना चाहता था कि हमारे यहां की रेंट रेट्स रीज़नेबल नहीं हैं और यह मतलब रेशनलाइजेशन का है। जब तक रीज़नेबल नहीं बना देते आप तब तक यह सरचार्ज समय से पहले की बात होगी। जमीन कैसी है, सालाना उसकी उपज क्या है, कितनी कीमत उसे बाजार से मिलती है, इसके अनुसार जब तक आप।रैंट रेट नहीं फिक्स करते हैं तब तक रीज़नेबल नहीं हो सकती। कहीं १।६ रखी है, कहीं १।५ और कहीं १।३ रखी है। तो इन सारी रेटों को जब तक आप रेशनेलाइज नहीं कर देते तब तक आपको आगे कोई स्टेप नहीं लेना ही रीज़नेबल और इसके लिये मैं अपनी बात के सपोर्ट में एक इस सब्जेक्ट के माने हुए एक्सपर्ट की राय सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं। दो मिनट का समय इसके लिये लूंगा।

"वे शायद इस बात को समझ नहीं सके कि रेट्स की पोज़ीशन क्या है? राजस्थान में आप इस पोजीशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप चाही जमीन को ही ले लीजिये। जयपुर शहर में ४०) रुपया प्रति बीघा चाही की रेट है। बूंदी के अन्दर ४ ४ आना है। रेन्ट में इतना डिफरेन्स है कि हम उस बेसिस पर कर नहीं सकते। इसी तरह से १५,१७,१२,१० और ८ तक है इस तरह से डिफरेन्ट रेट्स हैं। आप जैसा चाहते हैं ३० साल पहले जो सेटलमेंट हुआ वह अब भी चालू है। बारानी के अन्दर भी इसी प्रकार डिस्पेरिटी है। झुंझनूं के अन्दर ६ रुपया प्रति एकड़ है। झुंझनूं के पास ही जो चौमूं डिस्ट्रिक्ट है वहां ६ आना और ८ आना है। इसी से मिला हुआ गंगानगर इलाका है। नागोर डिस्ट्रिक्ट है वहां २),२॥) और ३) रुपया है। बारानी के लगान में भी डिस्पेरिटी है।"

तो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट जो पांच साल तक आज के दिन तक भी रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके हैं; राजस्थान में जो रेन्ट रेट्स हैं चाही की है या बरानी की है, डिफरेन्ट है। इसके बेसिस पर वे कोई काम नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : आपने एक्सपर्ट का नाम नहीं बताया?

श्री चन्दनमल बैद : आज के हमारे राजस्व मन्त्री, श्री दामोदरलालजी व्यास। तो आज से पहले, चार-छः महीने पहले आप कहते हैं कि रेन्ट रेट्स डिफरेन्ट हैं और इतनी डिफरेन्ट हैं कि उनके बेसिस पर सीलिंग लागू नहीं किया जा सकता। वही रेवेन्यू मिनिस्टर आज उसी लैंड रेवेन्यू के आधार पर सरचार्ज लगाना चाहते हैं। इससे ऐसा लगता है कि या तो उन्होंने अपनी ओपीनियन बदल ली है या और कोई बात हो गई है जिसके कारण इस तरह की बात की जा रही है।

ऐसी स्थिति में मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस सरचार्ज को सोच समझ कर लगावें। मेरा इस सरचार्ज से सिद्धान्ततः कुछ विरोध नहीं, लेकिन इसके लिये आज राजस्थान में जमीन तैयार नहीं है। इसके लिये पहले कोशिश करनी चाहिये। जो

(श्री चन्दनमल बैद)

डिफरेन्स है चाहे बारानी में हो चाहे चाही में उसको अलग करना चाहिये पहले ।

मेरा तो मानना है कि वे पहले इस डिस्पेरिटी को एबॉलिश करें और ऐसा करेंगे तो इससे निश्चित् रूप से सरकार को भी आमदनी अधिक होगी और काश्तकारों को भी राहत मिलेगी। तो इस तरह से यह दुतरफा फायदा होने वाला है।

आप कहते हैं कि पन्द्रह, बीस साल में लैंड रेवेन्यू रिवाइज़ करने का नियम है। पर इस बारे में मैं निवेदन कर दूं कि जब नया राज्य बनता है तो हमें जनहित में भी बहुत से काम करने होते हैं। हमने किये हैं और करते भी हैं आज। हमें टॉप स्पीड से भी काम करना पड़ता है। हमने पे स्केल को रेशनलाइज किया, स्टेटों को मर्ज किया, वहां के सारे कानून हमने बदले, हमने और भी कई दूसरे कामों में जल्दी की है। ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं कि हम लैंड रेवेन्यू की रेटों के रेशनलाइज के बारे में कदम नहीं उठा सकते। मैं समझता हूं और निश्चित रूप से समझता हूं कि हम कदम उठा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिये कुछ जो भी खर्चा करके हमें स्टाफ लगाना पड़ेगा, वह खर्चा भी रिवीज़न के केसों से निकल जाने वाला है। ऐसी स्थिति में मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय इस ओर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे ये सारे प्रान्त में फैली un-even रेन्ट रेटें इवन होंगी और सब पर समान बोझा पड़ेगा।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : सभापति महोदय, आज सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जिसके द्वारा लैंड रेवेन्यू की मद में राज्य के विकास के लिए एक नया कर लगाने का सुझाव दिया गया है उसके विरोध में दो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किये गए हैं। पहला यह है कि इस विधेयक पर खण्डश: विचार करने के पहले इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये, दूसरे वर्ग का मत यह है कि जनमत के लिए नहीं तो कम से कम यह प्रवर समिति के विचार के लिए दिया जाये। सभापति महोदय, मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं और उसके कारण भी स्पष्ट हैं कि यह विधेयक कोई बड़ा विधेयक नहीं है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह अमेंडमेंट के रूप में है। एक छोटा सा विधेयक जिसमें केवल ७ क्लॉजेज़ हैं और ७ क्लॉजेज भी ज्यादा कॉम्पलिकेटेड नहीं हैं। उनमें स्पष्ट शब्दों में यह बताया गया है कि अब तक किसान जो भू-राजस्व देते आये हैं उसके ऊपर सुपर टैक्स के लिहाज से या सरचार्ज के हिसाब से एक आना, दो आना प्रति रुपया के हिसाब से दिया जाये। तो सभापति महोदय, इस विधेयक को न तो प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत है और न लोकमत के लिए क्योंकि सरकार ने इस विधेयक के तमाम क्लॉजेज़ बनाने में सब प्रकार से विचार कर लिया है और यह सरचार्ज हमारे राजस्थान के गरीब किसानों से नहीं लिया जायेगा। क्योंकि इस विधेयक में यह बता दिया गया है कि ५० रुपये से नीचे जो भी लगान देते हैं उनसे कोई भी सरचार्ज नहीं लिया जायेगा। आज सदन के सामने इस बात के लिए

(श्री रामचन्द्र)

दलील दी जाती है कि गरीब किसानों से यह सरचार्ज लिया जायेगा। तो मैं आपको बताऊं कि सरकार ने किसानों का और गरीब काश्तकारों का ही तो ख्याल रखते हुए पहले ही ५० रुपये से नीचे तक के लैंड रेवेन्यू देने वालों के लिए छूट दे रखी है और ५० रुपये के अन्दर वही किसान आते हैं जो कि गरीब हैं, भूमिहीन हैं और जिनको अभी अभी जमीन मिली है। सरकार ने इसका पहले ही ख्याल रखा है कि गरीबों के ऊपर इस प्रकार का कोई टैक्स न पड़े। दूसरे, यह दलील दी जाती है कि यदि सर-चार्ज लगा दिया जायेगा तो इर्रिगेटेड लैंड के ऊपर बड़ा भार पड़ेगा और लोग साधारण जमीन को चाही जमीन बदलने में संकुचित होंगे। इसके लिए राजस्थान सरकार ने पहले ही एक प्रोवीज़न रख दिया है कि जो जमीन चाही इर्रिगेटेड होगी उसके लगान का १।३ माना जायेगा। तो मैं यह कहूंगा कि सरकार ने राज्य की भूमि के विकास को देखते हुए यह दो सुविधायें पहले से ही दे दी हैं। अब समझ में नहीं आता कि प्रवर समिति इसके ऊपर क्या विचार करना चाहती है? दूसरे, यह कहा जाता है कि किसानों के ऊपर यह विशेष भार होगा, मैं ऐसा नहीं समझता। राजस्थान सरकार ही नहीं समस्त भारत अपने विकास के मार्ग पर चल रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारी समाप्त हो गई है और दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने को है और इस अर्से में किसानों की भलाई के लिए राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किये हैं। तो सरकार भी यह आशा रखती है कि जिन लोगों की भलाई के लिए वह इतना रुपये खर्च कर रही है वे लोग भी सरकार की विकास योजनाओं को कामयाब बनाने में सहयोग देंगे। इसलिए मैं यह कहूंगा कि किसान भाइयों को इस सरचार्ज के विरोध में कुछ नहीं करके सहर्ष एक आना रुपया या दो आना रुपया जो भी रेट्स रखी गई हैं उनको स्वीकार करना चाहिए और यही नहीं बल्कि किसानों में हमें इस बात का प्रचार करना चाहिए कि जो भी सरचार्ज आपसे लिया जायेगा वह आपके विकास में ही खर्च करेंगे। क्योंकि जब कभी हम इस सदन में बैठकर यह कहते हैं कि सब को समान विकास योजनाओं के साधन देने चाहिए तो जब हम विकास के साधन सब मिल कर लेना चाहते हैं तो इसमें सहयोग देने के लिए राजस्थान की समस्त जनता को बराबर तैयार रहना चाहिए। आज अर्बन एरिया में जो भी टैक्सेज़ सरकार ने लगाये हैं एन्टरटेनमेंट टैक्स और दूसरे दूसरे टैक्स, अर्बन एरिया के रहने वालों ने सहर्ष मन्जूर करके सरकार को दिया है और विकास में सरकार का सहयोग कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि किसान भाई क्यों न जो जमीन के ऊपर सरचार्ज लगा रहे हैं उसको दें, उनको अवश्य देना चाहिए।

दूसरी बात यहां समझने की यह है कि आज दस वर्ष के बाद जमीन की वह पैदावार की दशा नहीं है जो पहले थी और जमीन की कीमतें भी काफी ऊंची चली गई हैं, जमीन के भाव भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गये हैं। जो जमीन पहले १० आना या १२ आना के हिसाब से आती थी और आज जिसके ऊपर इतने भाव बढ़ गये हैं। लेकिन जो टैक्स पहले था वही टैक्स आज उनके ऊपर लिया जा रहा है जब कि जमीनों की कीमतें पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई हैं।

(श्री रामचन्द्र)

ऐसी हालत में सेटलमेंट रेट्स के ऊपर एक आना रुपया सरचार्ज के लिहाज़ से लिया जाता है तो हमको क्यों एतराज हो ? मुझे तो विश्वास है, किसान इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे बशर्ते कि हम उनमें जाकर इस प्रकार का प्रचार करें और उनकी भावना को मजबूत करें कि जो कुछ कार्य सरकार कर रही है और जो सरचार्ज सरकार ले रही है वह अपना खजाना भरने के लिए नहीं, बल्कि आपके विकास और आपकी उन्नति के लिए ले रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें जो दो प्रस्ताव रखे गये हैं; एक तो जनमत जानने के लिए और दूसरे प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी क्या आवश्यकता है ? जनमत तो उस समय लेना चाहिए जब कि जनता की मर्जी के खिलाफ पास किया जा रहा हो या उस आदमी से टैक्स लिया जा रहा हो जिसके फायदे के लिए कुछ न किया जा रहा हो। यह तो जो रुपया लिया जायेगा वह किसानों की भलाई के लिए काम आयेगा, इसलिए मैं समझता हूं कि जनता की ओर से कोई विरोध नहीं होगा ; जनमत जानने के लिए आवश्यकता नहीं है। विधेयक केवल ७ क्लॉजेज़ का ही है और वह भी स्पष्ट है कि उसमें कोई कॉम्प्लीकेशन्स नहीं हैं। तहसीलदार स्वयं यह बतला देगा कि अमुक किसान के ऊपर कितना लगान है, उतने ही आने यदि ५० रुपये से ज्यादा है तो २०० रुपये तक उतने ही आने देने पड़ेंगे और अगर २०० से ज्यादा है तो २ आना रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके अलावा छूट भी इसमें दी हुई है कि १ रुपये से ४६ रुपये तक लैण्ड रेवेन्यू देने वालों के ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा और चाही लैण्ड के ऊपर १।३ लिया जायेगा। यह काफी छूट सरकार ने दे रखी है इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को यहीं पर विचार करके पास कर देना चाहिए।

श्री सभापति : श्री तेजमल बापना।

श्री तेजमल बापना (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, राजस्थान में भू-राजस्व के ऊपर अधिभार लगाने के संबन्ध में जो दो प्रस्ताव सदन में विचारार्थ लिए जा रहे हैं उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा कि इसके उद्देश्यों में बताया गया है कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए भू-राजस्व के ऊपर यह अधिभार लगाया जाना आवश्यक समझा गया है, उसके साथ ही साथ इसका औचित्य इसलिए बताया गया है कि राजस्थान में जो कृषि आय कर लगाया जा रहा था उसको अब समाप्त किया जा रहा है और उसके स्थान पर यह भूराजस्व पर अधिभार लगाया जा रहा है। सभापति महोदय, मेरा ऐसा विचार है कि यह जो कृषि आय कर जब लगाया जा रहा था तब सरकार की ओर से ऐसा बतलाया गया था इस सदन में चूंकि बहुत से बड़े बड़े जागीरदार हैं उनके पास खेती की काफी जमीन है उनसे किसी प्रकार हमको कुछ टैक्स वसूल करना है इसलिए कृषि आय-कर का टैक्स लगाया गया। अब इस सदन में सीलिंग एक्ट पास हो गया। अभी लागू तो हुआ नहीं है, लेकिन आशा है कि जल्दी ही वह लागू हो जायगा। उसके बाद अब कृषि आयकर तो समाप्त होने वाला है, लेकिन उसके स्थान पर ५०) रु० लगान देने वाले के ऊपर जो यह अधिभार लगाये जाने वाला है तो क्या सरकार

(श्री तेजमल बापना)

की नीति उसी के ऊपर आधारित है कि हमको, जो बड़े बड़े जागीरदार लोग हैं या जिनके पास में अधिक आमदनी का श्रोत है उन्हीं तक सीमित रहेगा। मेरा मत उससे विपरित है, सभापति महोदय, क्योंकि जैसा अभी एक सज्जन ने श्री राजस्व मन्त्री के उद्धरण को लेकर ही बतलाया था कि इस राजस्थान में जो लैण्ड रेन्ट रेट निर्धारित की गई है वह एकसी नहीं है। अलग अलग जिलों में अलग अलग जमीन की किस्म के अनुसार अलग अलग लगाया है। भीलवाड़ जिले का मैं कुछ उदाहरण दूं, सभापति महोदय, तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कुछ गांव ऐसे है जिनमें १५ से लगाकर २० तक की साधारण रेट पर बीघा लगान की दर मुकर्रर है। वहां पर यदि एक तिहाई चाही रेट को काटकर भी यदि हम देखें तो जहां पर १५ की रेट है वहां पर ५ मान लिया जाय, उससे १० बीघा जिसके पास जमीन है तो ५०) रु० का लगान उसको देना माना जायगा और उससे अधिभार यह जो वसूल किया जायगा इसका मतलब....

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घंटी)

श्री सभापति : Carry on.

श्री तेजमल बापना : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहां पर साधारण रेट १५) रु० और २०) रु० के दरम्यान की है तो १० बीघा जमीन पर लगान ५०) रु० सालाना हो जाता है, और उसके ऊपर यदि यही रेट मुकर्रर की जाती है तो १० बीघा जमीन रखने वाले एक किसान को भी सरचार्ज देना पड़ेगा। सभापति महोदय, यह जो उसूल है उसके विपरीत है। दरअसल हम चाहते क्या है? क्या हम यह टैक्स उसी पर लगाना चाहते हैं कि जो वास्तव में देने के काबिल है, और जिनको वसूल किये जाने पर जन-साधारण पर विशेष भार नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यह ५०) रु० के ऊपर जो रखा है उसका भार बहुत साधारण किसान पर जाकर पड़ेगा।

मैंने, सभापति महोदय, इस राजस्व वसूली के ऊपर कुछ अध्ययन किया है। मुझको ऐसा मालूम है कि राजस्व तो वसूल किया जाता रहा है हिन्दू राज्य से, मुगल पीरियड से और जो अंग्रेजी पीरियड निकला है उस ब्रिटिश पीरियड में भी लगाया जाता रहा है, और भू-राजस्व लिया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि हम आज इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि हमको एक साधारण किसान के ऊपर भी कर लगाना है तो उसके साथ साथ हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या दूसरे श्रोत बन्द हो गये है? मैंने, सभापति महोदय, कल जब सेल्स टैक्स बिल लिया जा रहा था सदन में तो सरकार के एक प्रेस नोट के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था। उसको देखकर मैं तो कुछ हैरान सा था कि जो लग्ज़री की चीजें थीं, जो बड़े बड़े पैसे वालों के लिए चीजें थीं उनके ऊपर कर घटाया है और जो साधाराण आम जनता के काम की हैं उनके ऊपर कर बढ़ाया है। क्या सरकार की नीति वास्तव में सही

(श्री तेजमल बापना)

दिशा पर चल रही है कि हम जो साधारण स्थिति के आदमी हैं उनके ऊपर तो कर लगाते रहें और जो कर देने की स्थिति में हैं उनको छोड़ दें। यह जो सामाजिक सुधार करना चाहते हैं और समाजवादी समाज की रचना हम करना चाहते है उससे, सभापति महोदय, कुछ दूर तो नहीं जा रहे हैं, इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है।

भू-राजस्व अधिकार में यह बतलाया गया है कि हमको १० लाख की उससे ज्यादा आमदनी होने वाली है। क्या कुल १० लाख की आमदनी के लिए हमको साधारण किसान के ऊपर यह टैक्स लगाना उचित है? मैंने, सभापति महोदय, कुछ हिसाब लगाया है। उसमें जो बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि हमें नम्बरदारी प्रथा को समाप्त करना है, यदि नम्बरदारी प्रथा समाप्त की जाती है तो ५ प्रतिशत भू-राजस्व वसूली पर उनको दिया जाने वाला है उसकी सर्वथा बचत हो सकती है, और तीन लाख की आमदनी बचत में आ सकती है। इसके साथ साथ हमको भू-राजस्व लगाने के साथ में कुछ खर्चा भी डिपार्टमेंटली बढ़ाना पड़ेगा तो एक या दो लाख की उसमें भी बचत हो सकती है

तो, सभापति महोदय, सब से पहला सुझाव तो यह है कि भू राजस्व की ....

श्री सभापति : Mr. Bapna do you understand, you are speaking as if on the budget.

श्री तेजमल बपना : No, Sir, भू राजस्व पर बता रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मुगल काल को रेफर कर दिया।

श्री सभापति : You confine the debate early.

श्री तेजमल बापना : I will take only 2-3 minutes.

मैं यह बतलाना चाहता था कि इस बात का पहले जो दृष्टिकोण रखा है सरकार ने, उस दृष्टिकोण से हम कुछ दूर जा रहे हैं। इसके साथ साथ इसका असर साधारण किसान पर सीधा गिरने वाला है, जो हमको आज की परिस्थिति में बचाना है, क्योंकि सदियों से जो किसान पिछड़े हुए थे, पिसे जा रहे थे जागीरदारी प्रथा और दूसरी प्रथाओं से, अब थोड़ सा उनको सांस लेने का मौका मिला है। जहां पर पहले बांटा लिया जाता था तो बांटे के वक्त काफी गुन्जायश थी। वे काफी हिस्सा ले जाते रहे हैं। लेकिन आज नगदी में वसूली की जाती है और बहुत सी लागें और टैक्सेज़ खत्म हो गये हैं, उनसे थोड़ी राहत मिली है। इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं यह भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आज भी उनकी जो माली हालत है, साधारण किसान की, वह सुधरी हुई नहीं है। वे काफी भार से दबे हुए हैं रीति और रूढ़ियों के कर्जे में पड़े हुए है। तो हम यदि उनका सुधार करना चाहते हैं, उनको थोड़ा खड़ा करना चाहते है अपने पैरों पर तो हमको यह जो ५०) रु० के ऊपर के लगान पर जो सरचार्ज लगाने की सोच रहे है, उसके ऊपर विचार करने की गुन्जायश रखनी चाहिए। यदि जागीरदारों के ऊपर, बड़े बड़े लैण्ड होल्डर्स के ऊपर टैक्स लगाना है तो हमको

(श्री तेजमल बापना)

मिकदार कम से कम १००) रु० रखनी पड़ेगी। १००) रु० रखने पर भी बहुत से किसान उसके पंजे में अयेंगे, लेकिन उससे काफी राहत मिल सकती है। तो इतना ही मैं, सभापति महोदय, कहना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, मैं दो बातें सुन रहा हूं। एक बात तो यह सुन रहा हूँ कि किसान की हालत सुधारने के लिये सरचार्ज लगाना चाहिये। दूसरी बात यह सुन रहा हूं कि किसान अब उठा है, जब उठ रहा है तो उसके सिर पर वज़न दे रहे हैं तो उसका क्या असर होगा। मेरे पड़ौसी कहते हैं कि उनकी हालत खराब हो जायगी। आप समझ गये होंगे कि रोगी को रोग-मुक्त करने के बाद काफी दूध, फल और अच्छा भोजन देना चाहते हैं उस समय आप सर चार्ज लगाने की बात करते हैं वह सिद्धान्ततः ठीक नहीं है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने दो बातें बताई थीं। पहली बात यह बताई कि : "Surcharges on land revenue, as standardised and from time to time revised should be wholly left for local bodies to levy and for local bodies to utilise."

श्री सभापति : By the way only; in which year this was published?

श्री मूलचन्द डागा : In the year 1955. और उन्होंने यह भी कहा था, it would not be proper for the State Governments to take, in the shape or higher land revenue, the entire taxable increase in agricultural out turn resulting from the rise in prices, without leaving some margin for taxation by the local authorites."

और जब आपने २ अक्टूबर, १९५६ को राज्य में विकेन्द्रीकरण करने का ऐलान किया तब आपने पंचायत समितियों को कुछ आदेश दिये थे। इन पंचायत समितियों पर छोटी छोटी जमीन पर या आमदनी पर सरचार्ज लगाने की बात छोड़ दीजिये। यदि वे वसूल करती हैं तो लेने दीजिये। लेकिन आपने क्या किया कि छोटी २ इकाइयों पर सरचार्ज इम्पोज़ करना चाहते हैं तो ये पंचायत समितियां जिनको पनपाना है उनको अपनी ताकत पर या आर्थिक स्थिति पर खड़ा होना है, वे नहीं खड़ी हो पायेंगी और राजस्थान में जो नया काम शुरू किया है उसमें आपका यह सरचार्ज बाधक होगा। लोग देखेंगे कि इस प्रकार का सरचार्ज क्यों लगा रहे हैं।

सरचार्ज दो तरह से लगाया जा सकता है। कई बड़े लैंड होल्डर्स हैं, जिनके फार्म्स चल रहे है, जिनकी आमदनी उठा रहे हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े रोजगार भी कर रहे हैं। लाखों, हजारों रुपयों का धान खेतों में पैदा हो रहा है और साथ ही साथ दूकानें चल रही हैं, साथ में बसेज़ चल रही हैं, कई लोग ठेकेदार हैं या कांट्रेक्टर हैं जिनकी ऐसी हालत है जिसके पास जमीन भी है और सब तरह से धन कमा रहे हैं उनके लिये उन्होंने बताया कि "Even where an agricultural income tax is levied, several anomalies remain such as we have pointed out: we have, there-fore, stressed that the eventual object of policy should be to eliminate the distinction between agricultural income and non-

(श्री मूलचन्द डागा)

agricultural income for purposes of taxation. As the first step in this direction, we recommend the adoption by all States of a system of Surcharges on agricultural income-tax, on the basis of the assessee's non-agricultural income, if any. Such a Surcharge would, of course, become applicable only when the agricultural income is above the exemption limit and therefore an agricultural income tax in levied." तो सरचार्ज उनसे लिया जा सकता है जिनके दूसरी इन्कम भी है और साथ साथ खेती भी हो रही है गांवों में; उस पर सरचार्ज लगाया जा सकता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आप वहां पर लगावें जहां छोटी इकाई से पैदा होता है। हां, यदि हालत सुधर गई है और आपने उसूलन बताया कि प्रोगेसिव है, राजस्थान के किसान कहीं धनवान हो गये हों, यह बात जरूर है कि कई किसान समझ लें कि हमारे यहां बड़ा लगान नहीं है इसलिये छूट मिल रही है तो बात दूसरी है। राजस्थान में सरचार्ज लगाना चाहते हैं। उसमें कहीं २ रु० बीघा लगान है तो कहीं ५ रु० बीघा लगान है। हमारे यहां तो इतना फर्क है कि पड़ौस पड़ौस की जमीन के लगान पर अंतर है। एक पड़ौसी ५ रु० बीघा दे रहा है तो दूसरा २ रु० बीघा दे रहा है। इसलिये उन्होंने कहा कि वहां पर लेना चाहिये the particular assessee happens to have a non-agricultural income in addition. For purposes of this Surchage exemption limit may be adopted. जहां ३ हजार रुपये से ऊपर १० हजार रुपये तक आमदनी हो वहां आधा आना लेना चाहिये, जहां १० हजार से २५ हजार तक हो वहां १ आना लेना चाहिये, जहां २५ हजार से ५० हजार तक इन्कम हो वहां १॥ आ० लेना चाहिये। एक्सीडिंग ५० हजार २ आ० लेने चाहिये। अभी आपके सामने जब इतना फर्क बताया है, आप रख रहे हैं मान लीजिये कुछ हिस्सा छोड़ भी दिया जाय तो कितना सरचार्ज होगा? राजस्थान में २०-२५ लाख की आमदनी इससे होगी लेकिन वह आमदनी लोकल बोडीज़ और पंचायत समितियों के पास जानी चाहिये। उनको दे दीजिये, ५०० रु० की जो लैंड रेवेन्यू देता है और दूसरी सोर्सेज़ ऑफ इन्कम भी है वहां तो यह लगा सकते हैं। लेकिन आज जो टैक्स आप लगा रहे हैं वह गांव वालों पर लगा रहे हैं, वे ही लोग सरचार्ज देंगे। शहर वाले लोग क्या देंगे? यह फिर गांव वालों और शहर वालों के बीच में डिस्टिन्कशन होगा। सरचार्ज ग्रामीणों पर होगा तो शहर वालों पर कौनसा सिर दर्द होगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। सरचार्ज ऐसी हालत में विलेजेज़ पर लगाना चाहिये जो लोकल बोडीज़ लगावें और लोग दे सकें और दूसरी ओर वहां लगना चाहिये जहां एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर सोर्स से भी इन्कम हो, दूसरा काम भी कर रहा है, उसकी इन्कम बढ़ चुकी है। सीलिंग लग चुका है, बैटरमेंट लेवी भी मौजूद है, चाही की रेट मौजूद है हालांकि साइन्टिफिक आधार पर रेट ठीक नहीं हैं, यह मान चुके हैं। ऐसी हालत में मैं अर्ज करूंगा कि सरचार्ज लगाने से पहले हमें सोचना चाहिये कि हम न्याय कर सकेंगे या नहीं, सबके साथ समान न्याय होगा अर्बन वालों पर गांव वालों के साथ? गांव वालों पर लगाने से उनको लाभ नहीं होगा। आगे भी लोग कहते हैं कि सीलिंग पहले अपने घर पर लगावें। सरचार्ज वगैरह सारा बर्डन

(श्री मूलचन्द डागा)

गांव वालों पर ही पड़ता है, शहर वालों पर कुछ नहीं लगता। इस सरचार्ज से शहर वाले मुक्त होंगे और गांव वालों पर बर्डन और भी ज्यादा होगा। लोकल बोडीज़ को जो पॉवर्स दिये हैं उनको यदि आर्थिक सहायता नहीं देंगे तो वे फैल होंगी। टैक्सेशन नहीं लगा सकेंगे तो गवनमेंट को पूरी दिक्कत उठानी पड़ेगी। आपने जो दो सिद्धान्त दिये हैं उनके विरुद्ध लगा रहे हैं। लैंड रेवेन्यू ठीक नहीं है, उसूल ठीक नहीं है, इसलिये मैं समझता हूँ कि इस पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये और उसके बाद लगाना चाहिये।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : सभापति महोदय, जो सरचार्ज का विधेयक पेश हुआ है, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। सभापति महोदय, देखने में तो यह बिल्कुल सरल दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत जहर भरा हुआ है। सभापति महोदय, इसके पहले हमने और मंत्रीजी ने यह नहीं सोचा कि जिस जमीन पर ५० रु० लगान है उस ज़मीन की कितनी आमदनी है और यह भी मालूम नहीं किया कि ५० रु० का लगान देने वाले किसान की फेमिली कितनी बड़ी है, उसका कितना खर्चा है और कितनी आमदनी है। उसके ऊपर आपने बिल्कुल सरल मान कर कर लगाना शुरू किया। यह जनता और किसान के विरोध में है। वैसे तो किसानों के ऊपर काफी टैक्स हैं और आपको मालूम है, खैर गई बातों की मैं याद नहीं कराऊं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां जागीरदारों ने मनमाना लगान कायम किया था और जब ज्यादा लगान लगाया था तब माननीय मिनिस्टर ने इशारा कर दिया और वहां पर सेटलमेंट नहीं हुआ। अब इस बिल के बाद इशारा करना पड़ेगा सेटलमेंट ऑफिसर को, जिससे वे ५० रुपये से ज्यादा लगान कायम करेंगे, अगर नहीं करेंगे।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : अब इशारा मत कीजिये।

श्री हीराभाई : अब यही होगा, अब वे इशारा करेंगे और उनकी तरफ सरकारी कर्मचारी उनको राजी करने के लिए देखेगा, यह बात निश्चित है। इसलिए इसमें कई तरह की दिक्कतें किसानों के सामने आनेवाली हैं। आप जो १० लाख रुपये की आमदनी चाहते हैं; १० लाख, १५ लाख रुपये तो आन्दोलन को रोकने के लिए व्यवस्था करने में खर्च करने पड़ेंगे। आप यह अभी भले ही न मानें, यह नोट जरूर कर लें कि खर्च जरूर बढ़ेगा, आपको पूरी पूरी पुलिस बुलानी पड़ेगी और आन्दोलन को ठुकराना पड़ेगा, उसमें पैसा खर्च होगा। अगर किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाय तो यह कर लगाना अनुचित है और यह अनिवार्य नहीं है। आज किसानों के साथ यहां भ्रष्टाचार हो रहा है। जहां किसानों की फसल की जांच की जाती है वहां पटवारी लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो एक बात यह है कि हर हालत में सेटलमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि किसान कितने ही तरह के टैक्सेज़ दे रहे हैं। आपको मालूम है, हमको मालूम है, हम तीन हजार की पूर्ति करते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता है। जो ५० रुपये के लैंड रेवेन्यू पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा, उसके बाद उसके घर में २०-२२ आदमी होते हैं, उनका खर्चा ५-६ महीने तक चल

(श्री हीराभाई)

पाता है। तो आप यह जो टैक्स लगाने वाले हैं, इससे अच्छा यह था कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स आप कायम रखते। आखिर उसमें भी बड़े-बड़े लोग बच जाते थे पैसा देकर। आपने कर्मचारी लोगों को साहस दे रखा है, ऐसा करने। का वह करते जाते हैं और गरीब मरता है। इससे गरीबों का नाश होने वाला है। इसलिए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए भेजने की जरूरत नहीं बल्कि इसको अभी वापिस ले लेना चाहिए, नहीं तो इसका जनता पर और किसानों पर भारी असर पड़ने वाला है। एक तरफ किसानों की पैदावार, लहसुन आदि, जो अच्छी बिकने वाली है उस पर टैक्स लगायेंगे, इसके साथ वह लगान दे रहा है और पीवल दे रहा है। तो यह कौनसा न्याय है ? हो सकता है कि एक बीघे में ऐसी भूमि हो जिसमें १० मन के बजाय १५ मन अनाज पैदा हो। उस वक्त सरकार टैक्स लगाये, यह बात अलग है। लेकिन वह स्थिति अभी नहीं है। अभी भूमि-सुधार में समय लगेगा इसलिए अभी यह नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें मैं समझता हूं कि १० वर्ष, १५ वर्ष और लगेंगे। अभी सगाई कहीं की नहीं, शादी करने की उम्मीद नहीं है, और पालना तैयार करते हैं बच्चे को झुलाने के लिए। इसी तरह हमारी सरकार कर रही है, लगान और कर लगाये जा रही है। सरकार को मालूम नहीं है कि आमदनी क्या होगी ? फिर भी कर लगाना शुरू कर दिया। इसे किसान कैसे बर्दाश्त करेंगे ? एक तरफ वे बड़ी परेशानी से अनाज पैदा करते हैं और सस्ते भाव में बेच कर सारे हिन्दुस्तान के लोगों के जीवन-निर्वाह के लिए अनाम देते हैं, जनता का पोषण करते हैं कितना घाटा खाकर, उस पर भी कई तरह के टैक्स हैं। आप सेल्स टैक्स के लिए कहेंगे कि वह नहीं लगेगा। लेकिन कैसे नहीं लगेगा ? वे छोटी छोटी दूकानों पर जाकर पैदावार बेचेंगे, वह दूकानदार सेल्स टैक्स, ब्याज, नफा-मुनाफा सब निकाल कर उसे खरीदेगा। जो वह टैक्स देगा, वह कहां से निकलेगा ? वह किसानों में से ही निकलेगा। आज किसानों के अलावा अनाज पैदा करने वाले कौन हैं दुनिया में, धन पैदा करने वाले कौन है दुनियां में, धान किसान पैदा करने वाला है और धन मजदूर पैदा करने वाला है। उनके गले पर छुरी चलाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि टैक्स इतना डबल नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो इसको बहुमत के आधार पर पास कर लें, लेकिन आप किसानों के गले पर छुरी चला रहे हैं, यह भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आप मान सकते हैं कि मिनिस्टर रहें तो रहें, नहीं रहें तो नहीं रहें, यह आप सोच लेते हैं, मैं भी सोच लेता हूँ, लेकिन किसानों के साथ आपको और हमको रहना है, चाहे विधान सभा में हम न आवें, उस वक्त भी उनके साथ रहना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को न देकर, जनमत के लिए प्रसारित न करके इसको विथड्रा कर लेना चाहिए क्योंकि यह विधेयक किसानों के खिलाफ है। आप कुछ दिन बाद सुन लीजिये कि क्या हो रहा है ? इस हालत में मैं समझता हूं कि जितने कर किसानों पर लगाये जा रहे हैं, ये केवल किसानों पर और मजदूरों पर लगाये जा रहे हैं, दूसरों पर नहीं लगा रहे हैं। आप कहेंगे कि हम सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स भरते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं कि आपकी महंगाई-भत्ता भी बढ़ता

(श्री हीराभाई)

जाता है, एम. एल. एज़., मिनिस्टर्स और कर्मचारी है, उनके लिए निवेदन करूं कि उनका जो घाटा होता है, अगर उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता है तो उनकी मंहगाई बढ़ जाती है लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं होता है। जब भूमि-सुधार होगा तब आमदनी होगी; लेकिन तब तक वह कर्जदार बन जायगा। आप एक गधे पर जिस तरह बोझ लादते हैं, उसी तरह लादते चले जायं तो यह समाजवादी समाज के उसूल के खिलाफ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को मिनिस्टर महोदय वापिस ले लें और बाद में जब सुधार हो जाय उस समय आदमी देखने के बाद यह टैक्स लागू करें। अभी इसे नहीं करना चाहिए, यह नीति के खिलाफ है।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

४. म० प०

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भू-राजस्व सरचार्ज विधेयक के ऊपर दो प्रकार के प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुए हैं। कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को जनमत के लिए प्रसारित करने के लिये अनुरोध किया है तथा कई माननीय सदस्यों ने सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिए विचार प्रगट किये हैं। माननीय सभापति महोदय, सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त करते हुए यह निवेदन किया था कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के स्थान पर यह सरचार्ज विधेयक लाया जा रहा है, यह उपयुक्त है। माननीय सभापति महोदय, इस बारे में दो राय नहीं है, जो भू-राजस्व की प्रणाली है, और भू-राजस्व के बारे में कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर प्रतिपादन नहीं कर सकी। भू-राजस्व राजस्थान में लगा हुआ है, राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, जो अलग अलग जमीदार थे, अलग अलग जागीरदार थे, उन्होंने इस तरह भू-राजस्व कायम किया, वह अलग अलग तरह से कायम किया गया, कहीं वन थर्ड पर सेटलमेंट रेंट रेट्स कायम की गई, कहीं वन-फोर्थ पर। जब राजस्थान की विधान सभा ने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पास किया तब वन-सिक्स्थ ऑफ नेट इन्कम पर रेंट रेट कायम की गई। माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान की इस तरह की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या यह वाजिब है जो रेन्ट रेट्स रेशनल नहीं हैं उनको आधार मान कर हम काश्तकारों के ऊपर किसी तरह का बोझा डालें? यह एक विचारणीय प्रश्न है। सभापति महोदय, किसी भी प्रोग्रेसिव इकॉनोमी में कह सकते हैं, जो राजस्थान में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स था यह प्रोग्रेसिव टैक्स था, वाजिब टैक्स था, लेकिन सभापति महोदय, इसे अबोलिश करके सरचार्ज लगाया जा रहा है, इसकी क्यों आवश्यकता हुई?

एक माननीय सदस्य : कोरम नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : है!

श्री भीमसेन : मैं अर्ज कर रहा हूं, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेचर, प्रोग्रेसिव इकोनोमी के लिए कोई भी आदमी दो राय प्रगट नहीं कर सकता कि हम जितना कर लगायें वह अधिक आमदनी पर लगायें। इस सिद्धान्त को मानने के लिए तैयार हूं। जो राजस्थान एग्रीकल्चरल

(श्री भीमसेन)

इन्कम टैक्स एक प्रोग्रेसिव टैक्स था। अब जो इर्रेशनल बेसिस लैंड रेवेन्यू का है उसको बेसिस मान कर सरचार्ज लगाया जा रहा है। यह, माननीय सभापति महोदय, बिल्कुल वाजिब नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में चूंकि सीलिंग बिल पास हो गया है और वह एक्ट के रूप में लागू हो गया है तो सीलिंग एक्ट के बाद राजस्थान में एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के द्वारा कोई आदमी नहीं हो सकता था। इसलिए, मैं समझता हूं कि उसे अबॉलिश किया जा रहा है और उसके स्थान पर और ज्यादा बोझा डाला जा रहा है। मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह सरचार्ज लगाया जा रहा है, इसके पीछे रेशनल बेसिस नहीं है। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय राजस्व मंत्रीजी से जानना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में ऐसे कितने खाते हैं, कितने टेन्योर होल्डिंग्स हैं जो ५०) रु० से ज्यादा लैंड रेवेन्यू सरकार को पे करते हैं? इस जानकारी के अभाव में किसी प्रकार का बिल पास करेंगे तो वह न्याय नहीं होगा। इस जानकारी के अभाव में हमें मालूम नहीं है कि इस सरचार्ज टैक्स के द्वारा हमें कितने लाख की आमदनी होने वाली है? राजस्व मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हमें इससे १० लाख की आमदनी होगी लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि पेसेन्जर्स एन्ड गुड्स टैक्स का बिल पास किया था तो सरकार ने कल्पना की थी कि इस बिल से सरकार को केवल ३० लाख रुपये सालाना की आमदनी होगी पर यह जो खयाल किया गया था, कल्पना की गई थी वह असत्य साबित हुई। पहले साल में ही इससे सरकार को ७० लाख की आमदनी हुई! तो आज सरकार १० लाख की कल्पना कर रही है और कह रही है कि इस सरचार्ज विधेयक द्वारा केवल १० लाख की आमदनी होगी, इससे केवल १० लाख का ही बोझा पड़ेगा, इसको हम मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं। इस तरह के आंकड़ों के अभाव में हम कोई सही कल्पना नहीं कर सकते।

तो मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कुल ऐसे कितने खाते हैं, कितने टेन्योर होल्डिंग्स हैं जो ५० रुपये से ज्यादा लैंड रेवेन्यू पे करते हैं?

एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमने समाजवादी समाज की नीति को अपनाया है लेकिन यह सरचार्ज इसके सिद्धान्तों के विपरीत पड़ता है। हम यदि सरचार्ज लगायेंगे तो आज जो सम्मिलित खाते हैं वे जुदा-जुदा होंगे। इस वक्त मान लीजिये एक खाता १०० रुपया लैंड रेवेन्यू पे करता है तो इस सरचार्ज से बचने के लिये अलग अलग छोटे छोटे खाते बांट लेंगे। जिस प्रकार व्यापारी आज इन्कम टैक्स से बचने के लिये तरह तरह के तरीके काम में लाते हैं और एक ही चीज के भिन्न भिन्न अकाउन्ट्स मेन्टेन करते हैं उसी तरह काश्तकार भी अलग अलग खाते करायेंगे और विभक्त होकर कोशिश करेंगे कि ५० से कम लैंड रेवेन्यू पे की जाय। और इस तरह के खाते मेन्टेन करेंगे तो आज हम जो सहकारिता की नीति अपना रहे हैं, आज हम सहकारी समितियों को गांवों में प्रोत्साहन देना चाहते हैं और कोऑपरेटिव फार्मिंग का नारा देना चाहते

(श्री भीमसेन)

हैं वह सब इस बिल के पास होने के बाद एक दम बे माने होगा क्योंकि कोआॅपरेटिव फार्मिंग के यह बिल बिल्कुल ही विपरीत पड़ता है। इस बिल के पास करने से जो सहकारिता की नीति आप अपनाना चाहते हैं, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं और कोआॅपरेटिव फार्मिंग का नारा लगाते हैं वह सब कार्यक्रम फैल होगा। तो यदि आप सहकारिता की नीति को अपनाना चाहते हैं, कोआॅरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इस बिल में ऐसी व्यवस्था कीजिये कि कोआॅपरेटिव फार्मिंग को इस बिल से बिल्कुल एग्जेम्प्ट रखा जाय।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम राजस्व को बेसिस मान कर चल रहे हैं इसकी राजस्थान में अलग अलग प्रतिक्रियाएं होंगी। मैं राजस्थान केनाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान केनाल एरिया में स्टेट गवर्नमेंट ने छिपे तौर पर, इस माने में कि एडीशनल टैक्सेशन वहां के काश्तकारों पर डाल दिया है, एक बीघा के पीछे ४ आना एडीशनल रेवेन्यू डाल दिया है, जिस जगह कि इर्रिगेशन नहीं हुआ है उस जगह ४ आना एडीशनल राजस्व राजस्थान केनाल एरिया में लगा दिया है और जहां पर इर्रिगेशन हो रहा है वहां पर ४ रुपया प्रति बीघा एडीशनल टैक्स लगा दिया है बिना राजस्थान विधान सभा की राय लिये और जब कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में प्रावधान है कि भूमि पर लैंड रेवेन्यू के अलावा और कोई राजस्व टैक्स नहीं लिया जायगा। यह प्रावधान होते हुए भी बिना राजस्थान विधान सभा को पूछे इस प्रकार का एडीशनल टैक्स राजस्थान केनाल एरिया में लगा दिया है ....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट को नहीं भूलना चाहिये, वह भी विधान सभा द्वारा ही पारित किया गया है।

श्री भीमसेन : इसी को विचार में रख कर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि बिना विधान सभा को पूछे इस प्रकार का एडीशनल टैक्स लगा दिया गया है।

श्री सभापति : इनका कहना है कि राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट के मातहत ४ आना और ४ रुपया लिया जाता है।

श्री भीमसेन : ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट में तो है न।

श्री भीमसेन : कोई नहीं है।

राजस्थान केनाल एरिया में केनाल आने में चार या पांच साल लगेंगे नहीं कहा जा सकता। तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट तक जहां तक कि नहर जायेगी वहां ४ आना प्रति बीघा एडीशनल टैक्स इम्पोज किया गया है, इस चीज की हमारे यहां के इलाकों से आने वाले माननीय सदस्य को जानकारी है और किसी माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है कि वहां कितना एडीशनल टैक्स इम्पोज़ किया गया है।

तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग

(श्री भीमसेन)

तरह के किसानों पर अलग अलग टैक्सेज़ का भार डाल रहे हैं। तो इस पृष्टभूमि में यह क्या वाजिब होगा कि राजस्थान में सरचार्ज टैक्स लगाया जाय ?

इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि सिलेक्ट कमेटी में इन सब चीजों पर अच्छी तरह से विचार किया जा सके। १।६ इन्कम के लिहाज से जो प्रिन्सिपल अडोप्ट किया है उस लिहाज़ से ५० रुपया बेसिक लैंड रेवेन्यू है, तो इस लिहाज़ से उसकी एन्युअल इन्कम केवल ३०० रुपया हुई। उसमें टैक्स देने की कैपेसिटी कहां से आयेगी ?

ये बातें हैं, जिन पर बड़े गौर से विचार करना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान लैंड रेवेन्यू (सरचार्ज) बिल, १९६० को सदन के सम्मुख विचारार्थ लिये जाने के प्रश्न पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनमें से जहां तक प्रवर समिति को इस बिल के सौंपने का प्रश्न है, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमें सबसे पहले इस बात के बारे में सोचते समय एक बात ध्यान में रखनी होगी और वह यह कि हमारा सारा देश ग्रामीण लोगों के रहने का स्थान है और अधिकांश में ८० प्रतिशत नागरिक किसान हैं जो खेती-बाड़ी पर अपना गुजर बसर करते हैं। और इनमें जहां तक हमारी लोकल बॉडीज़ हैं, ग्रामपंचायतें वगैरह हैं उनकी रेवेन्यू का एरिया भी मैं समझता हूं कि किसान लोग ही हैं। इसके बाद यदि राज्य सरकार एक के बाद एक टैक्स लगाना शुरू कर देगी तो हमारी लोकल बॉडीज़ भी फंक्शन करना बन्द कर सकती है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी और वे काम नहीं कर सकेंगी। जहां तक इस बिल में राज्य सरकार ने कारणों और उद्देश्यों में स्पष्ट बताया है कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का अब तक का अनुभव है कि इससे बहुत कम आमदनी बैठती है और लोगों को इससे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसका मतलब सीधा सा यह हुआ कि इस सरचार्ज के जरिये, आप एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के जरिये जिन लोगों को माफ करते थे उन लोगों तक इस सरचार्ज को सीमित नहीं रखना चाहते आप छोटे छोटे किसानों तक इस सरचार्ज को पहुंचाना चाहते हैं। मेरा ख्याल यह है कि इस सरचार्ज का असर उन लोगों पर पड़ेगा जो ५०) से ज्यादा लैंड रेवेन्यू पे करते हैं। मैं खास कर कुम्भलगढ़ की बात कह सकता हूँ कि वहां पर रेट १७ या १८ रुपया पर-बीघा है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पास तीन या ३॥ बीघा जमीन होगी उस पर इस सरचार्ज का असर पड़ेगा और वह व्यक्ति इस कानून के अन्तर्गत आ जावेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि यह सीमा बहुत कम है और आम किसान जो पढ़ा-लिखा नहीं है, जो आज से पहले हमेशा शोषित रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि वह अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकता, वह अपने बाल-बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा नहीं सकता और समाज में उसकी

(श्री मनहोर कोठारी)

जो स्थिति होनी चाहिये वह नहीं है। वह आज भी आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर है तो उस पर आज एक के बाद दूसरा भार डालते रहेंगे तो उसका निर्वाह किस प्रकार से होगा ? इसके अलावा कुछ दिन पहले आपने बैटरमेंट लेवी की घोषणा की है। वह टैक्स भी किसानों पर ही लगेगा। वह भी उस एरिया में आप सिंचाई के साधन देते हैं उस पर लगेगा चाहे उसका लाभ उस काश्तकार को मिलता हो या नहीं। कई लोगों के खेतों में पानी यों ही बहता है और उससे उनको नुकसान होता हो मगर फिर भी आप तो उससे बैटरमेंट लेवी लेंगे ही। इसके अलावा उनसे आप बराबर सरचार्ज भी वसूल करते रहेंगे। नतीजा यह होगा कि जो लोग इससे फायदा नहीं उठावेंगे उन पर यह बोझ बढ़ता ही जावेगा।

जहां तक हमारे रेट का प्रश्न है, यह रेट राजा-महाराजाओं और जागीरदारों के समय में निश्चित हुई थी और कई जगह ऐसी हैं जहां पर अब भी सेटलमेंट नहीं हुआ है बहुत पुराने वक्त का सेटलमेंट रेट चला आ रहा है। ऐसे समय का सेटलमेंट रेट चला रहा है जिस समय किसान बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। उन पर मनमाने रेट लगाये गये थे। जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है वे लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बराबर इस बात का बार बार प्रयत्न किया कि जो सेटलमेंट हुआ है वह बहुत भारी हुआ है और इसमें रद्दोबदल होना चाहिये मगर उन्होंने बराबर कोशिश की मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय उन लोगों में हिम्मत नहीं थी कि वे किसी राजा महाराजा या जागीरदार या जमींदार की खिलाफत में खड़े होकर उससे मोर्चा लेते। इसलिए जो सेटलमेंट उस समय किया गया वह बहुत ही भारी था और बुरे रूप में किया गया और इसलिए आज जब हम सरचार्ज लगाने के बारे में सोचते हैं तो इसका असर उन किसानों पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है और इसका भार उन किसानों को बहुत महसूस होता है।

इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी, १६५४ का हवाला यहां पर दिया है और यह बताने की कोशिश की है कि उस कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि जो एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स तीन-चार हजार की सीमा तक लगता था उसको भी ठीक नहीं समझा तो एग्रीकल्चरल इन्कम ५० रु० पर टैक्स लगना चाहिये, यह कहां तक वाजिब होगा ? यह आप और हम सबके सोचने की बात है। जहां तक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का प्रश्न है उसने कई टैक्सों की बात कही है जो राज्य सरकार लगाना चाहे, लगा सकती है। आज जयपुर और बड़े बड़े शहरों में किराये के मकानों की भारी समस्या है। लोगों के पास बड़ी बड़ी इमारतें हैं और उनसे लोगों को काफी रुपया आता है। उसके बारे में भी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने निर्देश दिया कि जिनके मकानों के किराये की आमदनी आती है उन पर टैक्स लगाना चाहिये। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मुझे दुःख होता है कि हम इस बारे में सक्रिय कदम नहीं उठाते हैं। कहने के लिए कहा जा सकता है कि हमने म्युनिसिपिल एक्ट में हाउसिंग टैक्स का अधिकार दे रखा है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद और इतने लम्बे समय के बाद भी हम लोग देखते हैं

(श्री मनोहर कोठारी)

कि आज हमारे यहां मकानों के किराये की समस्या बढ़ती जा रही है उसको रोक नहीं सकते और जो लोग शोषण करते हैं उसको हम किसी तरह से रोक नहीं सकते। रेवेन्यू बढ़ाने के सम्बन्ध में हमारी और आपकी दृष्टि हमेशा किसानों पर ही पड़ती है जो भूखे हैं। आधे पेट रहते हैं, जिनके पास धन नहीं है और जिनके बच्चों को पहिनने को पूरा कपड़ा और पढ़ने की सुविधा नहीं है। उनकी इन्कम को आप और कम करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम अब ५०) रुपयों के लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगाना शुरू करेंगे तो एक खतरा मुझे नजर आता है। वह यह है कि अब तक जो हम कन्सोलिडेशन होल्डिंग्ज की बात करते हैं और यह चाहते हैं कि जमीन को एक बड़े क्षेत्र में बांधा जावे वहां हम यह भावना पैदा करेंगे कि वे लोग छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रेगमेंट में अपनी जमीन को इस तरह बांटे कि जिसकी लैंड रेट ५० रुपये से ज्यादा न हो और उनको सरचार्ज न देना पड़े। तो आप इस तरह से उनको प्रोत्साहन देंगे कि वे अपनी जमीन के टुकड़े करें और कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज न हो सके। इसका आगे चल कर बड़ा भयंकर परिणाम हो सकता है।

इसके अलावा हमारे देश के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है और वे चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना कर फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जावे। इसका मतलब यह होगा कि किसानों की व्यक्तिगत जमीन न हो और वे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना कर सहकारी रूप में खेती करें और जो उपज पैदा हो वह बांट कर हिस्सेवार ले ली जावे। लेकिन जब हम इस बिल में देखते हैं तो इसका कोई प्रावधान नहीं दिखाई देता कि वे लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनावेंगे तो उसकी लैन्ड रेवेन्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से होगी या व्यक्तिगत नाम से होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने के लिये कम से कम १० सदस्य होने चाहियें और इससे कम की सोसाइटी नहीं बनाई जाती हैं। इसका मतलब यह होगा कि जिनके पास एक या दो बीघा जमीन है उसको आपने कहीं इसमें एग्जेम्पट नहीं किया है। तो यहां पर यही एक बात नहीं है और भी कई बातें हैं।

इसके अलावा मैं खास तौर से एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ और माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह बात उनके सामने हमने कई बार रखी है और खास कर जहां पर जागीर क्षेत्र के इलके के लिए यह है। जहां जागीरदारों के पास तालाब थे और आज तक जागीरदारों के कब्जे में तालाब थे उन तालाबों के बेड में कल्टीवेशन होता था वह तो बराये नाम होता था उसमें पानी भरा रहता था। लेकिन फिर भी बेड कल्टीवेशन किसानों के नाम पर दर्ज है। इस पर कई तरह के झगड़े आये दिन आते रहते थे। यह बेड की जमीन गैर मुस्तकिल नहीं है, लैंड रेवेन्यू पेएबल है। जमीन पानी से बाहर नहीं निकलती और आज तक उसकी लैंड रेवेन्यू वसूल की जाती है। किसान उस जमीन पर खेती कर नहीं सकता और लैंड रेवेन्यू देना होता है और उसको लैंड रेवेन्यू का आधार बनाया जाता है। वह जमीन पानी से बाहर निकलने वाली नहीं और लैंड रेवेन्यू देने की स्थिति में नहीं आ सकती। तो ऐसे लोगों से आप सरचार्ज वसूल

(श्री मनोहर कोठारी)

करेंगे तो वे लोग भी इससे प्रभावित होते होंगे। सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कोई साधारण सी बात नहीं है। आप इस बिल के जरिये कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और आप यह समझते हैं कि आसानी से यह लैंड रेवेन्यू और सरचार्ज पटवारी और तहसीलदार वसूल कर लेंगे। मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक का व्यक्तिगत अनुभव मेरा है और रोजाना कहीं न कहीं सुनने को मिलता है कि आज कोई जमीन खरी होती है तो तहसीलदार से लेकर पटवारी तक उसमें बदमाशी करते हैं। आज यह कहा जा सकता है कि हमने ग्राम पंचायतों को यह काम दे दिया है और ग्राम पंचायत के पंच लोग म्युटेशन को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अनुभव यह कहता है कि म्युटेशन पूरा नहीं हो पाता है। किसानों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, इससे करप्शन बढ़ने का रास्ता भी खोल रहे हैं। सरचार्ज वसूल करते समय यह स्थिति आ सकती है। किसान जो लैंड रेवेन्यू पे करता है उसको काफी दिक्कतें आती हैं। कई जगह आज भी लोगों को कच्ची रसीदें दी जाती हैं, उनको पक्की रसीदें तक नहीं मिलतीं। इस तरह से काफी दिक्कतें किसानों को महसूस होती रही हैं। सरचार्ज बढ़ने के बाद तो किसान और भी अधिक महसूस करेंगे। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि आखिर पंचायत समितियों के लिए क्या आदेश देना चाहते हैं ? उनके लिए क्या रास्ते छोड़ना चाहते हैं ? एक बिल बना कर बड़े जोरशोर के साथ हिन्दुस्तान में ही नहीं मैं तो कहता हूँ कि बाहर विदेशों में भी घोषणा की गई कि हम राजस्थान में डीसेन्ट्रलाइजेशन करके गांवों के स्तर पर हमारे शासन की सत्ता को पहुंचाना चाहते हैं। हम हमारी सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके, गांवों के लोगों को अपनी सत्ता बांटना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार से बिल पेश करके हम आज उन पंचायत और पंचायत समितियों की इन्कम के रिसोर्सेज को छीनना चाहते हैं। यदि सरचार्ज वसूल करना है तो यह पंचायत समितियां करें, आप यह उन पर ही छोड़ दीजिये। लेकिन उनके रिसोर्सेज़ को आप इस प्रकार से छीनते जा रहे हैं और यह हालत हो सकती है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और कमजोर होगी और यह आपकी व्यवस्था चल नहीं सकेगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे एन्टर्टेनमेंट टैक्स की ही बात को ले लीजिये। पहले कस्बों में म्युनिसिपैलिटियां एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल करती थीं। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। वे काफी विकास के काम कर सकती थी। उनके इस सोर्स को हमने छीन लिया। इस तरह से एक एक करके हमने उनके रिसोर्सेज को छीन लिया। जो लोकल एन्टरप्राइज़ के, टैक्सेशन के रास्ते थे वे हमने छीन लिए और उनका नतीजा यह होता है और हो रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति दिन-पर-दिन गिरती चली जाती है और चली जा रही है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता जाता है और जो विकास के काम होने चाहिये वे पूरी तरह से सम्पन्न नहीं होते। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना

(श्री मनोहर कोठारी)

चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज़ का हमारा यह अनुभव बताता है कि जब वे एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल करती थीं तो उसमें उनको काफी पैसा मिलता था, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी लेकिन आज राज्य सरकार वसूल करती है; इसमें काफी लीकेज के रास्ते हैं। इस तरह से सारी की सारी स्थितियां हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा और वह यह है कि कई लोगों की खेती सामुहिक रूप में है। माननीय राजस्व मन्त्री महोदय की जानकारी में यह कई बार आया होगा कि कइयों के बाप-दादों के वक्त के एक के नाम के खाते अब तक चलते आ रहे हैं। पीढ़ियां हो गई हैं, अलग अलग रहते हैं, भाई, बैटे वगैरह सब अलग अलग रहते हैं, उनका खाना-पीना सब अलग अलग है। हां, विवाह आदि कामों के समय सब एक साथ बैठ कर खाना खा लेते हों लेकिन आज तक उनकी खेती एक नाम से चली आ रही है। उनका कन्सोलिडेटेड खाता एक ही है। लेकिन राज्य सरकार के सामने तो यह एक नकशा है कि एक ही व्यक्ति के नाम से खाता है इसलिए सरचार्ज वसूल कर लिया जायगा, जब कि यह स्थिति है कि एक ही आदमी का आधिपत्य नहीं है। यों तो आप इनसे सरचार्ज वसूल करके परेशान करेंगे या लिटिगेशन का रास्ता इनके लिए खोलेंगे। नतीजा यह होगा कि ये लोग कोर्टों में इधर उधर ठोकरें खाते फिरेंगे और इसका उनकी आर्थिक स्थिति पर भी भार पड़ेगा। मैं राजस्व मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप क्यों नहीं अपनी आमदनी की पूर्ति के लिए प्रोफेशनल टैक्स लगाते हैं? बड़े डाक्टर हैं, वकील हैं, इन्जीनियर्स है, इस तरह के जो प्रोफेशनल आदमी हैं जो अपने धन्धों से काफी रुपया कमाते हैं, केवल उनके ऊपर सेन्ट्रल टैक्स इन्कम टैक्स ही लगता है, टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी रिकमन्डेशन की थी कि यदि राजस्थान में भी फाइनेन्सेज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स से बढ़ा सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स लगाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि ये पढ़े-लिखे आदमी हैं, शहरों की जनता में बगावत होती है। तो इससे राज्य सरकार पर असर पड़ सकता है। लेकिन गांवों में, छोटे २ टुकड़ों में, दस-बीस झोंपड़े हैं उनके ऊपर कुछ करें, कोई भी टैक्स लगावें, राज्य सरकार के पास उनकी बात नहीं पहुंच सकती, उनके पास प्रचार के तरीके नहीं हैं, क्रूड फॉर्म है। कोई कानून बन जायगा, कुछ समय के बाद जब वसूली का समय आयगा तब जाकर कहीं उनको मालूम होगा कि राज्य सरकार ने उन पर यह कानून और लाद दिया, हालां कि उनके सामने यह बात पहले नहीं रखी गई थी। इसलिए आपके जरिये मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इतना तो इन्तजार करना ही चाहिये था कि इसको जनमत के लिए प्रसारित करके जनमत की इच्छा जानी जाती क्योंकि इसका ८० प्रतिशत जनता के जीवन पर असर पड़ने वाला है। जब इसका असर ८० प्रतिशत जनता पर पड़ने वाला है और ८० प्रतिशत जनता पर यह टैक्स लगाना चाहते हैं तो हमारा यह दायित्व है कि इसको लोगों तक पहुंचायें और उनकी इच्छा जानी जाय।

अन्त में, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इतना भी वेट नहीं

(श्री मनोहर कोठारी)

कर सकें कि इसको जनमत के लिए प्रसारित कर सकें, इतनी भी इन्तजार न कर सकें तो कम से कम इसको प्रवर समिति को तो सौंप ही देना चाहिये और वहां उस पर विचार करके यह आधार तो स्थापित कर सकें कि ५०) से ऊपर कोई टैक्स आता है तो कितनी सीमा तक टैक्स से मुक्त कर सकते हैं । इसके सिवाय एक बात और है कि कम से कम एक सीमा तो निर्धारित करनी ही चाहिये और इस तरह से मान लीजिये कि १५०) तक लैंड रेवेन्यू की वसूली के साथ सरचार्ज वसूल न करें । उसके बाद १५०) से लैंड रेवेन्यू ज्यादा है तो उसके ऊपर सरचार्ज लगा सकते हैं । यदि इस तरह से स्लेब कायम करें तो अच्छा होगा । यदि उस स्लेप को कायम नहीं कर पायें और सारों पर ही यह टैक्स लाद देंगे तो इससे साधारण कृषक जनता को कितनी परेशानी होगी ? मामूली टैक्स है, क्या इससे झगड़ा होगा, यह कहा जा सकता है लेकिन इसके मूल में किसानों के लिए जो भावना हो सकती है उसको देखना चाहिये और सोचना चाहिये । किसान की अवहेलना करके, उसकी भावना की कद्र न करके यदि इस टैक्स को वसूल किया जाता है तो यह बड़े दुःख की बात है और किसानों को अत्यधिक इससे परेशानी होगी । यदि किसानों को समझा करके टैक्स वसूल करें तो कोई बात हो सकती है । इसलिए बिल में यह व्यवस्था रखी है कि तहसीलदार सरचार्ज वसूल करेगा । तहसीलदार क्यों करेगा ? पंचायत समितियां बनी हुई हैं तो उनको अधिकार देना चाहिये और इस प्रकार के टैक्सेज़ को तो पंचायत समितियों के लिए एक्सक्ल्युसिवली छोड़ देना चाहिये कि वे वहां की स्थिति को देख कर कितना लागू कर सकते हैं वह लागू करें । मैं सूचना के तौर पर माननीय राजस्व मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि एजुकेशन सेस आदि पंचायत समितियां लोगों को बैठा कर, समझा कर, उनकी स्थिति को देख कर लगावेंगी तो वे समितियां अच्छी तरह से काम कर सकेंगी । लेकिन आपने उनके ये रास्ते ही बन्द कर दिये हैं तो बहुत बड़ी समस्या उनके अस्तित्व को कायम रखने की सामने आ सकती है । इससे अधिक कुछ निवेदन न करते हुए माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरचार्ज का असर राजस्थान के ८० प्रतिशत किसानों पर पड़ेगा और पड़ेगा तो इसको जनहित की दृष्टि से विचार किया जाय और करना चाहिये ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मतलब तो सरल नहीं हुआ ।

श्री मनोहर कोठारी : (अपना भाषण जारी रखते हुए) सलेक्ट कमेटी में प्रतिनिधि इकट्ठे होते हैं, अपने अपने एरिया की परिस्थितियों को वे रख सकते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण राय वे दे सकते हैं और उसके बाद ही यदि कोई बिल सदन से पारित करायें तो अच्छा होगा ।

जल्दी में बहुत कानून बनते हैं और दूसरी बार फिर उसमें अमेन्डमेंट आ जाते हैं । यह फेर-फार इसलिए होती है कि हम अवसर नहीं देते हैं, प्रवर समिति में उन पर सोचने का अवसर नहीं देते हैं । इतना हेस्टी हमारा लेजिस्लेशन होता है कि एक बिल चल ही रहा है और बीच में उसका अमेंडमेंट आ जाता

(श्री मनोहर कोठारी)

है लॉ डिपार्टमेंट पूरी तरह से स्क्रुटिनी नहीं कर पाता है और बिल को पेश कर दिया जाता है और बीच में आ जाता है । १४ बार टिनेन्सी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया । आखिर यह क्या है? आज एक किताब खरीदी और ६ महीने के बाद में वह किताब बेकार हो जाती है । रोज नित नये अमेंडमेंट आते हैं । इसलिए इस पर गम्भीरता से सोचें । हर आदमी इस सरचार्ज से सन्तुष्ट हो, उनकी भावना को समझें और उनको समझाये और एक प्रकार का वातावरण बनायें ।

यही कह कर अपना आसन ग्रहण करता हूं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय से यह यह कहते हुए कि यदि वे सिलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगे तो अधिक उत्तम होगा ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा–सु०) : माननीय सभापति महोदय, यह जो सरचार्ज नाम का टैक्स राजस्थान सरकार लगा रही है उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए यह आशा करूंगा कि यह जो ५०) रुपये से अधिक तक लगान देने वाले किसानों पर यह टैक्स लगेगा यह हमारे गांवों की आर्थिक हालत को बिगाड़ने वाला है । एक समय था जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था । उस जमाने में हम गांवों में जा-जा कर यह कहते थे कि ये किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, इन पर यदि टैक्स बढ़ा दिया गया तो ये लोग सरकार को हर तरह से परेशान करेंगे । उनके लिये कहते थे :

करसा थांका अन्नदाता छे,
क्यों लाग्या धमकावानें ।
जो थां यां सूं बैर करो तो,
मिले न टुकड़ो खावानें ॥

इस नारे से उस समय किसानों में एक नयी भावना पैदा होती थी और इसी नारे के आधार पर किसानों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और आजादी प्राप्त की और अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा । उस समय भी किसान इतना दबा हुआ नहीं था, उस जमाने में भी इतना टैक्स नहीं था । उस जमाने से आज के जमाने में काफी परिवर्तन हुआ है प्रजातन्त्री सरकार ने भी काफी टैक्स लगा दिये हैं । किसी भी वर्ग पर जो भी टैक्स लगाते हैं वह जाकर सीधा किसानों से वसूल होता है । इसका असर भी भोली, भाली जनता पर पड़ता है । एक जगह मैंने एक किताब में पढ़ा है कि कानून जितने भी बनते हैं वे गरीबों पर शासन करते हैं और पूंजीपति कानून पर शासन करते हैं यानि जितने भी कानून होते हैं उन कानूनों पर पूंजीपति शासन करते हैं । आज की गांवों की हालत को देख लीजिये । ४० बीघा जमीन पर दो बैलों से खेती होती है और जिस किसान के दो बैलों के आधार पर खेती होती है वहां के बेचारे किसान बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं । दूसरी तरफ यहां पर ही देख लीजिये विधान सभा के सदस्य हैं जिनके कितने ही धंधे चलते होंगे और जिनके पास बड़े बड़े मकान रहने को होते हुए भी बड़े बड़े प्लॉट लेकर मकान बनाते जा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं । अब मैं आपको बताऊं सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले सरकार ने इम्प्रूवमेंट बोर्ड कायम किया था उस बोर्ड के अधीन जमीन प्लाट देने का काम था । उसका पता दो साल तक हम लोगों को लग नहीं सका । बड़े बड़े लोगों ने अच्छे अच्छे

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

प्लॉट ले लिये उसके डेढ़ साल बाद प्रार्थना पत्र दिये गये। उस पर कहा गया इधर तो प्लॉट खाली नहीं हैं उधर मिलेंगे। इस तरह से गरीब लोगों की दर्ख्वास्तें पड़ी रही। उसके बाद कहा गया कि अब नीलामी से प्लाट बेचे जायेंगे। पांच रुपये पर-फिट के हिसाब से देने का तय किया गया है, इस प्रकार की नीति से प्लॉट उससे भी गरीब आदमियों को मिलेंगे नहीं वह भी बड़े आदमी ही ले जायेंगे! इसीलिए तो मैंने कहा है कि कानून गरीबों पर राज करता है और कानून पर पूंजीपति राज करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज मन्त्री महोदय को मालूम नहीं कि गांवों में गरीबों की क्या हालत है ? गांवों में रहने वाले किसानों की हालत का छोटा सा चित्रण मैं आपके सामने करूंगा। किसानों पर ५ पैसे फी रु० पंचायत टैक्स लगाने वाली है। हमारी सरकार डोलियों पर टैक्स लेती है आज पंचायत कहीं चबूतरा बनत है तो उस पर टैक्स लेती है, अलग दरवाजा खोलते हैं तो टैक्स लेती है खिड़की खोलते हैं तो अलग टैक्स लेते हैं, इसके अलावा बैलगाड़ी चलती है तो उस पर सड़क टैक्स अलग लगता है, गधे मिट्टी खोद कर लाते हैं उस पर टैक्स लगता है। गांवों में कुम्हार भट्टी लगाता है उस पर टैक्स लगता है। आज दुनिया पर के टैक्स गांव वालों पर लग रहे हैं। आज गांवों की हालत यह है रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को पता नहीं होगा आज गांव में रहने वालों की हालत ऐसी है वे आज भी अंग्रेजों के जमाने को भूल गये हैं। प्रजातन्त्र में होने वाले जुल्मों को देख कर वे भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान् अब इतने दुःखी हो चुके हैं कि इन काले बादलों से एक दम आग बरस जाय और हम लोग मर जायं तो अच्छा है। अब हम जिन्दा रहना नहीं चाहते इस स्वराज्य के अन्दर भी, इसीलिए वे पुकार पुकार कर कहते हैं :

"काला बादलरे अब तो बरसादे बलती आग"

आज भी वे इन शब्दों को नहीं भूलें। आज भी वे बादलों से कह रहे हैं कि हे बादलो अब तो आग बरसा दो। उनकी हालत का वर्णन वे इस तरह से करते हैं :

फाटा टूटा लूगड़ोरे,
लहंगो बिना सज्याब।
थेगला पे थेगला फैटां,
तो भी दीखे आब॥
कडता के पड़ता नहीं रे,
हडक्या खुड़ खुड़ खाये,
हाथ जोड़ कर गाल्यां खांवां,
तो भी इज्जत जाये।

काला बादल रे अब तो बरसादे बलती आग। वे कह रहे हैं कि आज हमारी हालत यह है कि थेगले पर थेगले लगा लगा कर लूगड़ा घाघरा पहनते हैं फिर भी उनकी आबरू नजर आ रही है। आज गांवों में रहने वालों की यह हालत है। फिर भी आप उन पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। वे सच कहते हैं :

छोरा छोरी दूध बिना रे,
चूड़ बिना घर नार।
नाज नहीं छै, लूण नहीं छै,
नहीं तेल की धार।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

फाटी टूटी सेपट थांरे,
लीरक, लीरां, पाग ।
फटी अंगरखी, फटी धोवती,
फूट्या म्हांका भाग ।।

वे कहते हैं कि आज हमारे घरों में नाज नहीं, लूण नहीं, छोरा-छोरी दूधके बिना भूखे मर रहे हैं, आज उन गांव वालों पर आप टैक्स लगा रहे हैं । गरीबों का धंधा घर में बैल बन्धे हैं, आधे में चक्की है, ऐसी कमजोर जिनकी आर्थिक हालत है उस पर भी पचास रुपये लगान देने वालों को आप टैक्स कर रहे हैं। बड़ा दुःख होता है जब कि इन बातों को सुनते हैं। यह हमारे गांवों की हालत है। सभापति महोदय, ऐसी हालत होते हुए भी हम उन पर टैक्स करते जा रहे हैं। सभापति महोदय, यहां हम देखते हैं छोटी छोटी बातों के लिये कमेटियां बैठती हैं पोटाशियम परमेंगनेट जो एक रुपया, डेढ़ रुपया पर, पौन्ड के हिसाब से मिलती है उसके लिए पर्चेज़ कमेटी ने चार-चार, पांच–पांच रुपये पौन्ड के हिसाब से खरीद की सिफारिश की है। आप उन लोगों पर तो टैक्स लगाते नहीं हैं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं और इन गरीबों को आपको जहां सहयोग देना चाहिये वहां इन पर टैक्स लगाते हैं । आज इनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि :—

बैल बिक गया नाज बिक गयो,
और बिक गयो घ ा र ।
छोरा बिक गया छोरियां ; क गई,
अब कांई बेचूं नार ।
पेट बांध खेती करां रे,
सारा काश्तकार ।
घर में म्हांके उन्दर खेले,
भरां जगत भंडार ।

अब तो लुगायों को और बेचना पड़ेगा अगर टैक्स लगा दिया गया तो। मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लेता हुआ राजस्व मन्त्री महोदय से इतना ही निवेदन करूंगा कि सरचार्ज बिल को जनता की जानकारी के लिये प्रसारित करें या एक सौ पचास रुपये से ज्यादा जो लगान देते हैं उन्हीं पर यह टैक्स लागू करें तो बहुत ठीक होगा ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान लैंड सरचार्ज बिल के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव उसे जनमत के लिये प्रसारित करने के सम्बन्ध में आया है इसका विरोध करते हुए और इसको प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूं ।

इस सम्बन्ध में काफी देर से चर्चा हो रही है और उन सबको सुनने के बाद मेरा ख्याल है कि माननीय राजस्व मन्त्री भी यह तो महसूस करते होंगे कि इसको बनाने के सम्बन्ध में थोड़ा और अधिक सोच–विचार करने की आवश्यकता थी और विशेषकर इसलिये कि वे भुक्तभोगी हैं एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को क्रियान्वित करने में आई कठिनाइयों के । इसके बाद उसको तो वापिस लेने का सोचा और इसको लाने का इरादा किया ।

अब कर की नीति से मेरे खयाल से आज के युग में किसी को विरोध नहीं हो

(डॉ० चन्द्रकला)

सकता और इस के सम्बन्ध में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं मैं उनका समर्थन करती हूं। लेकिन मैं यह मानती हूं कि हमारी सरकार ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के सिद्धान्त से सरचार्ज को लागू करने का इतना ख्याल नहीं रक्खा जितना कृषि आय कर को वसूल करने में असफलता के कारण यह कानून बनाने का उनको ध्यान रहा। मैं मानती हूं आज देश के किसानों का और सर्व साधारण का जीवन-स्तर सन्तोषजनक नहीं है। पर फिर भी आज की कठिन परिस्थितियों में भी आज का किसान पहले से कहीं अधिक अच्छी अवस्था में है। फिर इस कर के लगने से जो कठिनाइयां उस पर आने वाली हैं वह उसी के हित के लिये है। तो इस चीज को देखते हुए जहां तक इस टैक्स का सवाल है कोई भी व्यक्ति इस तरह से महसूस नहीं करता कि इससे किसान दबेगा इसलिये यह भी सवाल नहीं है। पर कुछ बातें जो यहां कही गई वे अवश्य ध्यान देने योग्य हैं।

हमारा प्रान्त कई रियासतों को मिलाकर बना है। यहां पर राजस्व की दरें एक सी नहीं थी। कहीं बहुत ज्यादा और कहीं बहुत कम हैं। उन सब का राजस्थान के एक बन जाने पर भी हम सेटलमेंट नहीं कर पाये और वह अन्तर नहीं मिटा पाये। हम उनका समानीकरण नहीं कर सके अब तक। तो जब तक उनका समानीकरण न हो तब तक इसको लागू करना कैसे हो सकता है, यह अवश्य सोचने की बात है। क्या सरकार इसको महसूस नहीं करती कि उन क्षेत्रों में जहां दरें ज्यादा हैं वहां इससे उन पर ज्यादा बोझा पड़ने वाला है और जहां कम हैं वहां और कम बोझा पड़ने वाला है? जो पहले से ही दबे हैं उन पर तो आप और दबाव डालना चाहते हैं और जो पहले से आराम में हैं उनको और आराम से रखना चाहते हैं! यह कहां का सिद्धान्त हो सकता है! इसलिये सबसे पहले यह सोचना है। अच्छा तो यह होता कि जल्दबाजी इसमें हम नहीं करते और महीने, दो महीने पहले से विचार करते इस पर और फिर हर जगह की परिस्थिति को देख कर दर निर्धारित करते; अन्यथा यह कानून कुछ के लिये ठीक पड़ता है और कुछ के लिये भारी पड़ सकता है। पर चूंकि आप इसको आज कल में ही पास करके लागू करना चाहते हैं इसलिये यह तो मैं जानती हूं कि यह प्रवर समिति में भी नहीं जाने वाला है। इसलिये इतना अवश्य राजस्व मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब आप लागू करें इसे तो इन मुद्दों को अवश्य ध्यान में रखें ताकि लोगों पर असमान बोझा न पड़ने पावे।

इसके साथ ही टैक्स वसूल करने के बारे में बताया गया है। इस तरीके से मुझे दिक्कत आती नहीं दिखाई देती। जिसका जितना रेंट होगा उस हिसाब से उसी के साथ वह यह दे देगा। पहले जो आपने आय कर वसूली का तरीका रखा था वह जरूर दिक्कत का था आपके लिये भी और किसान के लिये भी। आप जल्दी में कई ऐसे काम कर जाते हैं कि आप अपनी तो सहूलियत देखते हैं और दूसरों पर कठिनाइयां लाद देना चाहते हैं। अब जनता किसी टैक्स का विरोध करती है या बढ़े हुए कर का विरोध करती है या कम करने की बात कहते हैं तो सरकार उसे और बढ़ा देती है और जब देखती है कि जनता

Page No.110

(डॉ० चन्द्रकला)

का विरोध तीव्र है तो फिर जहां पहले थी वहीं आ जाती है। इसी तरह का यह कृषि आय-कर का झगड़ा है। आपने कृषि आय पर तो कर बढ़ाया पर तरीका ठीक नहीं निकाल सके। इसके बाद जब थोड़ी कठिनाई आपके सामने आई तो आपने कह दिया कि इतनी जमीन जिसके पास होगी उस पर लगेगा, जिसके पास इससे कम होगी उससे नहीं लिया जावेगा। अभी सदन में इसी जगह पर हमारे दूसरे मन्त्री महोदय ने बताया कि बहुतों को इस आधार पर नोटिसेज़ जारी हुए उनको दिक्कत हुई, सरकार को भी हुई पर जब जांच की गई तो उनकी आमदनी उतनी नहीं निकली। अच्छा तो यह होता कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ऐसा कोई पौधा या पेड़ ढूंढते जिसमें पैसा और रुपया फलते फूलते तो किसान उसमें से तोड़ तोड़ कर सरकार को लगान दे देता। पर पैदा तो अन्न होता है और राजस्व देना पड़ता है केश में। इस भेद को समझने की आवश्यकता है। पर सरकार जब कर लगाती है तो पहले सुविधा अपनी देखती है पर इसमें किसान की सुविधा भी उसे देखनी होगी। इसमें फिलहाल सरकार ने अपनी सुविधा देखी है और निस्सन्देह इसमें सरकार को सुविधा रहने वाली है, पर कर देने वाली जनता की सुविधा भी देखनी चाहिये। पर जिस रूप में यह प्रस्तुत है उसको देखने से नहीं लगता कि सरकार ने किसान की सुविधा का कोई ख्याल रखा है। इसलिये सदन में अधिकांश सदस्यों ने यह राय प्रगट की है कि इसको लागू करने में किसी तरह की जल्दबाजी न की जावे। इसलिये जनमत वाली बात जो कही गई है वह तो बात पार पड़ने वाली है नहीं, पर उनकी कठिनाइयों को जो समझते हैं और जिन्होंने इसका खुद अनुभव किया है वे और हमारी सरकार जो खुद भी कठिनाई भुगत चुकी है वसूल करने में एक समिति के रूप में बैठ कर अच्छी तरह उस पर विचार करे तो यह अधिक अच्छा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और आशा है राजस्व मन्त्री कोई न कोई रास्ता इसके लिये अवश्य निकालेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सभापति महोदय,....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : जबाब दूं मैं ?....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : टाइम हो गया, साहब।

एक माननीय सदस्य : समय हो गया।

श्री श्रीभानसिंह : जबाब कैसे देंगे ? मैं बोल रहा हूं न, साहब।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : सभापति महोदय, आज चार बजे तक पी. ए. सी. और एस्टीमेट कमेटी के उम्मीदवारों के नाम वापिस लेने का समय था। मगर चार बजे तक ऐसा नहीं हो सका। अब अगर आप सहमत हैं और सदन भी सहमत है तो मेरा यह प्रस्ताव है कि कल १२॥ बजे तक यह समय बढ़ा दिया जाय और फिर चुनाव जरूरी हों तो १॥ से ४॥ बजे तक करा लिये जावें।

डॉ० चन्द्रकला : नहीं सहमत है सदन। बार बार क्या समय बढ़ाना है ?

कई माननीय सदस्य : सहमत हैं, सहमत हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़!!

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री हरिदेव जोशी नें रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाना स्वीकार किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : टाइम हो गया साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय....

श्री श्रीभानसिंह : हो क्या रहा है, साहब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बोलना चाहें तो....still there is time,

श्री सभापति : We adjoun to meet to·morrow at 11 A. M

(तदनन्तर ५ बजे सदन की कार्यवाही दिनांक २ अप्रेल, १९६० के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

———

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १ अप्रैल, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ५९३६

ग्राम पंचायत बिलान्दरपुर (बैराठ) के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं रिश्वतों की हुई शिकायतों पर हुई कार्यवाही ।

टैक्निकल शिक्षा प्रसार हेतु निर्मित योजना ।

सुमेरपुर विकास खण्ड पंचायत समिति के अन्तर्गत बुनाई सिखाने हेतु चालित हैण्डलूम का कारखाना ।

मौजमाबाद पंचायत समिति ।

'नवयुग पत्र' को दिया गया विज्ञापन ।

राज्य के टैक्नो इकॉनोमिक सर्वे हेतु प्रबन्ध ।

तहसील लालसोट में अल्प-बचत योजना के अन्तर्गत एकत्रित किया गया धन ।

जयपुर शहर में डेयरी चलाने की योजना ।

राष्ट्रीय सेवा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही ।

श्री युसूफअली की सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर नियुक्ति ।

विश्व कृषि प्रदर्शनी, दिल्ली में राजस्थान पेविलियन में बनाये गये स्टेटिस्टिकल चार्ट ।

बीकानेर डिविजन के हैडक्वार्टर्स पर ओवरसियर्स वइन्जीनियर्स की शिक्षा हेतु स्थित राजकीय शिक्षण संस्था ।

मेसर्स टूरिस्ट सर्विस द्वारा आम्बेर में आमोद-यात्रा हेतु हाथी देने के एकाधिकार का समापन ।

श्री राधावल्लभ व्यास, नाजिर, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट, जयपुर के विरुद्ध दायर मामलों में कार्यवाही ।

ओसियां तहसील की ग्राम पंचायत बोगानी का चुनाव ।

प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर्स का इन्टीग्रेशन ।

सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ में परि-

स्कम्भ

गणित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियां।

आदिवासी मंडल के अन्तर्गत ग्राम मांडवा, तहसील कोटड़ा भोमट में खोली गई प्राइमरी स्कूल।

सुजानगढ़ तहसील के ग्राम गोपालपुरा के पास प्राप्त तांबे की खान का विकास।

ग्राम ३२ जी०, जी० थाना चूनावट में हुई गंगाराम की कत्ल का मामला।

सीकर जिले के लोहे के कोटे को सीकर डिस्ट्रिक्ट आइरन एन्ड स्टील मर्चेन्ट्स एशोसियेशन के नाम दिलवाना।

हनुमानगढ़ में एडीशनल जज की अदालत की मांग।

बांदीकुई के सहायक कलेक्टर एवं न्यायाधीश की जिला परिषद् के सचिव के पद पर नियुक्ति इत्यादि।

राजकीय मिडिल स्कूल, खान्दू (बांसवाड़ा) में सेवा मन्डल छात्रावास की आदिवासी छात्राओं को सहायता न मिलना।

स्कम्भ

गंगानगर जिले में स्कूल व कॉलेज भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि।

औद्योगिक संस्थाओं पर किया गया खर्चा।

स्थगित तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

लोहे एवं इस्पात के आयात अनुज्ञा-पत्र

पाली तहसील में घरेलू उद्योगों के लिये दिया गया ऋण।

शिक्षकों की सीनियोरिटी का आधार।

देसूरी विकास खंड द्वारा ग्राम पंचायत बूसी को विकास कार्य हेतु प्रदत्त धनराशि।

अजमेर में कुछ कार्यालयों का स्थानान्तरण।

स्थगन-प्रस्ताव ६००५

जयपुर स्थित माधोविलास तथा बम्बईवाला आयुर्वेद हॉस्पिटल में रोगियों को वितरित किये गये दूध से उत्पन्न स्थिति से संबंधित जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह (१४) सदस्य, विधान सभा ने दी थी उसे

प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

उक्त विषय पर श्री भीखाभाई, मंत्री, आयुर्वेद विभाग द्वारा एक वक्तव्य भी दिया गया।

जन लेखा समिति, १९६०-६१ तथा प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ के नामजद उम्मीदवारों की नामावली : ६०११

जन लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९६०-६१ के नामजद सदस्यों के नाम अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषित किये गये जो निम्न प्रकार हैं:—

जन-लेखा समिति १९६०-६१

१. श्री बेनाराम गहलोत
२. श्री नाथूलाल (११५)
३. श्री प्रभुलाल पुरोहित
४. श्री भीमसेन
५. श्री परसराम मदेरना
६. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
७. श्री हरिदेव जोशी
८. श्रीमती सुमित्रा
९. श्री श्रीभानसिंह
१०. श्री भवानीशंकर नन्दवाना
११. श्री लच्छूराम
१२. श्री मोगजी भाई
१३. श्री रामप्रसाद लड्ढा
१४. कुमारी शन्नोदेवी शर्मा
१५. श्री तनसिंह
१६. श्री भैरोंसिंह (१४)

प्राक्कलन समिति, १९६०-६१

१. श्री रामचन्द्र
२. श्री बेनाराम गहलोत
३. श्री नाथूलाल (११५)
४. श्री प्रभुलाल पुरोहित
५. श्री मोहरसिंह
६. श्री किशनलाल शर्मा
७. श्री पी. के. चौधरी
८. श्री अमृतलाल यादव
९. श्री रामप्रसाद लड्ढा
१०. श्री घासीराम यादव
११. श्री धन्नालाल हरित
१२. श्री भंवरलाल शर्मा
१३. श्री मोगजी भाई
१४. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला (१५)
१५. श्रीमती प्रभा मिश्रा
१६. श्री चन्द्रसिंह यादव
१७. श्री रामनारायण वर्मा

स्तम्भ

१८. श्री अब्दुल गफ्फारखां

१६. श्री भोलानाथ

२०. श्री अनूपसिंह

२१. श्री मुक्तिलाल मोदी

निम्नांकित सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिये :—

जन-लेखा समिति :

१. श्री बेनाराम गहलोत

२. श्री नाथूलाल (११५)

३. श्री रामप्रसाद लड्ढा

४. कुमारी शन्नोदेवी शर्मा

प्राक्कलन समिति

१. श्री रामचन्द्र

२. श्री नाथूलाल (११५)

३. श्री मोहरसिंह

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया गया विधेयक ६०१०

राजस्थान सिंचन व जल निकास (संशोधन) विधेयक, १६६०

श्री भीखाभाई, सिंचाई मंत्री ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उपरोक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया।

स्तम्भ

विचारार्थ लिये गये विधेयक ६०११

१. राजस्थान बिक्री कर, (संशोधन) विधेयक, १६६०

उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खंडशः विचार आरम्भ हुआ:—

खंड १७:—संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खंड १८:—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

खंड १ अधिनियम सूत्र, प्रस्ताव और नाम:—स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

२. राजस्थान भू-राजस्व (अधि-भार) विधेयक, १६६० ६०१७

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:—

(१) रावराजा श्री सरदारसिंह ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने का संशोधन प्रस्तुत किया।

सर्व श्री लक्ष्मीचन्द, रामकरणसिंह, दयाकृष्ण विजय एवं मोहरसिंह ने उक्त संशोधन प्रस्ताव का समर्थन किया।

(२) श्री अनूपसिंह ने यह संशोधन रखा कि विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

इन प्रस्तावों पर किये गये वाद-विवाद में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री लच्छूराम
२. श्री सोहनलाल भटनागर
३. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
४. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
५. श्री नाथूलाल करोल
६. श्री पी. के. चौधरी
७. श्री शंकरलाल
८. श्री रघुवीरसिंह
९. राव श्री नारायणसिंह
१०. श्री चन्दनमल बैद
११. श्री रामचन्द्र
१२. श्री तेजमल बापना
१३. श्री मूलचन्द डागा
१४. श्री हीराभाई
१५. श्री भीमसेन
१६. श्री मनोहर कोठारी
१७. श्री भैरवलाल 'काला बादल'
१८. डॉ० चन्द्रकला

शनिवार, दिनांक २ अप्रेल, १९६० की कार्य-सूची

१. राजस्थान भू-राजस्व (अधिभार) विधेयक, १९६० (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

२. राजस्थान कृषि आय कर (संशोधन) विधेयक, १९६० (विचार-विमर्श एवं पारित)

३. राजस्थान कृषि-भूमि उपभोग (संशोधन) विधेयक, १९६० (विचारार्थ)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८६ का उत्तर देखिये)

LIST OF MODELS DISPLAYED IN THE W. A. F.
AGRICULTURE SECTION.

S. N.	Panels	Name of artists	Amount
1	2	3	4
1.	Land reforms	Prakash Publicity, Ajmer.	960/-
2.	Panels on Agriculture research (5 panels)	-do-	160/- each
3.	-do- one in 3-D	-do-	960/-
4.	Agriculture implements.	-do-	240/-
5.	Local manurial resources	-do-	600/-
6.	Irrigation	-do-	600/-
7.	Horticulture	-do-	300/-
8.	Soil of Rajasthan	M/s. Modallo, Jaipur	523/-
9.	Rajasthan wheat	-do-	523/-
10.	Rajasthan showing marketing news service	-do-	750/-
11.	Chambal commanded Area-Classification (on plastic)	-do-	1,350/-
12.	Population	-do-	523/-
13.	Agricultural Mandies	-do-	523/-
14.	Land utilization	-do-	523/-
15.	Sources of Irrigation	-do-	523/-

1	2	3	4
16.	Map of India & Raj. on teak.ply & plastic letters.	M/S. Modallo, Jaipur.	540/-
17.	Rajasthan looks ahead 3—D	M/S. Gurucharan Singh	1,000/- (Not yet paid)
18.	Map of Rajasthan showing rainfall	M/S. Modello, Jaipur	523/-
19.	Six panels-This is Rajasthan (Narrative type)	-do-	144/- cash (Not yet paid)
20.	Chambal Hydelproject	M/S. Gurucharan-Singh.	—
21.	The Third Five Year Plan Agriculture Production	Shri Kewal Soni	840/- (Not yet paid)
22.	Loan Transaction Of Primary Socities in Rajasthan (Agricultural)	Jodhpur Art	— (Not yet paid)
23.	Set-up of Agriculture Department	"	— (Not yet paid)
24.	Labour saving devices (Implements)	M/S. Prakash Publicity, Ajmer.	240/-
25.	Krishi Soohana Praser	"	994/-
26.	Tractor apraying insecticides in field (working Panel)	M/S. Modello, Jaipur.	3,750/-

1	2	3	4
27.	Rajasthan Canal.-2 Panels (Statistical) ettering work.	M/S. Modelo, Jaipur.	155/- ('For both)

ANIMAL HUSBANDARY

1.	Mateya Palen	M/S. Zawil Art	120/-
2.	Sheep Wealth of Raj. including a map of Rajasthan.	-do-	716/-
3.	Distribution of Bulls.	M/S Kowal Soni	840/- Each
4.	Statistics of sheep & wool	-do-	(Not yet finalised & paid)
5.	Artificial insumination	-do-	-do-
6.	Different breeds of cattle & cattle fair.	—	-do-
7.	Panel Vaternary Hospitals etc.	M/S Kewal Soni	-do-
8.	Production of hides & skin.	-do-	-do-
9.	Poultry development in Rajasthan.	-do-	1,575/- (Not yet paid)
10.	Production of milk and its utilisation	-do-	840/- (Not yet paid)
11.	Goushala improvement in Rajasthan.	-do-	840/- (Not yet paid)

1	2	3	4
	COMMUNITY DEVELOPMENT		
1.	लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण	Prakash Publicity, Ajmer.	320/-
2.	सामुदायिक विकास योजना	-do-	
3.	Rural insurance	-do-	160/-
4.	Rajasthan third F. Y. P.	Vibha Kala Mandir	—

M/S EDUCATIONAL INDUSTRIES, CHOPASANI ROAD, JODHPUR.

		Rs.
1.	Rajasthan Men Sahkarita Andolan ke Kramik Vikas ki ek Jhalak.	525.00
2.	Rajasthan Main Krishi Rin Datri Samition ki Prgati.	164.00
3.	Rajasthan ke Sahakari Bankaun ki Karya Pragati.	218.75
4.	Blockon main Sahkari Andolan.	98.44
5.	Planned Development of Co-operatives in Rajasthan.	525.00
6.	Sahkari Samitiya Main 10 Vershon Main char Krishi Krantian.	700.00
7.	Sahkarita Dwara Utpadako se Upbhokta tak.	525.00
8.	Average member ship and average loan per member.	525.00
9.	Loan transaction of Primary Societies Agricultural in Rajasthan.	525.00
10.	Dwitiya Panch Varshiya Yojna ka Vittiya Pravadhan.	35.00
11.	Loan advanced by Central Co-operative Banks.	252.50
12.	Vasudhaiv Kutumbkum.	525.00
13.	Kheti main takniki Sudhar ka ek matra Sadhan Sahkarita.	175.00
14.	Composition of working capital of the State and Central Co-operative Banks.	525.00

M/S ZAVIL ART STUDIO.

1.	Kishan ke Jivan-star unnet karne main Sahkarita ka yoga.	No bill received. Rates quoted are 21.87 n.p. per sp. ft.

2.	The progress sf Co-operative movement in the State.	No bill received. Rates quoted are 21.87 n.p. per sp. ft,
3.	Consolidated Balance sheet of Agricultural Credit Societies.	No bill received.
4.	Zilewar Sahkarita ka Bahumukhi prasar with co-operative marketing societies.	-do-
5.	Vivid Prakar ki Sahkari Samitiyan.	-do-
6.	Krishi Upyogi Samitiyan.	-do-

Co-operative Statement of rates quoted by various parties for 3-D Panels (Plain & Illuminated) in response to quotation notice dated 7.12.59.

S. N.	Name of the Party	3-D (Unilluminated) per sq. ft.	3-D (Illuminated) per sq. ft.
1.	M/s. Prakash Publicity	Rs. 35/-	Rs. 60/-
2.	M/s. Modello.	Rs. 25/-	Rs. 50% extra
3.	M/s. Artifacts.	Rs. 40/-	Rs. 50% extra
4.	M/s. Fotonics.	Rs. 36/-	Rs. 50/-
5.	M/s. Vasudev Publicity Service.	Rs. 30/-	Rs. 50% extra

Page No.124

मेसर्स मोडेलो, जयपुर	२५ रुपये प्रति वर्ग फुट (३–डी पेनल्स) ३७ रुपये ५० नये पै० प्रति वर्ग फुट (Illuminated 3-D Panel)
प्रकाश पब्लिसिटी, अजमेर	,, (१० रु० प्रति वर्ग फुट) Flat Panel (रंग के अतिरिक्त अन्य सामान हमारा)
पावेल आर्ट, लखनऊ	२० रु० प्रति वर्ग फुट (३–डी पेनल्स)
जोधपुर आर्ट, जोधपुर	,,
स० गुरुचरनसिंह एण्ड कं०, दिल्ली	Rs. 1,000/—for a let king Panel of 4' x 6'
श्री केवल सोनी, दिल्ली	३५ रु० प्रति वर्ग फुट (३–डी पेनल्स)

———

परिशिष्ट

सूची चार्ट व मोडल जो डिवीजनल फोरेस्ट ऑफिसर, जयपुर के द्वारा बनवाये गये

मं० शु० नाम चार्ट व मोडल	नाम बनाने वाले को	कीमत	विवरण
१. भारत में पक्षियों का आवागमन का नक्शा—मोडल	मेसर्स नन्द इन्जिनियरिंग वर्क्स, जयपुर	१३००.०० २००.००	डाईरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स के डी०ओ०नं० १६, २७-११-५६ की १२-१२-५६ की चिट्ठी डी० एफ० ओ० के अनुसार।
२. जंगल मनुष्य की सेवा में	एजूकेशनल इन्डस्ट्रीज, जोधपुर	२६७५.००	
३. विन्ड इरोजन		दर २१.८७ (प्रति रेट्स	डाईरेक्टर पब्लिक रिलेशन के स्वीकृति
४. जंगल के छोटे उद्योग		कम ७१३._०५ वर्ग फुट	अनुसार
५. जंगल की पर्सेन्टेज		सामान दिया	
६. जंगल की उपज		कुल २२६१.६५	

१	२	३	४
७.	रैन ड्राप		
८.	पानी की हर बूंद को अपनी उन्नति के लिए बचावो		

परिशिष्ट

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS

No...............Camp Delhi, dated the 7 th Dec, 1959

Quotations are invited for making 3—D Charts in 4' x 5' or 4' x 4' or similar sizes. The material to be used Could be hard board, soft wood, soft board, plastic pieces, teek ply, glass, Jali (steel meak) or similar material and the whole plaea would be Duco sprayed as per given shares The sketches and Colour (illigible) would be get approved in advance. The quotations may be given as follows;—

(1) @ per sq. ft.

(2) @ per sq. ft. if illuminted

(3) @ per sq. ft. if elecfrically and mechanically operated.

The work will be done within a week from the date of the order. The qustations should reach the undersigned at Bikaner House by 4 P. M. on 8. 12. 59

Sd/—M. D. Jain
for Director of Public Relations,
Rajasthan, Jaipur
(Camp Delhi)

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७८६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE QUANTITY OF IRON & STEEL FOR WHICH ESSENTLIALITY CERTIFICATE FOR IMPORT LICENCE HAVE BEEN ISSUED.

Name of the firms to whom Essentiality Certificates for Import Licences issued.	APRIL, 1958-Septr., 59 Die Steel.	G. I. wire.	High Tensile Steel wire.	Tool alloy Steel.	Wire shorts.	OCTOBER. 59—March, 60. Cold Rolled Steel strips.	H. B. wire.	G. I. wire.	Stain: less Steel wire.	M. S. wire.	Steel wire.	Production figures. 1958-	1959.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10,	11.	12.	13.	14.
1. Jaipur Cycle & Parts Industries, Jaipur.	2 Tons.	22 Tons.	25 Tons.	—	—	43 Tons.	9				20 Ton	2843 Cycles.	6336 & 799 Cycles. Chain-stay. 708 Sheetstays.
2. R. S. Brothers	—	—	—	—	—	—	9 Tons.	—	—	—	—	4750 Cycles.	3275 Cycles

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. Rajasthan Cycle Industry, Jaipur,				1.5 Tons .	—	—	—	—	—	—	—	3007 Cycles.	7395 ,, 4744 Forksn- 908 Dog,chain 2000 Leaf brackets 607 Saddles
4. Rajasthan Wire Netting Factory, Neem-ka-Thana.	—	18 Tons.	—	—	—	—	—	15 Tons.					
5. Ashoka Wire Netting Ind. Jaipur.	—	86 "	—	—	58 Tons	—	—	—	2 tons.	22.5 Tons	—		28 tons for Rs. 40,000/-
6. Rajasthan Iron & Steel Mfg. Works, Jaipur.	—	60 "						90 Tons.	—	—	—		
7. Rajasthan Steel Corporation, Jaipur.	—	23 "	—	—	—	—	90 Tons.	—	—	—	—		

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8. Khandelwal Udyog, Jaipur.		28 "	—	—	20 Tons	—	—	30 Tons	—	—	—		
9. Jaipur Wire Netting Ind. Jaipur.	—	20 "	—	—	—	—	—	—	—	—	--		
10. Rajasthan Wire & Steel Company, Jaipur.	—	—	—	—	--	—	20 Tons.	—	--	—	—	—	--
Total —	2	194	25	1.5	70	43	119	126	2	52.5	20		

Note — 1. Figures for the quantity for which the Import Licences have been issued are not available with this Office as the name has not been communicated to us by the Controlling Authority of the Central Government and as such figures on the basis of Essentiality Certificates issued by the Directorate have been given in the Statement.

(ii) Production figures of the firms apeearing at Serial No. 4, 6 to 10 are not readily available with this office.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६३ का उत्तर देखिये)

विकास खंड देसूरी द्वारा पंचायत बूसी के अधीनस्थ गांवों में विकास कार्यों हेतु दी गई रकम की सूची

क्रम संख्या	नाम ग्राम	नाम कार्य	तारीख रकम देने की	रकम जो दी गई
१	निम्बाड़ा	स्वच्छ जल कूप निर्माण	८–६–५४	४००) रु०
२	बूसी	,, ,, ,, ,,	२–२–५५	१६४०) रु०
३	,,	स्कूल भवन की मरम्मत	२०–३–५५	५००) रु०
४	निम्बाड़ा	स्कूल भवन निर्माण	१२–१२–५६	२०००) रु०
५	प्रतापगढ़	,, ,, ,,	२२–१२–५६	५००) रु०
६	बूसी	पंचायत भवन	१६–१–५८	१५००) रु०
७	,,	तालाब की मोरी ठीक करना तालाब का कुआ ठीक करना	२६–३–५६	२०००) रु०

परिशिष्ट

१	२	३	४	५
८	निम्बाड़ा	कृषि यन्त्र खरीदना	३१–३–५६	२५०) रु०
६	बूसी	गोबर गैस प्लान्ट	,, ,, ,,	५००) रु०
१०	,,	स्वच्छ जल कूप	,, ,, ,,	१५००) रु०
११	निम्बाड़ा	बीज गोदाम निर्माण	,, ,, ,,	२५००) रु०

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १ अप्रैल, १९६०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५९३६	११	सामान्व प्रशासन	सामान्य प्रशासन
५९३८	७	श्री हरिभऊ उपाध्याय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
५९४६	३	प्रमणित किये	प्रमाणित किये
५९५४	९–१०	पूछेंगे ....कब	पूछेंगे कि फुलेरा की कब
५९६०–६१	शीर्ष	–१ अवेल, ६०–	–१ अप्रैल, ६०–
५९६४	प्रथम	नह	नहीं
५९७१	१०	श्री सताशचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
५९८५	१४	खाल दी	खोल दी
५९८६	१९	buitable actlon	suitable action
५९९६	शीर्ष	प्रश्नात्तर	प्रश्नोत्तर
६००२	१६	Goveernment	Government
,,	२६	now Iocated	now located
६००३	२५	Enduiry...ten ative	Enquiry...tentative.
६००४	२२	shuid be	should be
,,	२४–२५	regaiding	regarding
६००७	१५	Coos pyogenes	Cocospyogenes
६०१०	१२	अध्यत्त महीदय	अध्यक्ष महोदय
,,	१९	पुनर्स्थापन	पुरःस्थापन
६०१५	१२	will put	I will put
,,	१२–१३	amenment	amendment
,,	अन्तिम से २	कया अंग	का अंग
६०१६–१७	शीर्ष	–३१ अप्रैल	१ अप्रैल
६०१६	२	जोड़ा गय।	जोड़ा गया।
,,	१६	जो गये	जोड़े गये।
६०३५	प्रथम	वैसे । वास्हव	वैसे वास्तव
६०३७	अन्तिम से ६	गरीबी कि	गरीबी की
६०३९	,, ,, ५	जो शोषण	जो शोषित
६०४५	३	नहीं होगा।	नहीं होगी
६०४६	११–१२	गुना। आप	गुना आप
६०५०	१३–१४	है। हमारी जो	प्रस्ताव रखा है। हमारी
,,	११	देने वाले ऊपर	देने वाले के ऊपर
६०५२	अन्तिम से ४	(rrelovent	irrelevant

(२)

१	२	३	४
६०५६	शीर्ष	(श्री अनूपसिंह	(श्री दामोदरलाल व्यास)
६०५७	१ व २४	श्री अपनूसिंह	श्री अनूपसिंह
६०५८	शीर्ष व ५	,, ,,	,, ,,
६०६१	अन्तिम से ५	के रेफर	को रेफर
६०७४	अन्तिम से २	र.,. जाय	रखी जाय
६०८६	२६	of ths	of the
६०८८	१२	आभार पर	आधार पर कि
६०९०	अन्तिम	ates	rates
६०९४	१२	हैरेशमेंठ	हैरेसमेंट
,,	१६	किया जावे	दिया जावे
,,	२६	श्री दामोरलाल	श्री दामोदरलाल
६०९९	१८	Ibeg	I beg
६१०३	२३	जायेगी, इसका	जायेगी," इसका
६११३	अन्तिम से ४	जिसके ऊपर	उसके ऊपर
६११६	१२	भीलपाड़ जिले	भीलवाड़ा जिले
६११८	अन्तिम से २	बपना	बापना
६१२०	,, ,, ४	surchage	surcharge
६१२६	अन्तिम	अनाम देते	अनाज देते
६१३१	अन्तिम	फामिर्ग का	फार्मिंग का
६१३२	११	मिल में	बिल में
६१३६	शीर्ष	(श्री मनहोर कोठारो)	(श्री मनोहर कोठारी)
६१३९	१८	इलके के	इलाके के
६१४३	१७	कूड फोर्म	फूड फोर्म
६१४४	१६	स्लेप को	स्लैब को
६१४५	२	लामू कर	लागू कर
६१४७	२	टुकड़ो खाबानें	खाबाने
६१४९	८	नहीं भलें ।	नहीं भूलें ।
६१५२	शीर्ष	–३१ अप्रेल	–१ अप्रेल
६१५४	,,	डॉ० चन्द्रलला	डॉ० चन्द्रकला
६१५७	७	we adjoun	we adjourn
६१६२	८–९	उम्मीत्रारों	उम्मीदवारों
६१७०	सीरियल ३ कॉलम ३	M/s Kowal Soni	M/s Kewal Soni
६१७६	सीरियल १ कॉलम ५	रिलेशम्स के	रिलेशन्स के
,,	सीरियल ६ कॉलम ४	२२६१. ६५	२२९१.६५

(३)

१	२	३	४
६१७८	७	plaea would	place would
,,	८	be get	be got
,,	११	if illuminted	if illuminated
,,	१२	if elecfoically	if electrically
,,	१७	qastations should	Quotations should
६१८०	सीरियल १ कॉलम १४	Forksn	Forks
६१८१	Total कॉलम ११	52.5	22.5